पंचम माला, खंड 3, अंक 18 | बुधवार, 16 जून, 1971/26 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. III, No. 18 | Wednesday, June 16, 1971/Jyaistha 26, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

GA(1)
17/11/71

सत्यमेव जयते

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18, बुधवार, 16 जून, 1971, 26 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 18 Wednesday, June 16, 1971, Jyaistha 26, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
511	भारत से कश्मीर को अलग करने के बारे में शेख अब्दुल्ला का कथित वक्तव्य	Alleged Statement by Sheikh Abdullah *re*: determination to secede Kashmir from India	1-3
513	कच्छ के रन की सीमा पर गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस	Pak spies arrested on border of Rann of Kutch	3-5
516	चाय बागानों में पुनः चायरोपण	Replantation of Tea gardens	5-8
517	भूतपूर्व क्रान्तिकारियों और राजनीतिक कैदियों को पेंशन	Pension to former revolutionaries and political Prisoners	8-12
518	भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश करने वालों के स्तर में गिरावट	Deterioration in quality of IAS IFS entrants	12-15
520	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन के फलस्वरूप चौथी योजना में परिवर्तन	Modifications in Fourth Plan due to influx of Refugees from East Pakistan	15-16
521	सूती कपड़े के निर्यात में कमी	Decline in Textile Exports	16-17
524	ब्रिटेन, अमरीका और रूस को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textiles to Britain, USA and Russia	17-19
528	विकसित देशों कीं अधिमानात्मक व्यवहार योजना के अन्तर्गत भारत का निर्यात	India's exports under preferential Treatment scheme of Developed countries	19-20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Mamber indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		Subject	पृष्ठ/Pages
529	पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए सीमा आयोग	Boundry Commission for Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	20-21

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
512	समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को अखबारी कागज का आवंटन	Allotment of Newsprint to Newspapers and Periodicals	21-22
514	समाचारपत्रों पर विदेशी धन का प्रभाव	influence of foreign money on News papers	22
515	तेलगांना की समस्या के समाधान के लिए नया सूत्र	New Fourmula for solution of Telengana problem	22-23
519	चाय बोर्ड के कार्यकरण को सूचारू बनाना	Streamlining of working of Tea Board	23
522	सोवैक्सपोर्ट और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के बीच भारतीय फिल्मों के निर्यात के लिए करार	Agreement between Sovexport and IMPEC for Export of Indian Films	23-24
523	चलचित्र वित्त निगम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Film Finance Corporation	24
525	उर्दू के समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों के कारण साम्प्रदायिक वैमनस्य	Communal disharmony due to writings in Urdu Papers	24-25
526	आयात नीति	Import Policy	25
527	केरल के नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात	Exports of Coir Goods from Kerala	25-26
530	पिछड़े हुए क्षेत्रों का आर्थिक विकास	Economic Development of Backward Regions	26-27
531	बीकानेर दिल्ली ट्रंक लाइन	Bikaner-Delhi Trunk Line	27-28
532	नगरों और गांवों में भित्ति समाचार पत्र आरम्भ करना	Introduction of wall Newspapers in Cities and Villages	28
533	पश्चिम बंगाल में आने वाली और वहाँ से जाने वाली डाक के वितरण में अत्यधिक विलम्ब	Inordinate delay in Delivery of Postal Mails in and from West Bengal	28-29

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
534	उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर जिले में चीनी साहित्य आदि से भरा पाया गया बक्सा	Box containing Chinese Literature etc, found in Mirzapur District (Uttar Pradesh)	29
535	त्रिपुरा और मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना	Statehood for Tripura and Manipur	29
536	सरकारी सेवा में भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes for recruitment to Government Service	30
537	दिल्ली में स्थल पत्तन की स्थापना	Setting up of Dry Port in Delhi	30
538	तिरुपति में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station at Tirupati	30-31
539	योजना आयोग और राज्य योजना निकायों में पारस्परिक सम्बन्ध	Relationship between Planning commission and State Planning Bodies	31

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
2252	मैसूर जिले में हरिजनों के घरों का जलाया जाना	Harijan's houses burnt in Mysore District	31-32
2253	हुमनाबादल मैसूर राज्य में डा० बी० आर० अम्बेडकर की प्रतिमा का नष्ट किया जाना	Distruction of statue of Dr. B. R. Ambedkar in Humnabad (Mysore)	32
2254	केले का निर्यात	Export of Bananas	33
2255	विशेष स्टेनलेस स्टील के लिये मध्यप्रदेश सरकार को आयात लाइसेंस का दिया जाना	Grant of Import Licence to Madhya Pradesh Government for special stainless steel	33
2256	आमों के निर्यात में कमी	Decline in export of Mangoes	33
2257	भारत द्वारा अन्तरिक्ष उपग्रह का विकास	Developing of space satellite by India	33-34
2258	रूस और अमरीका द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षण	Underground Nuclear Tests by USSR and USA	34-35
2259	मध्यप्रदेश सरकार को निर्यात और आयात व्यापार के लिये विदेशों से सीधे बातचीत करने की अनुमति	Permission to Madhya Pradesh Government for direct talks with foreign countries for export and import trade	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
2260	मध्यप्रदेश में सरकारी उपक्रमों की स्थापना / Setting up of public Undertakings in M. P.	35
2261	टेलीफोन सलाहकार समिति / Telephone Advisory Committee	35-36
2262	गुजरात में काडी दुर्गा काटन मिल्स का बन्द किया जाना / Closure of Kadi Durga Cotton Mills in Gujarat	36-37
2263	प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम के उपबन्धों का कथित उल्लंघन / Alleged Violation of provisions of Press and Registration of Books Act	37
2264	दिल्ली टेलीविजन का प्रसारण क्षेत्र / Range of Delhi T. V.	37-38
2265	दिल्ली टेलीविजन पर फिल्मी कलाकारों के साथ साक्षात्कार / Film personalities on Delhi T. V.	38
2266	पंजाब में परमाणु ऊर्जा कारखाने की स्थापना / Setting up of an Atomic Energy Plant in Punjab	39
2267	नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष की नियुक्ति / Appointment of President of NDMC	39
2268	बिहार में प्रतिव्यक्ति आय / Per capita Income in Bihar	39-40
2270	काजू उद्योग के बारे में केरल का सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल / All Party Delegation from Kerala Re: Cashew Industry	40-41
2271	व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा लघु-उद्योगों को निर्यात हेतु सहायता / Assistance by trade Development Authority to Small Scale Industries for Exports	41
2272	1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में में जब्त की गई सम्पत्ति / Property seized during Indo-Pak. Conflict, 1965	41-43
2273	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष की हत्या के पीछे कथित राजनीतिक षड़यंत्र / Alleged political conspiracy behind murder of President of Students Union of Benaras Hindu University	43-44
2274	नक्सलपंथियों की गतिविधियों में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों का हाथ / Delhi University teachers involved in Naxalite activities	44
2275	कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के संवाददाता के विरुद्ध कार्यवाही / Action against correspondent of Columbia Broadcasting Corporation	44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2276	रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में आने के लिये आयु सीमा की छूट	Exemption of age limit for Government Service for Candidates registered with Employment Exchanges	44-45
2277	केरल में काजू तैयार करने वाले कारखानों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगारी	Unemployment due to closure of Cashew Processing Factories in Kerala	45-46
2278	पटसन का अनुमानित उत्पादन	Estimate of Production of Jute	46
2279	दैनिक बसुमति, कलकत्ता	Dainik Basumati, Calcutta	46
2280	बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	46-47
2281	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to U. K.	47-48
2282	चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिये धन का नियतन	Allocation for Rajasthan during Fourth Plan	48
2283	त्रिवेन्द्रम में विदेशी मुद्रा के घोटाले का पता लगाया जाना	Unearthing of foreign exchange rackets in Trivandurm	48
2284	कुल राष्ट्रीय उत्पादन	Gross National Production	48
2285	केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सहायता	Central Assistance to States	49-50
2286	राज्यों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय	Per Capita Development Expenditure in States	50-51
2287	चौथी योजना के दौरान पिछड़े राज्यों को सहायता	Grants to Backward States during Fourth Plan	51
2288	हरियाना की राजधानी के निर्माण हेतु सहायता	Assistance for Building Haryan's Capital	52
2289	यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप भारत के वाणिज्यिक हितों की रक्षा	Safeguarding of India's Commercial interests consequent on Britain's entry into ECM	52
2290	विदेशों में भारतीय दूतावासों से सम्बद्ध कार्यालयों के माध्यम से निर्यात व्यापार	Export Business through offices attached to Indian Embassies in Foreign Countries	52-53
2291	इंजीनियरिंग उद्योग में किस्म विकास निधि बनाने हेतु भारतीय सांख्यकीय संस्थान का सुझाव	Suggestion by Indian Statistical Institute for Creating a Quality Development Fund in Engineering Industry	53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
2292	मनीपुर के हथकरथा बुनकरों को सूती धागे की सप्लाई / Supply of cotton yarn to Manipuri Handloom Weavers	54
2293	पटसन उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने के लिये परामर्शदाता की नियुक्ति / Appointment of Counsellor to study Condition of Jute Industry	54
2294	कपड़ा उद्योग द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन / Production of controlled cloth by textile industry	54-55
2295	टेलीविजन सेटों के निर्माण हेतु विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस दिये जाना / Grant of licences to foreign companies for manufacture of TV sets	55-56
2296	केरल स्थित मिलों को रुई की सप्लाई / Supply of cotton to mills in Kerala	56
2297	कम्प्यूटरों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण / UN Survey re: computers	56-57
2298	पश्चिमी बंगाल में पटसन कारखानों के विस्तार हेतु आवेदन पत्र / Applications for expansion and extension of Jute factories in West Bengal	57
2299	कम्प्यूटरों के प्रयोग के परिणामस्वरूप काम से हटाये गये कर्मचारी / Services of employees dispensed with due to introduction of computers	57-58
2300	सोमासुन्दरा मिल्स, कोयम्बत्तूर को अधिकार में लेना / Taking over Somasundara Mills, Coimbatore	58-59
2301	लद्दाख के बारे में जनगणना के आंकड़े / Census data about Ladakh	59
2302	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से लोह अयस्क का निर्यात / Export of iron ore through MMTC	60
2303	नियंत्रित किस्मों के कपड़े के उत्पादन के बारे में समिति / Committee on production of controlled varieties of cloth	60-62
2304	राजस्थान के विधान सभा सदस्य श्री अब्दुल हादी द्वारा पाकिस्तानी सेना और मुजाहिदों को कथित सहायता देना / Alleged assistance rendered to Pak army and Mujahids by Shri Abdul Hadi, Rajasthan MLA	62
2305	रेलवे के उपकरणों को सप्लाई के लिये विदेशों से प्राप्त क्रयादेश / Orders from abroad for supply of Railway equipment	62

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Page
2306	वैध पारपत्रों द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिक / Pak. Nationals visiting Jammu and Kashmir State on valid Passports	62-63
2307	केन्द्रीय सरकार के सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग / Use of Hindi in official work of Central Government	63
2308	राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यापार में विदेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा / Exports through STC meeting stiff competition abroad	63-65
2309	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात / Imports through STC	65-66
2310	चाय काफी, काजू और कपड़े का निर्यात / Export of Tea, Coffee, Cashewnuts and Textiles	66
2311	मणिपुरी हथकरघा उत्पादकों का निर्यात / Export of Manipur Handloom	67
2312	त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय समिति की स्थापना की मांग / Demand for a Regional Committee in Tribal belt of Tripura	67
2313	टेलीविजन सेटों का उत्पादन और उनकी मांग / Production and demand of T. V. Sets	67-68
2314	भारत में टेलीविजन सेटों की संख्या / Number of TV sets in India	68
2315	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में भर्ती / Recruitment to Central Reserve Police	68-69
2316	परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों हेतु भारत-जर्मन सहयोग / Indo-German Cooperation in peaceful uses of Atomic Energy	69
2317	जूट उद्योग के प्रतिनिधियों और विदेश व्यापार से सम्बद्ध अधिकारियों की बैठक / Meeting of Representatives of Jute Industry and Foreign Trade officials	69-70
2318	थाईलैण्ड से पटसन का क्रय / Purchase of Jute from Thailand	70-71
2319	मनीला सन्धि के अन्तर्गत काली मिर्च का निर्यात / Export of pepper under Manila Pact	71
2320	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) द्वारा प्राथमिकताओं की सामान्य प्रणाली को लागू करना / Introduction of Generalised System of preferences by EEC	71-72
2321	हेमन्तकुमार बसु की हत्या / Murder of Shri Hemantha Kumar Basu	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
2322	केरल में काजू उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये केन्द्र से एक दल का जाना / Team from Centre to study Cashew Industry in Kerala	72-73
2323	साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) करने के लिये विशिष्ट न्यायालय / Special Courts for summary trials in areas affected by communal trouble	73
2324	गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में शाखा डाकघर / Branch Post offices in Garhwal (U.P.)	73-74
2325	कोटद्वार और पौड़ी का दिल्ली और लखनऊ से सीधा टेलीफोन सम्पर्क / Connection of Kotdwar and Pauri with Delhi and Lucknow by direct telephone link	74
2326	आकाशवाणी के कालीकट केन्द्र से होने वाले प्रसारणों का बार-बार रुकना / Frequent stoppage of broadcastings from Celicut All India Radio Station	74
2327	अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करने के लिये सतर्कता आयोग की स्थापना / Setting up of a Vigilance Commission to look into complaints of minorities	74-75
2328	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती / Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	75-76
2329	कोटा में रेडियो स्टेशन / Radio Station at Kotah	76
2330	सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच / Inquiries by CBI against Government officers and employees	76-77
2331	राजस्थान में टेलीविजन केन्द्र / T, V. Stations in Rajasthan	77
2332	जाओरा में 200 एस०ए०एक्स० क्षमता वाली मशीन का लगाया जाना / Instalation of 200 SAX capacity Machine at Jaora	77
2333	रतलाम जिले (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना / Opening of Telephone Exchanges in Ratlam District (M. P.)	78
2334	मन्दसौर और रतलाम जिलों (मध्य-प्रदेश) में डाक और तार घरों और टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये स्थान / Accommodation for posts and Telegraph Offices and Telephone Exchanges Mandsaur and Ratlam Districts (Madhya Pradesh)	78-79
2335	मध्य प्रदेश में प्रयोगात्मक डाक घर / Experimental Post Offices in Madhya Pradesh	79-80
2336	समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देना / Government advertisements to Newspaper	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
2337	विश्व निर्यात व्यापार में भारत का भाग / India's share in World Export Trade	80-82
2338	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल / Central Industrial Security Force	82
2339	पाकिस्तान रेडियो के ढाका केन्द्र द्वारा आकाशवाणी के प्रसारणों में बाधा डाला जाना / Dacca Station of Pakistan Radio Jamming of AIR Broadcast	82-83
2340	देवनागरी लिपि में दिये जाने वाले तारों का विलम्ब से भेजा जाना / Late transmissions of Telegrams given in Devanagari Script	83
2341	राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परिक्षाओं में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं मानना / English not treated as a compulsory Subject in competitives examinations conudcted by State Public Service Commissions	83-84
2342	विदेशों द्वारा खरीदी गई भारतीय फ़िल्में / Indian Films purchased by foreign countries	84-85
2343	टेलीफोन के साथ प्लग, साकेट और अतिरिक्त डोरी का किराया / Rentals for plug, socket and extra cord with Telephones	85-86
2344	गलत टेलीफोन बिल / Wrong telephone bills	86
2345	बड़ा चकिया में टेलीफोन एक्सचेंज / Telephone exchange at Bara Chakia	86-87
2346	चम्पारन जिले (बिहार) में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना / Upgradation of branch post offices in Champaran District (Bihar)	87
2347	पूर्वी बंगाल के रेडियो स्टेशनों के विस्थापित स्टाफ आर्टिस्टों और अन्य व्यक्यिों की सेवाओं का उपयोग / Utilisation of Services of evacuee artistes and others of East-Bengal Radio Station	87
2348	उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय / Per capita income in Uttar Pradesh	88
2349	पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाक घर (अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय) का खोला जाना / Opening of new Post Offices (EDBO) in rural areas of West Bengal	88-89
2350	सेहोर (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन कनेक्शन / Telephone connections in Sehor District (Madhya Pradesh)	89
2351	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अगरतला के जयनगर-रामनगर क्षेत्र में गोलाबारी / Pak shelling on Joynagar-Ramnagar area of Agartala	89-90

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos,	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
2352	डाक तथा तार विभाग के डाकियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दियों का नमूना	Pattern of uniforms for postmen and Class IV employees of P & T Department 90
2353	पुरी डिवीजन के डाकियों तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अनुपयुक्त आवास	Housing accommodation for Postmen and Class IV employees in Puri Division 90-91
2354	डाकियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को साईकिल भत्ता	Cycle allowance to Postmen and Class IV employees 91
2355	दिल्ली के सिविल रक्षा निदेशालय और होम गार्डस में भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Ex-army officials in Directorate of Civil Defence and Home Guards, Delhi 91
2356	बहराइच स्थित टेलीफोन केन्द्र का असन्तोषजनक कार्यकरण	Unsatisfactory working of Telephone Exchange at Bahraich 92
2357	बहराइच में टेलीफोन कनेक्शन के लिये लम्बित आवेदन पत्र	pending applications for Telephone connections at Baharich 92
2358	चौथी योजना में केरल को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Kerala during Fourth Plan 92
2359	पश्चिम बंगाल के २४ परगना जिले में पाकिस्तान द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप मारे गये भारतवासी	Indians killed as a reasult of Pak shelling in 24 pargans District (West-Bengal) 93-94
2360	केरल में किराये के भवनों में डाक तथा तारघर के कार्यालय	Posts and Telegraphs offices in rented buildings in Kerala 94
2361	भारतीय हरी चाय की मांग	Demand for Indian Green tea aboard 94-95
2363	आकाशवाणी के संवाददाताओं की विदेशों में नियुक्ति	Appointment of AIR correspondents abroad 95
2365	चलचित्रों को राष्ट्रीय पुरस्कार	National awards for Films 96
2366	प्रतिनियुक्ति पर गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के श्रेणी III के अधिकारी	Scheduled Caste/Scheduled Tribe Class III Officers on deputation 96-97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
2367	पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तानी नागरिकों का पंजीकरण Registration of Pakistani citizens in West Bengal	97
2368	वैध पारपत्रों सहित महाराष्ट्र में आये पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की यात्रा Visit by Pakistan Nationals to Maharashtra on Valid passports	97-98
2369	पिछड़े हुए क्षेत्रों के निर्धारण के लिये कसौटी Criteria for determining backward areas	98
2370	निजी थैलियों के प्रश्न पर भूतपूर्व शासकों के साथ बातचीत Negotiations with former rulers on issue of privy purses	98-99
2371	विदेशी व्यक्तियों सम्बन्धी अधिनियम के अधीन हिरासत में लिये गये अथवा जमानत पर छोड़े गये व्यक्ति Persons under custody or on bail under the Foreigner's Act	99
2372	चलचित्र वित्त निगम को दी गई राशि का उपयोग Utilisation of amount advanced to Film Finance Corporation	99-100
2373	रजिस्टर्ड पत्रों तथा पार्सलों से डिमांड नोटों आदि का निकाल लिया जाना Removal of Demand Notes etc. from registered letters and parcels	100
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	100-104
	केरल के समुद्रतटवर्ती क्षेत्र में समुद्र से भूमि का कटाव Erosion of Kerala coastal belt	100-104
	श्री सी० के० चन्द्रप्पन Shri C. K. Chandrappan	
	डा० के० एल० राव Dr. K. L. Rao	
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र Papers laid on the Table	105-106
	पंजाब आदि के बारे में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उदघोषणा Proclamation under Article 356 in Relation to Panjab Etc.	106-107
	राज्य सभा से सन्देश Message from Rajya Sabha	107
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–दूसरा प्रतिवेदन Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Second Report	108
	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव Motion *re.* Constitution of Committee on the Welfare of Scdeduled Castes and Scheduled Tribes	108-111

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
संसद अधिकारियों के सम्बलों और भत्तों से सम्बन्धित (संशोधन) विधेयक	Salaries and Allowances of officers of Parliament (Amendment) Bill	112-114
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	
खंड २, ३, और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री ज्योतिमंय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना आध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक	Statutory Resolution re Maintenance of Internal Security Ordinance and Maintenance of Internal Security Bill	115-136
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	
श्री पीलु मोदी	Shri Piloo Mody	
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	128-136
पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों का भारी संख्या में आना	Influx of Refugees from East Bengal	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार 16 जून, 1971/ 26 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Wednesday, June 16, 1971/ Jyaistha 26, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Alleged Statement by Sheikh Abdullah *Re.* Determination to Secede Kashmir from India

*511. **Shri Nathuram Ahirwar:**
Shri ChandrikaPrasad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by Sheikh Abdullah regarding his determination to secede Kashmir from India as reported in the Daily Hindustan dated the 10th May, 1971; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the steps being taken by Government to check such anti-national activities?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant): (a) Government have seen the news report.

(b) Government consider the reported speech as wholly misconceived and ill-advised.

Government have taken, and will take, action under the law as and when necessary, to defeat any activity aimed at undermining the integrity of the country.

Shri Chandrika Prasad: The whole setup of Plebiscite front has been declared unconstitutional and its members have been debarred from delivering speeches and their movements have been restricted. The Court is of the view that the actions of Sheikh Abdullah and his associates are anti-national. I would like to know, whether Government of India propose to take strong action on the basis of court's views?

Shri K. C. Pant: The organization has been declared unconstitutional. What more strong action is possible ?

Shri Chandrika Prasad: The court has agreed that these people are engaged in anti-national activities but the Government has enhanced their allowance from Rs. 1000 to Rs. 1200/- and has provided with housing facilities. I would like to know whether the Government would issue orders to withdraw these facilities.

Shri K. C. Pant: The Government of India has not allowed any increase. This has been done by the Government of Jammu and Kashmir as the subject comes under their Jurisdiction. As regards housing facilities no further concessions have been allowed. They are still occuping their earlier accomodations and paying rent as well as electricity and water charges. It can not be denied that they are paying rent at concessional rates.

श्री एस० ए० शमीम : क्या सरकार को शेख अब्दुल्ला के उस वक्तव्य के बारे में पता है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत उनकी मातृभूमि है, उनका पहला कार्य इस बात की ओर ध्यान देना होगा—कि उनके तथा उनके दल के कार्यों से भारत की प्रतिष्ठा पर कोई आंच तो नहीं आती है—की दृष्टि से भारत उनकी स्थिति को स्पष्ट करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विधि विरुद्ध गतिविधियां अधिनियम में अलग होना शब्दों की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की गयी है ।

"संघ से भारतीय क्षेत्र के किसी भाग के अलग होने में यह निश्चय करने के लिए किया जाने वाला कोई दावा कि 'क्या वह भाग भारतीय क्षेत्र का भाग रहेगा अथवा नहीं', भी सम्मिलित है ।"

इस संदर्भ में इस तथ्य से सम्बन्धित कोई भी दावा, 'कि देश के एक भाग के अधिनियम का अभी निश्चय किया जाना है,' अलग होने शब्दों की व्याख्या के अन्तर्गत आ जाता है ।

Shri Atal Bihari Vahjpayee: Has the attention of the Government been drawn towards the statement made by Sheikh Abdullah in which he has refused to condemn the atrocities and Genocide Committed by Pakistani army in East Bengal ? Is it also a fact, that Shri Sheikh Abdullah was present in a meeting of Muslim Mushawarat which had refused to condemn the atrocities having committed in East-Bengal?

Shri K. C. Pant: This does not arise out of it, but it is a fact that Sheikh Abdullah was present there. He participated in Mushawarat meeting. But he has said so many things. The news of one of his interviews has also appeared in newspapers. In his interview at Hyderabad, he has said certain things, which we do not like. But there he has also said that Pakistan is not doing a right thing in East Bengal, he has, thus said about both.

Shri K. C. Vikal: Has his attention been invited to the news report that the Kashmir Government has asked about the removal of ban imposed on Sheikh Abdullah and his colleagues ?

Mr. Speaker: You have gone deep into the matter, the question relates to the statement appeared in *Hindustan*, a daily newspaper.

Shri R. C. Vikal: The statement appeared on behalf the Kashmir Government.

Shri S. A. Hashim: There is no such statement, they do not want to lift the ban.

Shri R. C. Vikal: Let the Government or the Kashmir Government emphatically say that they are not going to remove the ban. So for as my knowledge goes such a statement has appeared. Let the Government deny that they had not seen such a statement.

Mr. Speaker: The Minister has already replied regarding the statement appeared in *Hindustan*, a daily newspaper.

Shri R. C. Vikal: What I am saying this has also appeared in 'Hindustan'. It has appeared on behalf of the Kashmir Government.

Mr. Speaker: The question relates to the statement, that appeared on 10th May.

श्री तरुण गोगोई: क्या शेख अब्दुल्ला के उस कथित वक्तव्य से, जो दैनिक हिन्दुस्तान में छपा है, किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, यदि ऐसा हुआ है, तो अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यह केवल कानून का प्रश्न ही नहीं बल्कि ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करनी है, कब करनी है और किस प्रकार करनी है, इन सब बातों के लिये एक अन्तिम निर्णय करना होता है ।

कच्छ के रन की सीमा पर गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस

*513. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री निहार लास्कर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मई, 1971 को कच्छ के रन की सीमा पर दिहाड़ा के निकट चार पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) क्या जासूस भारत में गड़बड़ करने के लिये कच्छ की मुख्य भूमि में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे जासूस सीमा के अन्दर न आ सकें और गड़बड न कर सकें ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा): (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) सरकार की सभी सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा बड़ी निगरानी रखी जाती है।

श्री पी० गंगादेव : कच्छ की खाड़ी की सीमा पर पाकिस्तानियों की जासूसी सम्बन्धी गतिविधियों को समाप्त करने के लिये कौन से विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : कच्छ की सीमा पर तथा देश की दूसरी सीमाओं पर केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियों तथा राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है। हमारे कहने पर हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिकारियों के लिये अनुदेश जारी किये हैं कि सीमा क्षेत्र में गिरफ्तार किये गये तस्कर व्यापारियों को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाय। इसके साथ ही समय-समय पर कानूनी प्रावधान लाये जाते हैं जिससे अवांछनीय तत्व देश के हितों को हानि न पहुँचा सकें। वास्तव में तो यह राज्य सरकारों के दायित्व का मामला है, इस मामले में उन्हीं का प्रमुख दायित्व है परन्तु केन्द्रीय सरकार से प्रत्येक सहायता दी जाती है और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच विचार-विमर्श होता रहता है।

श्री पी० गंगादेव : पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह केवल कच्छ की खाड़ी में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत में क्रियाशील हैं। इस भयावह स्थिति को दूर करने के लिये राज्यों को कितनी वार्षिक वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा : राज्यों में पुलिस बल को बढ़ाने के लिये समय-समय आवश्यक सहायता दी जाती है। हम राज्यों को वायरलैस संदेश तथा मोटर गाड़ियां तथा अन्य वस्तुयें देते हैं। यदि राज्य सरकारें कोई विशेष अनुरोध करती हैं तो उनको सदैव ही पूरा किया जाता है।

डॉ० रानेन सेन : भारत की पूर्वी सीमा की घटनाओं तथा बंगला देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने भारत की पश्चिमी सीमाओं तथा कच्छ की खाड़ी में जासूसी-विरोधी उपायों को मज़बूत करने के प्रश्न पर विचार किया है ? उन्होंने बताया है कि इसके लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। क्या कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी सीमाओं के क्षेत्रों में की गयी कार्यवाहियों का केन्द्रीय सरकार ने निरीक्षण कर लिया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा तथा केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा किया जाता है केन्द्रीय सरकार सदैव ही उसका निरीक्षण करती है। हम उनसे निरन्तर सम्बन्ध बनाये रहते हैं। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच एक प्रकार का सहयोग रहता है और जो कार्यवाही करने का निश्चय किया जाता है उसे दृढ़ता से लागू किया जाता है।

डा० रानेन सेन : पूर्वी सीमा पर बंगला देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

Shri Nathuram Ahirwar: I would like to know the names of the spies arrested and the particulars of the materials recorded from them ?

Shri Ram Niwas Mirdha: In my reply I have said that no spies have been arrested. Four persons were arrested on the border who had come over there after visiting certain places, but as a result of inquiry they were found to be smugglers. They can not be called spies in anyway.

चाय बागानों में पुनः चाय रोपण

4516. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से बागान मालिक अपने बागानों में पुनः चाय-रोपण की अवहेलना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि भविष्य में पुनः चाय-रोपण समय पर हो ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

चाय के पुनर्रोपण की गति 2 प्रतिशत प्रति वर्ष के यथेष्ट स्तर से बहुत कम रही है। चाय सम्पदाओं को चाय की पुरानी झाड़ियों के स्थान पर अधिक उपज देने वाली तथा बेहतर क्वालिटी की झाड़ियां पुनरोपित करने के उद्देश्य से चाय बोर्ड एक पुनर्रोपण अर्थ सहायता योजना चला रहा है। इसके अतिरिक्त चाय बोर्ड एक बागान वित्त-पोषण योजना भी चला रहा है जिसके अन्तर्गत चाय सम्पदाएं चाय क्षेत्रों के पुनर्रोपण, प्रतिस्थापन तथा विस्तार के लिये ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या मन्त्री महोदय ने सारे देश में पुनः चाय रोपण के लिये अखिल भारतीय योजना बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है ? चाय बगानों के उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक भाग हमारे विदेशी निर्यात का होता है और विदेशी बागान मालिक विशेषकर ब्रिटिश बागान मालिक भविष्य में सम्भाव्य राष्ट्रीयकरण की आशंका से पुनः चाय रोपण नहीं कर रहे हैं। अतः हमारे निर्यात के हित में क्या सरकार का विचार चाय बागान में पुनः चाय रोपण के लिये कोई अखिल भारतीय योजना तैयार करने का है ?

श्री ए० सी० जार्ज: मैं इस बात पर माननीय सदस्य से सहमय हूं कि हमारे निर्यात व्यापार में चाय उद्योग का बहुमत महत्व है। इस समय सरकार के विचाराधीन पुनर्रोपण की तीन सुनिश्चित योजनायें हैं। चाय बागान वित्त पोषण योजना में मैदानों में प्रति हेक्टेयर पुनर्रोपण के

लिये 7400 रुपये की व्यवस्था की गई है तथा पहाड़ियों में पुनर्रोपण के लिए प्रति हेक्टेयर 9900 रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि ऋण के रूप में दी गई है। इसके अतिरिक्त पुनः चाय रोपण अर्थ-सहायता योजना के अन्तर्गत मैदानों में पुनर्रोपण के लिये 3500 रुपये और पहाड़ियों में पुनर्रोपण के लिये 4500 रुपये दिये गये हैं। इसके उपरान्त किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत हम चाय यंत्र और उपकरण देने के मामले में भी मदद कर रहे हैं। जहां तक विदेशी कम्पनियों तथा दूसरी कम्पनियों का सम्बन्ध है, वर्तमान लक्ष्य यह है कि हमें प्रतिवर्ष कम से कम 2 प्रतिशत पुनः चाय रोपण करना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि विदेशी कम्पनियां और भारतीय कम्पनियां पुनर्रोपण के मामले में अपेक्षित कार्य नहीं कर रही हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्री लंका जैसा छोटा-सा देश भी चाय के निर्यात के मामले में हम से आगे है। उनकी पुनः चाय रोपण संबंधी व्यापक योजना है। क्या सरकार देश में पुनर्रोपण को अनिवार्य करेगी ? विदेशी बागान मालिक धन की कमी के नाम से जान बूझ कर पुनर्रोपण न करने की कोशिश कर रहे हैं। अतः क्या सरकार पुनर्रोपण के लिए उन्हें बाध्य करेगी; यदि उस कार्यक्रम को लागू नहीं किया गया तो देश के हितों की रक्षा करने के लिये विदेशी बागान का राष्ट्रीयकरण करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं समझता हूं कि मैंने इसे विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर दिया है। पुनः चाय रोपण को प्रोत्साहित करने के लिये हमारी ऋण अर्थ-सहायता तथा अन्य सहायता देने सम्बन्धी व्यापक योजना है। इस समय राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है।

श्री वरके जार्ज : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चाय उद्योग, जो काफी विदेशी मुद्रा कमाता है, अब अलाभप्रद कार्य-परिणामों के कारण संकट में है क्या सरकारी चाय पर उत्पादन शुल्क कम करके चाय उद्योग की सहायता करेगी ?

विदेश-व्यापर मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : इस समय चाय उद्योग संकट में नहीं है। वास्तव में पिछला वर्ष भी अच्छा रहा और यह वर्ष भी अच्छा रहेगा। चाय उद्योग को उत्पादन शुल्क में कमी करने अथवा अन्य कर-सम्बन्धी छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।चाय की स्थिति में सुधार हो रहा है। चाय का पिछले वर्ष का निर्यात काफी अच्छा रहा है।

Shri Ratanlal Brahman: What steps are being taken to get the closed plantations reopened ? All the new planters who purchase these plantations have a tendency to earn profits for all and then to dispose of them of and thus to destroy the plantations. Has the Government given thought to this aspect ?

Shri L. N. Mishra: My Colleague has already stated that we are trying to improve the condition of the plantations and are giving loans, subsidy, machinery and irrigation facilities, 2 percent of the gardens should be replanted every year and old tea bushes have to be removed. So far as the Darjeeling area is concerned, it is true that three gardens have been closed there. One has been closed due to defence activities and the other two have been closed due their having become uneconomic. There is no proposal to get it reopened because we are extending the area of the tea plantations elsewhere, both in the South India and Bengal.

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या सरकार को पता है कि कछार जिले में पुनः चाय रोपण नहीं किया जा रहा है ? क्या चाय बागान मालिकों ने पुनः चाय रोपण की योजनाएं आरम्भ की हैं ?

श्री ललित नारायण मिश्रा : यह कछार जिले के बारे में सामान्य प्रश्न है। मैं स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारत में और बाहर लोगों को अच्छी किस्म की चाय नहीं मिलती है, जैसा कि हमेशा चाय की बहुत-सी किस्मों--भारत की चाय, चीन की चाय, और श्री लंका की चाय--का मिश्रण करके दिया जाता है तो क्या सरकार का विचार चाय को भारत में पैक करने और वितरित करने की कोई योजना बनाने का है ताकि विश्व में पुनर्रोपित क्षेत्रों की चाय की मांग बढ़ सके ?

श्री ललित नारायण मिश्र : यह स्वाद पर निर्भर है। भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की चाय पसंद करते हैं, परन्तु हम दुर्लभ मुद्रा कमाने के लिये बढ़िया किस्म की चाय का निर्यात करने की कोशिश करते हैं।

श्री रामसहाय पांडे : क्या यह सही नहीं है कि चाहे कैसी भी योजना हमने बनाई हो, परन्तु चाय बागान मालिकों ने सरकार से जो धन लिया उसे इसके विकास के लिये काम में नहीं लाया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने चाय-उत्पादक क्षेत्रों के सदस्यों को अनुमति दी थी। मैंने समझा आप कोई नई बात कहेंगे।

श्री रामसहाय पांडे : श्रीमन्, मध्यप्रदेश में भी चाय पैदा होती है।

श्री ए० सी० जार्ज : हमारी जानकारी के अनुसार जितना धन दिया गया है उसे अच्छी तरह उपयोग में लाया गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : व्यक्ति विशेष द्वारा पुनः चाय रोपण के अतिरिक्त, जंगलों में काफी क्षेत्र है और आन्ध्र प्रदेश में अरक्का-घाटी जैसा स्थान . . .

अध्यक्ष महोदय : चाय के नये बागान की बात नहीं है। यह पुनः चाय रोपण के बारे में है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : चाय के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुये क्या सम्बन्धित विभाग को काफी और चाय का रोपण आरम्भ करने के लिये कहा जायेगा ?

श्री दशरथ देव : क्या त्रिपुरा के चाय बागान मालिकों को ऋण देने की कोई योजना है ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस पर सरकार निश्चय ही ध्यान देगी।

श्री दशरथ देव : यदि ऋण दिया जाता है, तो क्या यह देखने के लिये कि चाय बागान मालिकों ने उन योजनाओं को क्रियान्वित किया है अथवा नहीं, कोई नियंत्रण है ?

श्री ए० सी० जार्ज : अब तक हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं है ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : क्या सरकार चाय बागानों की, इस बात को देखने के लिये कि विद्रोही चाय बागान मालिक उन्हें नष्ट न करें, देख-रेख सम्बन्धी कोई व्यवस्था करती है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है । यह पहला प्रश्न था जिसका उन्होंने उत्तर दिया था ।

भूतपूर्व क्रान्तिकारियों और राजनीतिक कैदियों को पेंशन

+

*517. **श्री समर गुह :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन भूतपूर्व क्रान्तिकारियों और राजनीतिक कैदियों को पेंशन के रूप में मानदेय देने के बारे में अपनी नीति का पुनर्विलोकन करने पर सहमत हो गई है जो काफी लम्बे समय तक नजरबंद रहे या राजनीतिक बन्दी रहे ;

(ख) क्या सरकार से यह अपील की गई थी कि अन्य क्रान्तिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक बन्दियों को, जो 5 वर्ष या इससे अधिक समय ब्रिटिश जेलों या नजरबन्दी कैम्पों में रहे थे, भी वही मानदेय तथा सुविधाएं दें जो अन्दमान के बन्दियों को दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचंद्र पन्त) : (क) से (ग). सरकार ने उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन की एक योजना बनाई है जिन्हें अन्डमान में जेल हुई थी अथवा देश के बाहर जेलों में भेज दिया गया था । कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस योजना का लाभ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी दिया जाय जिन्होंने मुख्य भूमि की जेलों में लम्बी अवधि की जेल काटी थी । ये सुझाव विचाराधीन हैं ।

श्री समर गुह : श्रीमन्, इस मामले को गत दिसम्बर में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाया गया था । करीब-करीब समूचे सदन ने सरकार से अपील की थी । लगभग 25 वर्ष होने को हैं परन्तु उन स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये सरकार ने व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं किया है । उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया था जिसकी बदौलत आज आप यहां बिराजमान हैं । सरकार के लिये यह लज्जाजनक है । क्या वह उन व्यक्तियों के लिये कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकती है ? मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इसका उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री समर गुह : लगभग समूचे सदन ने सर्वसम्मति से अपील की थी । श्री कृष्णचन्द्र पन्त ने कहा था : हम उन पर भी विचार करेंगे जो विदेशों की जेलों, उदाहरणार्थ पुर्तगाल आदि में रहे । हम स्वतन्त्रता सेनानियों तथा अन्य बन्दियों के बारे में भी विचार करेंगे । उसका क्या परिणाम निकला है । उन्होंने इस सदन में वचन दिया था । स्वाधीनता आन्दोलन आदि के सम्बन्ध में जिन लोगों ने अपना जीवन जेलों में बिताया, जो या तो नजरबन्द रहे या बन्दी रहे उन लोगों को राष्ट्रीय मानदेय देने के प्रश्न पर निर्णय करने में सरकार को कितना समय और लगेगा ? उसे यह निर्णय करने में कितना समय और लगेगा कि उन्हें मानदेय दिया जायेगा अथवा नहीं . . . .

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : ताकि हम में से भी कुछ लोगों को यह मिल सके . . . .

श्री कृष्ण चंद्र पंत : देश जिन स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति आभारी है उनके प्रति सहानुभूति न होने का प्रश्न ही नहीं है । परन्तु उस आभार को मानदेय और पेंशन के रूप में पूरा नहीं किया जा सकता है । उन्हें पेंशन देना प्रथमत: राज्य सरकारों का कार्य है और यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी जाये । अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें बनाई है । गत 22 वर्षों से उन्होंने विभिन्न कदम उठाये हैं जिसके बारे में श्री गुह ने उल्लेख किया है । इनमें एकमुश्त नकद राशि का अनुदान, भूमि देना, मासिक पेंशन, स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने पर लगाये गये जुर्माने की वापसी, जब्त की गई सम्पत्ति का वापस किया जाना, पुनर्वास के लिये ऋण, उनके बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी रियायतें, सरकारी नौकरी में रोजगार के लिये प्राथमिकता, आयु-सीमा में छूट आदि शामिल है । यह कहना सही नहीं है कि कुछ नहीं किया गया है ।

जिन लोगों को विदेशों की जेलों में भेजा गया था उनके लिये भी योजना लागू की गई है । दूसरे स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये लागू की जाने वाली योजना विचाराधीन है ।

श्री समर गुह : 14 दिसम्बर को सरकार ने कहा था कि राजनैतिक बन्दियों को राज्य सरकारें पेंशनें दे रही हैं । इन स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था और अपने जीवन का अधिकांश भाग अंग्रेजों के राज्य में भिन्न-भिन्न रियासतों की स्वतन्त्रता के लिये रहीं अपितु समूचे देश की स्वतन्त्रता के लिये जेल में बिताया । क्या यह सच नहीं है कि राज्यों में उन्हें केवल 25 रुपये अथवा 30 रुपये और अधिकतम 50 रुपये सामान्य पेंशन दी जाती है ? यदि हां, तो यह लज्जा का विषय है, मुझे कहना चाहिये. . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में उन्हें 250 रुपये से 400 रुपये तक पेंशन दी जाती है । अत: यह कहना उचित नहीं है कि पेंशन की राशि बहुत कम है । इसके अतिरिक्त उन्हें जमीन भी दी गई है । अत: मेरे मित्र सब राज्यों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं ।

Shri Hukam chand Kachwai: They might be giving it to their sycophauts.

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां चापलूसी का प्रश्न नहीं है यह तथ्य हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि वह बात उनके विरुद्ध नहीं कही गयी थी । जो कहा गया उसका आशय वह नहीं समझ सके–यथा कम से कम राशि उतनी भी दी जाती है. . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न उनके गलत तथ्य देने पर था । अतः मैंने उन्हें ठीक करना चाहा था ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु वह मेरी अनुमति के बिना उठकर बोल नहीं सकते हैं । वह वरिष्ठ सदस्य हैं । वह ऐसा क्यों करेंगे ?

श्री समर गुह : मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कम से कम एक कायर सरकार की लज्जा का हामी है, जो लज्जा ढाई. . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे यही भय था कि वह ऐसा करेंगे ।

श्री समर गुह : क्या इन क्रान्तिकारियों और स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपना जीवन केवल रियासतों की स्वतन्त्रता के लिये ही समर्पित किया था अथवा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये और यदि उन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये समर्पित किया था तो क्या सरकार समूचे विषय पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करते हुये उत्तरदायित्व नहीं लेगी और स्वतन्त्रता सेनानियों को राष्ट्रीय मानदेय देने के लिये राष्ट्रीय योजना नहीं बनायेगी ? क्या कुछ राज्यों ने उन स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये आयु-सीमा 60 वर्ष तक कर दी है उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल में, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी उनके लिये सेवा अवधि 60 वर्ष तक बढ़ा कर यह सुविधा देगी क्योंकि उनमें से अधिकांश लोगों ने काफी देर बाद नौकरी कायम की थी ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें 'अगर' 'मगर' बहुत है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इन्होंने अनेक प्रश्न पूछ लिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वह एक उत्तर दे सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : वह प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य स्वयं ही प्रश्न में खो गये हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : विभिन्न राज्यों की पेंशन दरें भिन्न-भिन्न हैं । गुजरात में 20 रुपये से 50 रुपये तक है—

श्री एस० ए० शमीम : 25 रुपये उन्हें जिन्होंने 6 महीने या अधिक समय जेल में व्यतीत किया हो ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: यह जम्मू-कश्मीर में 75 रुपये, मध्य प्रदेश में 100 रुपये तक तथा राजस्थान में 250 रुपये तक है। यह विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है....

श्री इसहाक सम्भली: उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मेरे माननीय मित्र ने ध्यानाकर्षण सूचना का प्रश्न उठाया है और पूछा है कि क्या हमने उन बातों का ध्यान रखा है जो सदन में कही गयीं थीं। हमने उनका ध्यान रखा है और हमने आज सदन में व्यक्त भावनाओं को पत्रों द्वारा सभी राज्य सरकारों तक पहुंचाया है। जिन राज्यों में पेंशन कम है हमने विशेषकर उन्हें लिखा है कि पेंशन बढ़ायी जाये। हमने इस वर्ष फरवरी मास में ऐसा किया। हमने स्वतन्त्रता-सेनानियों तथा क्रान्तिकारियों को रोजगार उपलब्ध करने के लिये सहायता दी है और आजाद हिन्द फौज के लोगों को भी हमने ऐसी ही सुविधाएं प्रदान कीं। अत: हमने इन सब सुझावों का ध्यान रखा है और सभी राज्य सरकारों को लिखा है। मोटे तौर पर राज्य सरकारों की यह नीति रही है कि उन लोगों को यह पेंशन दी जाये जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

श्री समर गुह: सेवा-अवधि करने की क्या स्थिति है ? उनमें से कुछ बहुत देर से लगे। कुछ राज्यों ने आयु 60 वर्ष तक कर दी है। केन्द्रीय सरकार के अधीन नौकरी में लगे लोगों की क्या स्थिति है....

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें। ऐसा न करें। मुझे खेद है।

श्री समर गुह: आपको भी इस सरकार पर जोर डालना चाहिये।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली: केरल सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों के 50 रुपये प्रतिमास की पेंशन स्वीकृत की है जिस पर प्रतिवर्ष 17 लाख रुपये व्यय आयेगा। केरल सरकार ने भारत सरकार से 50 प्रतिवर्ष सहायता की मांग की है।

क्या सरकार से राज्य सरकार ने सहायतार्थ कोई अनुरोध किया है और उस अनुरोध पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत: मैं प्रश्न नहीं सुन सका। केरल सरकार ने 50 रुपये प्रति मास देने का निर्णय ले किया है। सारी बातों पर विचार हो रहा है।

Shri Bharat Singh Chavoan: This issue is very serious. I have been making efforts for it for the last 25 years. There was half an hour discussion on indian revolutionaries in the last Lok Sabha and the Government gave an assurance that they would provide more assistance to them. But nothing has clearly done to fulfil the assurance given during that half an hour discussion, a couple of years ago and nothing has been done to increase the meagre rate of pension in the different States. Something should be done for them at all India leval. Country may benefit from their genius. Therefore**

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* Not recorded,

अध्यक्ष महोदय : मैं रिपार्टरों को इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न करने के लिये कह रहा हूँ । मैं प्रतिदिन इस बात को दोहरा रहा हूँ । आप इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखते ?

श्री ओ० पी० नरसिम्हा रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के सभी राज्य योजना को लागू नहीं कर सकते, क्या सरकार ऐसी योजनाओं को अपने हाथ में लेगी तथा राज्यों को प्रोत्साहन देगी ताकि ऐसी योजनाऐं देश भर में लागू की जा सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मेरे विचार में देश में कोई भी राज्य इतना गरीब नहीं है जो क्रांतिकारियों के लिये इतनी छोटी राशि भी प्रदान न कर सके ।

श्री कार्तिक उरांव : आदिम जातियां कभी राष्ट्रीय आन्दोलन में पीछे नहीं रही । मैं सरकार का ध्यान बिहार के थाना मगत की ओर दिलाना चाहता हूँ जहां के लोगों ने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया, जिसके फलस्वरूप सारी भूमि जब्त की गयी और नीलाम कर दी गयी । सरकार ने समय-समय पर कई आश्वासन भी दिये, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ । मैं सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि इन लोगों को जमीन वापिस दिलाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हम थाना मगत के लोगों तथा अन्य लोगों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के लिये दिये गये योगदान का आदर करते हैं । इस मामले में किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के पृथक रूप से देखना उचित न होगा, क्योंकि सारे देश ने उस आन्दोलन में भाग लिया था । इनकी जमीन को उन्हें वापिस दिलाने सम्बन्धी क्या स्थिति है, इसका उत्तर देने के लिये मुझे समय चाहिये मुझे राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

श्री मधु दंडवते : क्या यह सच है कि नेताजी द्वारा बनाई गई आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को क्रान्तिकारी तथा स्वतन्त्रता सेनानी होने के बावजूद भी पेंशन की वे सुविधाएं नहीं दी जातीं जो ब्रिटिश सेना के वफादार सैनिकों को दी गयीं और, यदि हां, तो क्या सरकार विचार करके आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को भी पेंशन की ऐसी सुविधाऐं देगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को भी आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजनैतिक पीड़ित माना गया है ।

भारतीय प्रशासन सेवा / भारत्रीय विदेश सेवा में प्रवेश करने वालों के स्तर में गिरावट

*518. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा / भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश करने वालों के स्तर में पिछले १५ वर्षों से गिरावट आती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा में भर्ती प्रति वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है उत्तरदायित्व के जो पद इन सेवाओं के सदस्यों ने संभालने हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने इन सेवाओं के चयन के लिए प्रतिमान निर्धारित किये हैं।

सरकार द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर कुछ समय पूर्व भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा में अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर, जिनकी नियुक्ति की जानी है, प्रथम श्रेणी के स्नातकों के परीक्षा में बैठने के अनुपात में क्रमशः गिरावट दिखाई पड़ी है। इस गिरावट के कारणों और प्रवेश करने वाले की योग्यता पर इन प्रभावों का भी गम्भीर रूप से अध्ययन हो रहा है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए किये जाने वाली कार्यवाही उक्त अध्ययन के परिणाम के आधार पर निश्चय की जायेगी।

श्री श्यामनंदन मिश्र : यदि सरकार उनके कार्य के बारे में नियमित रूप से रिपोर्टें प्राप्त करती है, जैसा कि मेरे विचार में होता भी है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्राधिकारियों की योग्यता तथा सत्य निष्ठा के बारे में उनका क्या मुल्यांकन है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : कुल मिलाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्य बहुत संतोष-जनक रहा है।

श्री श्यामनंदन मिश्र : मंत्री महोदय ने बताया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रति-योगिता में भाग लेने वाले प्रथम श्रेणी के स्नातकों की संख्या में गिरावट आयी है। इसके क्या कारण हैं ? अन्य स्थानों के लिये आकर्षित होना तथा भारतीय प्रशासन में सुरक्षा की भावना न होना आदि-आदि ही क्या इसके कारण हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने कहा प्रथम श्रेणी केस्नातक भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता में कम संख्या में क्यों भाग लेते हैं और काफी संख्या में क्यों नहीं चुने जाते हैं, इन बातों पर बड़ी गहराई से विचार किया जा रहा है। मोटे तौर पर इसके कई और भी कारण हो सकते हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी कई आकर्षक प्रतियोगितायें होती हैं जहां ये प्रथम श्रेणी के स्नातक जाना पसंद करते हैं। एक विश्वविद्यालय का स्तर दूसरे विश्वविद्यालय से भिन्न हो सकता है और यह भी सम्भव हो सकता है कि एक विश्वविद्यालय का दूसरी श्रेणी का स्नातक यौग्यता में दूसरे विश्वविद्यालय के पहली श्रेणी के स्नातक के बराबर ही हो।

श्री ए० पी० शर्मा : प्रसाशन सुधार आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आयु की अधिकतम सीमा 27 वर्ष तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रशासन सुधार आयोग की यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एल० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बात पर गहराई से विचार किया जा रहा है । क्या यह सच नहीं कि उनका वेतन बहुत कम होता है और योग्य लोग भारतीय प्रशासनिक तथा विदेश सेवाओं की अपेक्षा गैर सरकारी क्षेत्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं ? क्या सरकार उनके वेतन में वृद्धि करके उन्हें अधिक आकर्षक बनायेगी ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर अधिक लोग आकर्षित न हों ।

श्री राम निवास मिर्धा : योग्य व्यक्तियों के आकर्षित न होने का एक कारण वर्तमान वेतनमान भी हो सकता है । इसीलिए यह प्रश्न तीसरे वेतन आयोग को भेजा गया हैं । यह पहला अवसर है कि उनके वेतनमान का मामला वेतन आयोग को भेजा गया है । मेरे विचार में इस नौकरी की जिम्मेवारियों तथा सरकार के अदा करने के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग इस पर विस्तारपूर्वक विचार कर रहा है ।

Shri Bibhuti Mishra: Is it a fact that the reason for the decline in the standard of I. A. S. personnel is; that the marks of the candidates passing the examinations of various universities in third divisions are increased and the same thing happens here also ? Will the Government ensure impartial marking to the students appearing in B. A., M. A. or other competitive examinations ? The standard will not improve unless this is insured.

Mr. Speaker: You are giving suggestions.

Shri Bibhuti Mishra: There is a Medical college in Bihar . . .

Shri Ram Niwas Mirdha: Whatever has been stated by the hon. Member can not be commented upon logically. To say that 3rd class students are awarded 1st class is an allegation against our Universities which should not be made by us.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : महिलाएं प्रशासनिक कार्य के लिए बहूत अच्छी रहती हैं ।

श्री पीलू मोदी : कोई उदाहरण तो दीजिए ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मुझे बताया गया है कि हमारे राज्य गुजरात में महिला अधिकारियों ने उत्तरदायित्व पूर्ण पदों के कार्य को अच्छी तरह निभाया है । जो थोड़े से महिला अधिकारी भरती किये गये थे उन्होंने आदर्श रूप से कार्य किया है । मुझे बताया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा में विवाहित महिलाओं की भरती पर प्रतिबन्ध है । ऐसा क्यों है ? जब मैं स्नातका बनी तो मैं स्वयं भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देना चाहती थी और मुझे बताया गया कि विवाहित होने के नाते मैं उसके लिये पात्र नहीं थी । यह बाधा दूर होनी चाहिए ।

श्री रामनिवास मिर्धा : सौभाग्य की बात है कि माननीय महिला सदस्या भारतीय प्रशा-

सनिक सेवा के लिये नहीं चुनी गयी। इससे उक्त सेवा की जो सम्भावित हानि हुई वे इस सदन के लिये लाभप्रद सिद्ध हुई है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा: जब विवाहित पुरूष पात्र हैं तो विवाहित महिलाओं को पात्र न मानना अन्याय है . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपकी निन्दा नहीं की अपितु प्रशंसा की है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा: मुझे अपने बारे में चिन्ता नहीं है अपितु महिला वर्ग की चिन्ता है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकतर सदस्य नौकरी वाले परिवारों से आते हैं और कृषि तथा व्यापार में लगे लोगों के परिवारों से बहुत कम आते है। अधिकतर सफल उम्मीदवार उन परिवारों के होते हैं जिनकी आय 1000 रुपया अथवा अधिक होती है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछें।

श्री ज्योतिर्मय बसु: यह तथ्य है। उक्त सेवा के अधिकतर सदस्य नौकरी वाले परिवारों से क्यों आते हैं और उसमें कृषक तथा व्यापारी वर्गों का प्रतिनिधित्व कम क्यों है ? सफल उम्मीदवार 1000 रुपये से अधिक वेतन पाने वालों के पुत्र ही क्यों होते हैं और 44 प्रतिशत ऐसे क्यों होते हैं जिन्होंने पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा: माननीय सदस्य इलाहबाद विश्वविद्यालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण से उद्धरण दे रहे है। परन्तु सर्वेक्षण क्योंकि एक सीमित प्रकार की है अतः इसे सामान्य रूप देना सम्भव नहीं है।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन के फलस्वरूप चौथी योजना में परिवर्तन

*520. **श्री कमल मिश्र मधुकर**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के भारी संख्या में आगमन के परिणामस्वरूप सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य परिवर्तन करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत हो रही सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का, जिसमें पूर्व पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने आले विस्थापित भी शामिल हैं, ध्यान रखा जायेगा।

Shri K. M. Madhukar: The problem of refugees has become very acute. All the countries, whether it be America or England do not want that the problem of Bangla Desh should be solved and while that problem is containing the influx of refugees is increasing. It is causing heavy strain on our economy. Are the Government formulating any plan or do the Government propose to make provision in the Fourth Plan to create employment opportunities for the refugees and to enable them to earn their livelihood.

I would also like to know the likely impact of this problem on our economy.

श्री मोहन धारिया : सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये सभी शरणार्थियों को यहां पर रखना सरकार की नीति नहीं है । . . . (**व्यवधान**) . . . सरकार की नीति अति स्पष्ट है कि जो लोग पूर्वी पाकिस्तान अथवा बंगला देश से आये हैं उन्हें अपने भूत देश को वापस जाना पड़ेगा । यह अस्थायी समस्या है और प्रस्तुत बजट में उसके लिये 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । यदि चौथी योजना में परिवर्तन के बाद कुछ और राशि की आवश्यकता हुई तो उस पर विचार किया जायेगा ।

Shri K. M. Madhukar: Has some dead line been fixed as to the time up to which these refugees would be returned here and after which they would have to go ?

श्री मोहन धारिया : प्रश्न चौथी योजना में परिवर्तन के सम्बन्ध में है । पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : चौथी योजना का अनेक बार पुनर्विलोकन किया गया है और उसका पुनरीक्षण किया गया है । क्या मैं जान सकता हूँ कि जब सरकार उक्त योजना का पुनर्विलोकन कर रही है, तो क्या चौथी योजना के मूलभूत सिद्धान्त पूर्ववत् रहेंगे ?

श्री मोहन धारिया : आयोजन के मूल सिद्धान्त हमारे घोषित उद्देश्यों के अनुरूप ही हैं । उनमें परिवर्तन नहीं होगा । प्रश्न केवल प्राथमिकताओं का है । और साधन जुटाने का है ।

सूती कपड़े के निर्यात में कमी

4521. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में अप्रैल में समाप्त होने वाली चार महीनों की अवधि में सूती कपड़े के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि में वास्तव में निर्यात में कितनी कमी हुई है; और

(घ) सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जनवरी-अप्रैल, 1971 के चार महीनों में सूती कपड़े के निर्यात, 1970 की उसी अवधि के निर्यातों से लगभग 6.60 करोड़ रुपये कम है ।

देशी रुई की अपर्याप्त उपलब्धता तथा ऊंची कीमतें तथा वस्त्र उद्योग में अपर्याप्त आधुनिकीकरण के कारण, रूपान्तरण की अधिक लागत के कारण विदेशी बाजारों में भारतीय सूती कपड़े की प्रतिस्पर्धा-शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । निर्यातों में वृद्धि करने के लिये किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(1) रूई की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये, स्टाक, ऋण-नियंत्रण एवं अन्य व्यापारिक सुविधाओं का कड़ा विनियमन ।

(2) विदेशी रूई की भारी मात्रा में आयात करने के लिये प्रबन्ध करना ।

(3) निर्यात करने वाली मिलों को विदेशी रूई का आवंटन ।

(4) निर्यात करने वाली मिलों के आधुनिकीकरण को उनके लिये सुलभ ऋणों का प्रबन्ध करके तथा उनको मशीनों के आयात के लिये अनुमति देकर प्रोत्साहन देना ।

श्री भान सिंह भौरा: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश सरकार ने वस्त्रों के आयात पर 15 प्रतिशन शुल्क लगाया है और उसका हमारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि उसका प्रतिसार करने तथा ब्रटिश सरकार के निर्णय को बदलवाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री ललित नारायण मिश्र: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मैंने इस प्रश्न का पहले ही विस्तार से उत्तर दे दिया है । मैंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार की स्थिति क्या है और इसका हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले स्वीकार किया गया था । मैं समझता हूं कि इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । अगला प्रश्न

Export of Cotton Textiles to Britain, U. S. A. and Russia

*524. **Dr. Laxminarain Pandey**: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) the quantity of cotton textiles exported from India to Britain, U.S.A. and Russia annually;

(b) the percentage of tariff charged by the said countries thereon;

(c) whether the U.S.A. proposes to charge tariff at the rate of 15 per cent on the said cloth; and

(d) if so, the action taken in this regard?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra): (a) to (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Exports during 1970 are estimated to be:—

U. K	Rs. 1538. 7 lakhs
U. S. A.	Rs. 1033. 0 lakhs
Russia	Rs. 1688. 6 lakhs

There is no import duty on imports form India in the U. K. and Russia. The U.S.A. levy duties on yarn and cotton fabrics ranging from 6.27 per cent to 18.18 per cent. Duty on ready made garments ranges from 8.5 per cent to 38 per cent.

There is no proposal from U.S.A. to increase tariff. However, U. K. Goverment have announced their intention to levy 15% tariff on imports of cotton textile from India with effect from 1-1-1972. Matter has been taken up with U. K. Government for dissuading them from imposition of duty.

Dr. Laxmi Narayan Pandey: Mr. Speaker, Sir, the hon. minister has said in his statement that the matter has been taken up with the U. K. Government. May I know the result thereof ? and if the response is not satisfactory, may I know what effective steps the Government is going to take to persuade the U. K. Government to have an amicable settlement ?

Shri L. N. Mishra: As I have earlier said no satisfactory result has yet been achieved.

Dr. Laxmi Narayan Pandey: May I know whether as a reaction to Britain's decision Government propose to snap our ties with the Commonwealth.

Shri L. N. Mishra: It is an important matter and I connot say anything off-hand. Undoubtedly, it will give us a severe blow, we have told them that there is a lott of resentment over that in this country as also in this House.

Shri Satpal Kapur: The hon. minister has said we will suffer a lot as a result of the attitude that British Government is going to adopt in this regard. In view of this why does the Government not review its whole policy, policy of sticking to Commonwealth. . . (*Interruption*). . . . and if they do not change their attitude we can withdraw our membership from the Commonwealth.

Mr. Speaker: The answer to this question has already been given.

श्री ज्योतिर्मय बसु: निर्यात होने वाले सूती कपड़े में तैयार माल तथा धागे की प्रतिशतता क्या है ।

श्री एल० एन० मिश्र: इसके लिए मुझे पूर्व सूचना दी जाए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: हमें अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा से हानि हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए पृथक से सूचना दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु: हमने इस सम्बन्ध में कई बार सूचना दी है किन्तु इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं मिली।

Shri A. B. Vajpayee: Mr. Speaker, Sir according to the statement laid on the Table U. S. A. has levied duties on yarn ranging from 6.27 per cent to 18.18 per cent. Duties are levied on ready made garments also. Has the Government taken any steps to let the duty reduced ?

Shri L. N. Mishra: Yes Sir. We have tried for this. Recently our senior officials had gone to America and they had discussed this matter. The quota has been increased and they have asked for reduction of the duty so that exports can be boosted.

India's exports under Preferential Treatment Scheme of Developed Countries

*528. **Shri N. S. Bisht:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether any programme has been chalked out by his Ministry to increase exports under the Preferential Treatment Scheme of the developed countries;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the spheres of industry which would be developed and expanded under the said Scheme and the extent to which India's export trade is likely to be increased and the number of persons likely to be provided with employment as a result of implementation of this programme ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The UNCTAD Special Committee on Preferences concluded its work after long and protacted negotiations and adopted certain agreed conclusions on the 12th October, 1970 in order to implement the New Delhi UNCTAD-II Resolution 21 (II) on a Generalised System of Preferences in favour of all developing countries on a non-reciprocal and non-discriminatory basis.

The Government of India have set up several working groups on manufactured items having good export potential. These groups are continuously reviewing the opportunities available to India under the General System of Preference with a view to taking appropriate follow up action.

The Indian Institute of Foreign Trade which is conducting a detailed and comprehensive study on this subject has published an interim report under the title "New Opportunities for India's Exports" explaining the tariff concessions that would be available to India

under the Generalised System of Preferences in all the markets of the Industrially advanced countries.

All the Export Promotion Countries, the Federation of Indian Export Organisations, Federation of Indian Chembers of Commerce and Industry, Trade Development Authority, Development Commissioner, Small Scale Industries and other authorities have been fully appraised of the benefits that are likely to accrue to India's trade under the G. S. P. and also requested to take appropriate action for reaping the benefits under the scheme.

In view of complicated nature of these offers it is not possible to make an accurate assesment of extent to which individual industries should be expanded under the scheme. The extent to which India's export trade is likely to be increased and the number of persons likely to be provided with employment as a result of implementation of the scheme cannot also be forecast at this stage. These advantages will be available to all developing countries. The increase in the share of trade will depend upon competitive ability of each country. It can only be said that considerable benefits are likely to be derived as soon as the scheme is launched by the developed countries.

Only the EEC has so far indicated that it is likely to implement the scheme with effect from 1-7-71. The dates for implementation of the scheme by other industrially advanced countries have not yet been officially specified, although press reports have suggested that Japan will implement its scheme by the 1st October, 1971.

Shri N. S. Bisht: Mr Speaker, Sir, it has been said in the statement that certain agreed conclusions were adopted on 12th Oct. 1970, May I know the action Government took in that regard during the last eight-nine months ?

Shri L. N. Mishra: Negotiations are going on but we have not arrived at any definit or positive step.

Shri N. S. Bisht: What are the reasons for that ?

Shri L. N. Mishra: As the hon. member knows that it is not concerned with only one country 5 to 10 countries are involved in it. Certain decisions were taken during last session and negotiations are still going on .. .. (*Interruptions*)

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिये सीमा आयोग

*529. **श्री मनी राम गोदरा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ के बारे में प्रधान मन्त्री के 29 जनवरी, 1970 के पंचाट में प्रस्तावित पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिये सीमा आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को हरियाणा और पंजाब सरकारों की ओर से पंचाट की क्रियान्विति के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) (क): 29 जनवरी, 1970 को की गई घोषणा के अनुसार सीमा आयोग के विचारार्थ विषय पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद तय किये जाने हैं। मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किये गये हैं किन्तु अभी तक एक राय नहीं हुई है।

(ख) और (ग): ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं किन्तु सरकार निर्णयों को यथाशीघ्र कार्यरूप देने की इच्छुक है।

Shri Mani Ram Godra: The hon. Minister has stated that discussions have been held regarding terms of reference with the Chief Minister of states but no consensus has emerged so far. May I know whether the Central Government propose to appoint a commission with its own terms and refrence *Suomoto* ?

Shri K. C. Pant: Uptill now we have been trying to find a solution by mutual agreement of the Chif Ministers but it seems that the problem cannot be solved in this manner. How to tackle this problem now is recieving our consideration.

Shri Mani Ram Godra: May I know from the hon. Minister at what stage the question of obtaining the consensus of the Chief Ministers of the states arose since at the time the cabinet took decision the consultation with Chief Ministers was not contemplated. Besides, has any state Government asked for implementing the decision of the cabinet. There is no need of appointing a Commission because State Governments do not agree on terms of reference. What does the hon. Minister say about it ?

Shri K. C. Pant: The negotiations that have been carried uptill now had nothing to do with the implications of the terms of reference but were mostly concerned with securing an agreement between the states for mutual transfer of certain villages from one state to the other to secure the implementation of the decision of the Government. The Government sticks to its decision which was published on 29th January, 1970. Since there is no agreement between the states, we have to think of other methods. But this does not mean that Government has changed its views.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को अखबारी कागज का आवंटन

*512. **श्री एस० आर० दामाणी:** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रादेशिक भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आवंटन करने के लिए क्या कसौटी अपनाई जाती है; और

(ख) समाचार पत्रों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने हेतु किस प्रकार का संगठन है और मामलों का निपटारा करने के लिए उस संगठन ने स्वविवेक शक्तियों का किस सीमा तक उपयोग किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं, जिनमें प्रादेशिक भाषाओं के दैनिक समाचारपत्र भी सम्मिलित हैं, को अखबारी कागज अलाट करने का मापदण्ड वर्ष की अखबारी कागज के बारे में सरकार की आयात नीति के अंग के रूप में हर वर्ष घोषित किया जाता है। वर्ष 1971-72 के लिए अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति 7 अप्रैल, 1971 को सार्वजनिक सूचना संख्या 36 आई० टी० सी० (पी०एन०) 71 द्वारा घोषित की गई थी। इसकी एक प्रति 26 मई, 1971 को इस सदन की मेज पर रख दी गई थी।

(ख) समाचारपत्रों को अखबारी कागज के आवंटन के विरुद्ध शिकायतों की सामान्यतया समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा परिचालन संख्या आदि से सम्बन्धित उपलब्ध डाटा के आधार पर जांच की जाती है। मन्त्रालय को जो शिकायतें की जाती हैं उनकी जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति पर ठीक से अमल हो रहा है।

समाचारपत्रों पर विदेशी धन का प्रभाव

*514. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने देश के कतिपय समाचारपत्रों पर विदेशी धन के प्रभाव के कुछ मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). विदेशी धन की भूमिका के बारे में आसूचना विभाग की रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर साधारण व वास्तविक व्यापारिक लेन-देन के अलावा विदेशी संस्थाओं, एजेन्सियों अथवा व्यक्तियों से धन की प्राप्ति पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाने के लिए अस्थायी विधायी प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिये गये हैं। प्रस्तावित विधान में अन्तर्निहित सिद्धान्तों पर विरोधी दलों के नेताओं से यथाशीघ्र विचार-विमर्श करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

तेलंगाना की समस्या के समाधान के लिये नया सूत्र

*515. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना समस्या का राजनैतिक हल ढूंढने के लिए तेलंगाना के नेताओं द्वारा केन्द्रीय सरकार को एक नया सूत्र प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त सूत्र के बारे में सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). तेलंगाना के कुछ नेताओं ने कई अवसरों पर तेलंगाना क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत की है । बातचीत अभी जारी है ।

चाय बोर्ड के कार्यकरण को सुचारू बनाना

*519 **श्री फूल चन्द वर्मा**: क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु सरकार के पास पिछले तीन वर्षों से कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं और चाय बोर्ड के कार्यकरण को सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई मामला लम्बित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सोवाएक्सपोर्ट और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के बीच भारतीय फिल्मों के निर्यात के लिए करार

*522. **श्री मुहम्मद शरीफ**: क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ को भारतीय फ़िल्में निर्यात करने के लिए सोवाएक्सपोर्ट फिल्म और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लि० के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त सौदे से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) एक करार, जो पांच वर्ष के लिए वैध था, 31 अक्टूबर 1969 को दिया गया था और वह 13-3-70 से प्रभावी हुआ । फिल्मों के वार्षिक आयातों तथा निर्यातों का परिमाण प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाना है । वर्ष 1971 का कार्यक्रम 17-5-71 को किये गये करार के आधार पर तैयार किया गया है । 17-5-71 को निश्चित किये गये वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सोवएक्सपोर्ट मास्को वर्ष 1971 में लगभग 20.6 लाख रु० मूल्य की भारतीय फिल्मों का आयात करेगा ।

(ख) करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:–

(1) राज्य व्यापार निगम प्रति वर्ष 25 रूपक चलचित्रों का आयात करेगा और इसके साथ ही इतने ही वृतचित्र अथवा लोकप्रिय वैज्ञानिक चलचित्र तथा कार्टून फिल्मों

का आयात करेगा, जो कुल मिला कर लम्बाई में 15 लाख फुट से अधिक की न होगी ।

(2) सोवियत एक्सपोर्ट फिल्म मास्को प्रतिवर्ष कम से कम 8 लाख रु० मूल्य की भारतीय फ़िल्में आयात करेगा । यह व्यवस्था 13-3-70 से पांच वर्ष के लिए वैध होगी ।

वर्ष 1667 -68 से 1970-71 तक सोवियत संघ को निर्यातित भारतीय फ़िल्मों का कुल मूल्य निम्नलिखित है:—

	मूल्य लाख रु० में
1967-68	4.89
1968-69	4.98
1969-70	4.16
1970-71 (नवम्बर 70 तक)	1.53

चलचित्र वित्त निगम को वित्तीय सहायता

*523 **श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलचित्र वित्त निगम को कुछ अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गई है और किन परियोजनाओं के लिए यह सहायता दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदिनी सतपथी) : (क) और (ख). जी, हां । केन्द्री सरकार ने 1970-71 के दौरान फिल्म वित्त निगम को फिल्मों के निर्माणार्थ आर्थिक सहायता देने तथा फ़िल्मों के प्रदर्शन के लिए थियेटरों को लीज पर लेने के लिये कुल मिलाकर 32 लाख 50 हजार रुपये के ऋण मन्जूर किये हैं । फ़िल्मों के निर्माणार्थ आर्थिक सहायता देने तथा वितरण एवं प्रदर्शन का व्यय वहन करने के लिए 1971-72 के बजट प्राक्कलन में ३० लाख रुपये की व्यवस्था भी की गई है । यह भी निर्णय किया गया है कि पांच वर्ष के लिए फ़िल्मों के निर्माणार्थ फिल्म वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों की कुल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर हर वर्ष राजकीय सहायता दी जाए । 1971-72 के दौरान निगम को राजकीय सहायता देने के लिए 1971-72 के बजट प्राक्कलन में 3 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

उर्दू के समाचारपत्रों में प्रकाशित लेखों के कारण साम्प्रदायिक वैमनस्य

* 525. **श्री पी० वेंकटसुब्बया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि जब से पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का संहार आरम्भ किया है तब से देश में अधिकांश उर्दू के समाचारपत्र हमारी सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की कटु आलोचना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उर्दू के कुछ समाचारपत्र देश में अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, नहीं। यह उर्दू के अधिकतम या अधिकांश समाचारपत्रों के बारे में सही नहीं है।

(ख) तथा (ग). सरकार कड़ी नजर रख रही है और जब भी जरूरी हुआ उपयुक्त कदम उठायेगी।

आयात-नीति

* 526. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1971-72 में सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा 51 अतिरिक्त वस्तुओं का आयात किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम के अतिरिक्त उन एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (अ) जी हां।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, हिन्दुस्तान स्टील लि०, इंडियन आयल कार्पोरेशन और धातु स्क्रैप व्यापार निगम।

केरल से नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात

* 527. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि समाजवादी देशों में केरल की नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) क्या इन देशों को नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के प्रयोजन से सरकार विशिष्ट कार्यवाही करना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). हाल ही के वर्षों में भारत से पूर्वी यूरोप को कयर (नारियल जटा) के माल के निर्यात में संतोषजनक वृद्धि हुई है । इन निर्यातों का परिमाण तथा मूल्य निम्नलिखित है:—

वर्ष	परिमाण (क्विंटल में)	(मूल्य रु० में)
1968	1,30,034	2,92,33,962
1969	1,49,995	3,51,40,915
1970	2,03,767	5,29,64,861

सरकार कयर के माल के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक स्वरूप वाले उपाय कर रही है, यथा उत्पाद सुधार, क्वालिटी नियंत्रण पोत-लदान पूर्व निरीक्षण आदि । कयर उद्योग की अवस्थापना के पुनर्गठन तथा उत्पादन पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिये उपाय किये जा रहे हैं ताकि कयर भारतीय माल के लिये अधिकाधिक मांग तैयार की जा सके । इन उपायों का उद्देश्य विशेषत: यूरोप के समाजवादी देशों को ही नहीं अपितु समस्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात बढ़ाना है ।

कयर बोर्ड व्यापार मेला तथा प्रदर्शनियों में भाग लेकर पूर्वी यूरोप में प्रचार कार्य कर रहा है ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों का आर्थिक विकास

* 530. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर के पूर्वी भाग, बस्तर क्षेत्र और श्रीकाकुलम् जिले के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों का विकास करने हेतु विशेष उपाय करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). उत्तरप्रदेश की 965 करोड़ रुपये की चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने पूर्वी जिलों के लिए विकास के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 219.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । बस्तर और श्रीकाकुलम् जिले के प्रमुखतया आदिवासी क्षेत्र हैं, इनमें एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत आदिवासी विकास खण्ड काम कर रहे हैं । इन आदिवासी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए अन्य कार्यक्रम चालू करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

ग्रामीण रोजगार की तूफानी स्कीम से देश के सभी जिलों को लाभ पहुंचेगा, इसके अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय कार्यक्रम जिनसे ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों को लाभ पहुंचने की संभावना है ये हैं:—

कार्यक्रम	जिले
उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले	
(1) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिए रियायती वित्त की व्यवस्था ।	जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गौंडा, बस्ती, बहराइच ।
(2) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थिर पूंजी के 10 प्रतिशत के बराबर उपदान (सब्सिडी) सहायता	बलिया
(3) लघु कृषक विकास अभिकरण	प्रतापगढ़
(4) सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूर	बलिया
(5) सूखा प्रबल क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम	मिरजापुर, इलाहाबाद, वाराणसी
(6) वारानी भूमि कृषि परियोजना	गाजीपुर
बस्तर जिला	
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए रियायती वित्त की व्यवस्था ।	बस्तर
श्रीकाकुलम् जिला	
लघु-कृषक विकास अभिकरण	श्रीकाकुलम्

बीकानेर-दिल्ली ट्रंक लाइन

*531. **डा० कर्णी सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन यह प्रस्ताव है कि बीकानेर-दिल्ली की खराब ट्रंक लाइन को चालू वर्ष में नया केबल बिछा कर चालू किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) जी हां ।

(ख) सीधी सहधुरीय प्रणाली पर बीकानेर से दिल्ली तक एक नया आपरेटर डाग्लिंग सर्किट और दो करचल सर्किट पहले ही काम कर रहे हैं । शेष दो सर्किटों को मूल मिश्रित (खली

तार और सहधुरीय) मार्ग पर रखा जाता है। जुलाई 1971 के मध्य तक उन्हें पूर्णतः सहधुरीय पर काम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

नगरों और गांवों में 'भित्ति समाचार-पत्र' आरम्भ करना

*532. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व 'भित्ति समाचार-पत्र' आरम्भ किये गये थे और यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ख) उन नगरों के क्या नाम हैं जहां 'भित्ति समाचार-पत्र' आरम्भ किये गये हैं, और इनको कितने दिनों के बाद निकाला जाता है तथा इन समाचार-पत्रों में किस प्रकार की घटनाओं को प्रधानता दी जाती है;

(ग) क्या भित्ति समाचार-पत्र गांवों में भी आरम्भ किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, हां। देश में विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों तथा उपलब्धियों को बताने के लिये "हमारा देश" नामक दीवारी समाचारपत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में 20 जनवरी, 1970 को आरम्भ किया गया था। बाद में बंगला, मराठी, तमिल तथा उर्दू के संस्करण शुरू किये गये हैं।

(ख) से (घ). दीवारी समाचारपत्र साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया जाता है तथा इसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय प्रचार एककों, राज्य सरकारों तथा सीधे डाक के माध्यम से देश भर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रदर्शित की जाती है। दीवारी समाचारपत्र में विकासात्मक उपलब्धियों से सम्बन्धित घटनाएं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं, छापी जाती हैं।

पश्चिम बंगाल में आने वाली और वहां से जाने वाली डाक के वितरण में अत्यधिक विलम्ब

*533. **श्री त्रिदिब चौधरी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पश्चिम बंगाल में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्रों में रेल-संचार भंग होने, तथा उस राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी होने से डाक भेजने तथा वितरण करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा न होने के कारण

पश्चिम बंगाल सर्किल में आने वाली और वहां के डाकघरों से अन्यत्र जाने वाली डाक के वितरण में बहुत विलम्ब होता है; और

(ख) क्या इस विलम्ब को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार से परामर्श करके कोई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) पश्चिम बंगाल में आने वाली और वहां के डाकघरों से अन्यत्र जाने वाली डाक के वितरण में विलम्ब की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें बहुत सी शिकायतें राज्य में गड़बड़ी की स्थिति और कभी-कभार रेल-संचार के भंग होने के कारण होती हैं।

(ख) स्थानीय पुलिस और राज्य प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क कायम रखा जाता है और डाक संचार व्यवस्था को नियमित रूप से सुनिश्चित बनाये रखने के लिए जब-कभी आवश्यकता पड़ती है उनकी सहायता ली जाती है।

Box Containing Chinese Leterature Etc. Found in Mirzapur District (Uttar Pradesh)

*534. **Shri R. V. Bade:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a box containing Chinese Literature, photographs, cameras, transistors batteries was found by a villager at an uninhabited place in Mirzapur District on the Uttar Pradesh-Bihar border during the second half of May, 1971; and

(b) whether any investigation has since been made in this regard by the State Government.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant): (a) and (b) According to information received from the Government of Uttar Pradesh, some polythene material and a carton with Kuomintang literature were recovered on May 18, 1971, from a jungle near Keotam Village, Panoganj P. S , in District Mirzapur. One transmitter/receiving set along with 6 volts U. S. A. battery, some alkaline solution in a small tin container covered with 6 pieces of insulating material, an electric underwear and a button, probably a memorial medal to celebrate the 60th Anniversary of Republic of China were also recovered. The literature weigh about 20 lbs. and consists of pro-Chiang Kai Shaik papers and a gist of his speeches. The instrument appears to be ment for transmitting meterological reports. In all probability, they came in a meterological balloon and were intended for the Mainland of China and had drifted into India.

त्रिपुरा और मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना

*535. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार लोक सभा के चालू सत्र में, त्रिपुरा और मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने हेतु विधेयक लाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : पुर: स्थापित करने के लिए विधेयक को यथाशीघ्र तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सरकारी सेवा में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण

*536. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वर्तमान जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती के लिए इन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख). 1961 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में इन सामुदायों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार की सेवाओं में गृह मंत्रालय के संकल्प सं० 27/25/68-स्थापना (एस०सी०टी०) दिनांक 25 मार्च 1970 [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 429/71**] के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लिए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता 25 मार्च, 1970 से पहिले ही बढ़ा दी गई है। 1971 की जनगणना के आधार पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति की जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, अतः इस समय आरक्षण की प्रतिशतता के लिए और आगे कोई पुनर्विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में 'स्थल पत्तन' की स्थापना

*537. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में एक स्थल पत्तन की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन का प्रश्न यह विनिश्चिय हो जाने के पश्चात ही उठेगा कि शुष्क पत्तन की स्थापन की जानी है अथवा नहीं।

तिरुपति में आकाशवाणी केन्द्र

*538. **श्री टी० बालकृष्णया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुमला तिरुपति देवेस्थानम् और तिरुपति नगर-परिषद् की ओर से प्राप्त किसी अभ्यावेदन में केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश के तिरुपति अथवा तिरुमला-चित्तूर जिले में आकाशवाणी का प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) क्या तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् ने आकाशवाणी केन्द्र के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । परन्तु इस सुझाव पर अमल करना सम्भव नहीं पाया गया है ।

योजना आयोग और राज्य योजना निकायों में पारस्परिक सम्बन्ध

*539. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **योजना** मंत्री 26 मई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य योजना निकायों के साथ-साथ योजना आयोग किस प्रकार कार्य करता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये गये हैं;

(ग) क्या राज्यों में योजना सैल स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन योजना सैलों का योजना आयोग से क्या सम्बन्ध है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). राज्य योजना संस्थाओं को, राज्य सरकारों की योजना के सम्बन्ध में सहायता पहुंचाना तथा सलाह देना होता है । राज्य योजना विभाग योजना आयोग से पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में संपर्क स्थापित करते हैं ।

राज्य सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार योजना संगठनों का गठन करती हैं । सामान्यतया प्रत्येक राज्य में एक अलग योजना विभाग होता है । कुछ राज्यों में योजना संगठन वित्त, सामान्य प्रशासन आदि से सम्बन्धित विभाग का अंग होता है । अन्य विभागों तथा अधीनस्थ संस्थाओं की व्यवस्था प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है । ये राज्य सरकारों से या जिन विभागों के ये अंग होते हैं उनसे अलग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते । योजना आयोग राज्य के योजना से सम्बन्धित कार्य करने वाले विभाग से संपर्क रखता है ।

मैसूर जिले में हरिजनों के घरों का जलाया जाना

2252. **श्री सिद्दय्या** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मार्च, 1971 में मैसूर जिले के हांचीपुरा

गांव में नन्जागुड ताल्लुक में हरिजनों के अनेक घरों को जला दिया गया था और उनका सब अनाज और सामान नष्ट हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उनको बसाने के लिये कितना मुआवजा दिया गया और क्या उन्हें फिर से पूरी तौर से बसा दिया गया है; और

(ग) क्या आग लगने के कारण की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 मार्च, 1971 को मैसूर जिले के नन्जागुड ताल्लुक में हांचीपुरा गांव में, आकस्मिक अग्नि में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की 99 झोंपड़ियां तथा देसी खपरेलों के मकान जल गये। 103 परिवारों को 62.553 रु० की हानि उठानी पड़ी। तुरन्त अनुदान के रूप में प्रत्येक परिवार को 20–20 रुपये दिये गये थे। इसके अतिरिक्त नन्जागुड ताल्लुक बोर्ड द्वारा प्रत्येक परिवार को 25-25 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। राज्य सरकार ने पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए 25,905 रुपये की और राशि स्वीकृत की है। स्थानीय रूप से दिये गये दानों में से अस्थायी आश्रय तथा भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने एक उपयुक्त स्थान को चुना है।

(ग) पुलिस अधीक्षक तथा सहायक आयुक्त, नन्जागुड ने मामले की जाँच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें कोई धोखा नहीं था और यह कि आग आकस्मिक थी।

हुमनाबाद, मैसूर राज्य में डॉ० बी० आर० अम्बेडकर की प्रतिमा का नष्ट किया जाना

2253. **श्री सिद्दय्या** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1971 में डा० बी० आर अम्बेडकर की एक प्रतिमा को मैसूर राज्य के बिदार जिले में हुमनाबाद में नष्ट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप लगाये गये हैं;

(ग) क्या इस घटना के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) क्या प्रतिमा को फिर से स्थापित करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (घ). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 14 और 15 मार्च, 1971 की रात्रि को कुछ अज्ञात बदमाशों ने हुमनाबाद (बिदार) जिले में डा० बी० आर० अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा दिया और उसे क्षति पहुंचाई। भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 295 और 427 के अन्तर्गत एक मामला दायर किया गया है और जांच-पड़ताल चल रही है। मालूम हुआ है कि स्थानीय जनता डा० अम्बेडकर की एक नई अर्ध प्रतिमा (बस्ट) स्थापित करने के लिए चन्दा एकत्र कर रही है।

केले का निर्यात

2254. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केले के निर्यात पर रोक लगाने का है;

(ख) भारत से कितने तथा कौन-कौन से देश केले का आयात कर रहे हैं; और

(ग) इसके निर्यात से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी नहीं ।

(ख) वहरीन द्वीप समूह, कुवेत और कतार ।

(ग) 1969–70 में 37.28 लाख रु० मूल्य के निर्यात हुए ।

Grant of Import Licence to Madhya Pradesh Covernment for special Stainless Steel

2255. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have applied for foreign exchange or for the grant of import licence in order to import special stainless steel;

(b) the amount of foreign exchange asked for by the State Government;

(c) the date when their applications was received and the date on which action was taken thereon; and

(d) in case no action has been taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George): (a) No such application has come to the notice of the Ministry of Foreign Trade.

(b) to (d) Do not arise.

Decline in Export of Mangoes

2256. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether export of mangoes is continuously going down since 1965-66; and

(b) if so, the action taken to arrest this decline ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George): No, Sir.

(b) Does not aries.

भारत द्वारा अंतरिक्ष उपग्रह का विकास

2257. **श्री वृज राज सिंह कोटा :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

चीन के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने अंतरिक्ष ग्रह के विकास में कितनी प्रगति की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृहमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : उपग्रह छोड़ने की क्षमता प्राप्त करने के अपने कार्यक्रम पर भारत पूरी शक्ति के साथ अमल कर रहा है । इस कार्यक्रम के लक्ष्य "परमाणु ऊर्जा तथा आन्तरिक अनुसंधान--1970-80 के दशाब्द के कार्यक्रम की रूपरेखा" नामक पुस्तिका में, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है, दिये गये हैं । बहुत-सा आवश्यक आधार-भूत तकनीकि प्रविधियों का विकास सफलता-पूर्वक किया जा चुका है तथा उपग्रह एवं उपग्रह को छोड़ने के काम में आने वाले चार चरणों वाले राकेट के विस्तृत डिजायनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

रूस और अमरीका द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षण

2258. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत 6 महीनों में रूस और अमरीका ने अनेकों भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त परमाणु विस्फोट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार परमाणु इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए भूमिगत परमाणु विस्फोट करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे परमाणु विस्फोट परीक्षणों के लिए प्रारम्भिक कार्य के बारे में कोई ठोस कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो ऐसे भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किये जायेंगे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) 1 जनवरी, 1971 से 7 जून, 1971 तक की अवधि में सोवियत रूस ने चार भूमिगत परमाणु विस्फोट किये हैं । इस अवधि में अमरीका द्वारा किसी भी भूमिगत परमाणु विस्फोट के किये जाने की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) रूस द्वारा किये गये चार भूमिगत विस्फोटों में से तीन विस्फोट क्रमश: 22 मार्च, 25 अप्रैल, तथा 6 जून को सेमिपलाटिनिस्क के परीक्षण स्थल में किये गये थे । चौथा विस्फोट 23 मार्च, 1971 को उराल पर्वत में किया गया था । इन चारों में से प्रत्येक विस्फोट 80 किलो टन टी एन टी के बराबर शक्ति का था । यह सूचना मैसूर राज्य के गौरी उद्नूर नामक स्थान पर लगे हुए भूकम्प-सूचकों द्वारा एकत्रित किए गये आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है ।

(ग), (घ) तथा (ङ). परमाणु ऊर्जा आयोग उन अवस्था के बारे में अध्ययन कर रहा है जिसके अन्तर्गत शान्तिमय कार्यों के लिये किये गये भूमिगत परमाणु विस्फोट, विस्फोट-थल के

इर्द-गिर्द के क्षेत्र के लिये संकट पैदा न करते हुए भी भारत के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं ।

Permission to Madhya Pradesh Government for Dircct Talks with Foreign Countries for export and import Trade

2259. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh are allowed to have direct talks with foreign countries regarding export and import trade; and

(b) if so, the number of foreign Governments with whom the Government of Madhya Pradesh have established contacts in this regard and the extent of trade being transacted in this manner ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George): (a) No, Sir

(b) Does not arise.

Setting up of Public Undertakings in M. P.

2260. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to set up public undertakings in the State during the Fourth Five Year Plan period;

(b) if so, the particulars of the units requested to be set up by the State Government; and

(c) the action take or proposed to be taken by the Central Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Madhya Pradesh have proposed setting up of two coal-based super thermal stations near Patherakhera and Singrauli coal fields respectively.

(c) The proposal of the Government of Madhya Pradesh will be taken into account along with similar proposals of other State Governments at the time of formulation of the Fifth Five Year Plan or if possible earlier at the time of reappraisal of the Fourth Five Year Plan.

टेलीफोन सलाहकार समिति

2261. **श्री सोमचंद सोलंकी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में टेलीफोन सलाहकार समिति के क्या कार्य हैं;

(ख) उक्त सलाहकार समिति के सदस्यों के अधिकार क्या हैं और वे किस प्रकार की सलाह और सिफारिशें कर सकते हैं; और

(ग) क्या उक्त टेलीफोन समिति के सदस्य 'अपने टेलीफोन लगाओ' के मामलों में प्राथथिकता देने की सिफारिश कर सकते हैं और यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कितने मामलों में प्राथमिकता की सिफारिश कर सकते हैं और किस श्रेणी के लिये ऐसा कर सकते हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). टेलीफोन सलाहकार समितियों के कार्य और उनके सदस्यों के विचाराधीन आने वाले विषयों का उल्लेख विवरण में किया गया है ।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति अपना टेलीफोन योजना के अधीन बिना वारी के टेलीफोन कनेक्शन देने की सिफारिश कर सकती है । 'विशेष' श्रेणी के अन्तर्गत दिए जाने वाले 50 प्रतिशत कनेक्शन भी समिति की सिफारिशों पर बिना वारी के दिए जाते हैं । समिति समूचे तौर पर सिफारिशें करती है, प्रत्येक सदस्य को खास कोटा अलाट करने की आवश्यकता नहीं होती ।

विवरण

टेलीफोन सलाहकार समितियों के कार्य

1. टेलीफोन का प्रयोग करने वाली जनता और डाक तार विभाग के बीच निकट संबंध स्थापित करना ।

2. जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी तकलीफों को उचित तरीके से विभाग के सामने रखा जाता है और उन पर ध्यान दिया जाता है ।

3. स्थानीय और ट्रंक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभाग को परामर्श देना ।

4. टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का प्रचार करना ।

5. जनता में सहयोग और संतोष का भाव पैदा करके मौजूदा स्थिति पर काबू पाने के लिए विभाग की सहायता करना ।

6. आवेदनकर्त्ताओं के मामलों का गुण-दोष और उनके कार्यकलापों का तुलनात्मक महत्व के आधार पर जायजा लेते हुए सरकार की नीतियों के अनुरूप उचित और समान आधार पर नये कनेक्शन देने में विभाग की मदद करना ।

गुजरात में काडी दुर्गा काटन मिल्स का बन्द किया जाना

2262. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में काडी दुर्गा काटन मिल्स गत सात वर्षों से बन्द है और श्रमिकों को रोजगार देने हेतु मिल को चलाने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में नवीनतम स्थिति क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). श्री दुर्गा काटन मिल्स (काडी) प्राइवेट लि०, काडी, 12 सितम्बर, 1965 से बन्द पड़ी हुई है । मिल को

निरस्त करने योग्य समझा गया था । इसके अलावा न्यायालय ने मिल की सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश दिये हैं ।

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम के उपबन्धों का कथित उल्लंघन

2263. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष भारत के लगभग 40 प्रतिशत समाचार-पत्रों ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार समाचारपत्र रजिस्ट्रार को आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये, जैसा कि समाचारपत्र रजिस्ट्रार के 14 वें प्रतिवेदन में विहित है;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कानूनी कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि समाचारपत्र संगठनों की इतनी बड़ी प्रतिशतता ने इन उपबन्धों का पालन क्यों नहीं किया, सरकार ने कोई जांच की है या करने का विचार है, जैसा कि रजिस्ट्रार ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया था; और

(घ) यदि नहीं, तो कानून और सख्त बनाने के बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ । 31 दिसम्बर, 1969 को भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के रिकार्ड में दर्ज 10,281 समाचार पत्रों में से 3,928 समाचारपत्रों के प्रकाशक वर्ष 1969 के अपने वार्षिक विवरण निर्धारित समय के अन्दर अर्थात् 28 फरवरी, 1970 तक भेजने में असफल रहे ।

(ख) 831 दोषी समाचारपत्रों को नोटिस जारी किये गये हैं जिनमें उनसे अपेक्षित विवरण भेजने के लिये कहा गया है । यदि वे ऐसा करने में असफल रहे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

(ग) कोई औपचारिक जाँच नहीं की गई है और न ही करने का विचार है ।

(घ) क्योंकि अधिकांश दोषी समाचारपत्र छोटे समाचारपत्र हैं; अतएव, कानून को और सख्त बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

दिल्ली टेलीविजन का प्रसारण क्षेत्र

2264. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीविजन केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र इस बीच 60 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मामला अब किस चरण पर है और उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) नए बनाए गए 100 मीटर ऊंचे टावर पर ऐंटेना के लगने में देरी।

(ग) ऐंटेना के लगाने का काम जारी है और उम्मीद है यह जून, 1971 के अन्त तक मुकम्मल हो जाएगा।

दिल्ली टेलीविजन पर फिल्मी कलाकारों के साथ साक्षात्कार

2265. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली टेलीविजन केन्द्र पर ऐसे कार्यक्रम दिखाये जाते रहे हैं जिनमें वहीदा रहमान, सुनील दत्त, राज कुमार और शशि कपूर जैसे चलचित्र अभिनेताओं के साथ साक्षात्कार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या चलचित्र के इन कलाकारों को अतिथि कलाकार के रूप में दिल्ली लाया गया था अथवा उन्हें इस कार्य के लिए मानदेय दिया गया था; और

(ग) यदि मानदेय भत्ता दिया गया तो गत छः महीनों में प्रत्येक कलाकार को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग). 31 मई, 1971 को समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि के दौरान टेलीविजन पर निम्नलिखित फिल्म कलाकारों का इण्टरव्यू किया गया था। इण्टरव्यू की तिथियां तथा उन्हें दिए गए मानदेय की राशि उनके नामों के आगे दी गई है:—

उषा अय्यर	7-5-1971	100 रु०
शशि कपूर	7-5-1971	100 रु०
पिन्चु कपूर	7-5-1971	100 रु०
गोपाल सहगल	14-5-1971	100 रु०
राज कुमार	15-5-1971	100 रु०
सुनील दत्त	28-4-1971 28-5-1971	200 रु०
वहीदा रहमान	28-5-1971	100 रु०
जयदेव	28-5-1971	100 रु०

इस प्रयोजन के लिए उनको विशेष रूप से दिल्ली नहीं लाया गया था, अपितु दिल्ली में उनकी उपस्थिति का टेलीविजन इण्टरव्यू के लिए उपयोग किया गया था।

पंजाब में परमाणु ऊर्जा कारखाने की स्थापना

2266. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के संकट को दूर करने के उद्देश्य से पंजाब से एक परमाणु कारखाना स्थापित करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी विद्युत क्षेत्रों में परमाणु बिजली घर लगाने की सम्भावनाओं का अध्ययन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। बिजलीघरों के लिये उपयुक्त निर्माण-स्थलों का चुनाव करने के उद्देश्य से एक स्थल-चुनाव कमेटी नियुक्ति की गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर भारत सरकार द्वारा विचार कर लिये जाने के पश्चात् ही यह सही तौर पर बताया जा सकेगा कि भविष्य में परमाणु बिजलीघर किन स्थानों पर लगाये जायेंगे।

नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष की नियुक्ति

2267. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफ़ारिश की है कि एक गैर सरकारी व्यक्ति नई दिल्ली नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाना चाहिये;

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय के किसी अधिकारी को इस पद पर नियुक्ति किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश यह है कि समिति का अध्यक्ष केन्द्र सरकार द्वारा मनोनित किया जाय किन्तु अनिर्वायतः कोई सरकारी व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के संघ राज्य क्षेत्र के संवर्ग पर आनीत है अतः संघ राज्य क्षेत्र के संवर्ग के एक अधिकारी को, जो रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर था, इस पद पर नियुक्त किया गया है।

बिहार में प्रति व्यक्ति आय

2268. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है और पालामाऊ जिले की प्रति व्यक्ति आय बिहार में सब से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1962-63 से 1964-65 तक के राज्यों की तुलनीय आय के तुलनीय अनुमानों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति आय के बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

विभिन्न राज्यों और एक राज्य के ही अन्तर्गत विभिन्न जिलों के विकास स्तर में असमानता भौतिक-भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक आदि विभिन्न जटिल घटकों पर आश्रित होती है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए चौथी योजना के दौरान वहां के विकास की गति को त्वरित करने के लिए ये उपाय किये जा रहे हैं :–

(1) राज्य की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का अधिक आवंटन ।

(2) केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में पर्याप्त निवेश ।

(3) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए दो जिलों में स्थापित किये जाने वाले ऐसे नये औद्योगिक एककों को जिनका कुल स्थिर पूंजी निवेश 50 लाख रुपये तक है स्थिर पूंजी निवेश के एक बटा दस भाग के बराबर केन्द्रीय उपदान (सब्सिडी) सहायता ।

(4) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 9 जिलों को जिनमें पालामाऊ भी शामिल है वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती वित्त की व्यवस्था, छोटे किसानों, उप-सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों, वारानी खेती आदि के लिए विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना और ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रम जिसके लिए वित्त की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी। राज्य सरकार को यह परामर्श भी दिया गया है कि क्षेत्र-योजना दृष्टिकोण को अपनाकर, आधारभूत सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करके और प्राकृतिक साधनों व क्षमताओं आदि का विकास करके पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास का विशेष ध्यान रखा जाये। परन्तु राज्य में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि किस सीमा तक होगी यह बात अन्य अनेक तत्वों पर निर्भर रहेगी, ये तत्व हैं निजी क्षेत्र में निवेश, वित्तीय संस्थाओं से संसाधनों की उपलब्धि आदि ।

काजू उद्योग के बारे में केरल का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल

2270. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में काजू न मिलने के कारण काजू की गिरी तैयार करने के बहुत से कारखाने बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप केरल में काजू उद्योग में संकट

की स्थिति से केन्द्रीय सरकार को परिचित करवाने के लिये हाल ही में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि-मंडल दिल्ली आया था ;

(ख) क्या प्रतियोगी मूल्य पर काजू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने के बारे में काजू विकास निगम के विरुद्ध राज्य सरकार से अथवा कारखानों के मालिकों से कोई अभ्यावेदन सरकार को पहले मिला था और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या सुझाव दिये थे और केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) समस्याओं का स्थानिक अध्ययन करने के लिये एक केन्द्रीय दल केरल भेजा गया था । दल के प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है ।

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा लघु-उद्योगों को निर्यात हेतु सहायता

2271. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने ऐसे लघु एककों को सहायता देने के लिये कोई योजना तैयार की है जो जापानी खरीदार को उपकरण तथा पुर्जे सप्लाई कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी योजना उन लघु-उद्योगों के लिये भी विद्यमान है जो जापान को छोड़ अन्य देशों को माल निर्यात करते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में जब्त की गई सम्पत्ति

2272. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 के संघर्ष में पाकिस्तान ने जिन भारतीय राष्ट्रकों की सम्पत्ति जब्त की थी, उनके नाम क्या हैं;

(ख) उस सम्पत्ति का मूल्य कितना है;

(ग) भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी राष्ट्रकों की कितने मूल्य की सम्पत्ति जब्त की थी; और

(घ) यह सम्पत्ति भारतीय राष्ट्रकों की सम्पत्ति से कितनी कम अथवा अधिक है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ख). जिन-जिन भारतीय राष्ट्रिकों तथा कम्पनियों की सम्पत्तियां पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई थीं उनके दावों की संख्या लगभग 5600 है। नामों तथा पतों के संकलन में जो लगभग 100 पृष्ठों से अधिक हो सकते हैं, किये जाने वाले प्रयत्न, उनमें लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप न होंगे। इसके बावजूद भी यदि भारत के शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक, बम्बई से किसी विशिष्ट व्यक्ति के दावे के बारे में कोई पूछताछ की जाये तो वह इस विषय में जानकारी दे सकेगा। फिर भी एक विवरण, नीचे दिया जाता है, जिसमें अभिरक्षक के पास पंजीकृत दावों का मोटा-मोटा ब्यौरा दिया गया है :

दावे का स्वरूप	(राशि रु०)
1. कराची तथा चिटगांव आदि पर तटस्थ और पाकिस्तानी जहाजों से उतारा गया माल।	5,40,31,681
2. पाकिस्तान में उस सरकार द्वारा अपने अधीन ली गई भारतीय फर्में।	59,19,00,654
3. पाकिस्तान क्षेत्रों में भारतीय बैंकों की परिसम्पत्तियां।	8,59,79,092
4. पाकिस्तान में व्यक्तियों तथा फर्मों के विरुद्ध वाणिज्यिक दावे।	5,85,63,130
5. पाकिस्तान की कम्पनियों में भारतीय अंश पूंजी।	2,10,23,809
6. पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रिकों के पेंशन सम्बन्धी दावे।	**
7. (पाकिस्तान सरकार द्वारा रोकी गई) रक्षा निधि तथा अनुदान देने के लिए पाकिस्तान के नियोजकों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रिकों के दावे।	83,80,434
8. पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय रेलवे का रोका गया रोलिंग स्टाक।	**
9. पूर्वी पाकिस्तान के अन्तर्स्थलीय जल क्षेत्रों में पुरस्कार स्वरूप जब्त किए गए भारतीयों के स्वामित्व वाले समुद्री जहाज, मोटरें, फ्लैट, साइड पैडल स्टीमर आदि।	6,73,10,506
10. पाकिस्तान द्वारा जब्त किए गए भारतीयों के स्वामित्व वाले चाय मालवाहक जहाज, जब वह पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच में थे।	2,14,80,799
11. पाकिस्तान द्वारा जब्त किए गए भारतीयों के स्वामित्व वाले पटसन मालवाहक जहाज, जब वह पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच में थे।	2,26,15,336

** मूल्य का अनुमान लगाया जा रहा है।

12.	पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त किए गए भारतीयों के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज जब वे पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच थे ।	2,02,67,588
13.	पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान में स्थित भारतीयों के स्वामित्व वाली अचल सम्पत्ति ।	13,79,18,548
14.	पाकिस्तान से भारतीय राष्ट्रिकों की वापिसी के समय पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने कब्जे में ली गई भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति।	3,20,778
15.	पाकिस्तान की बीमा कम्पनियों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रिकों के दावे ।	2,95,912
		1,09,00,88,267

2. इसी प्रकार भारत स्थित पाकिस्तान की सम्पत्ति, जिन्हें भारत के शत्रु देश की सम्पत्ति के अभिरक्षक के नाम कर दिया गया है, का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

		रुपये (लाखों में)
1.	नकद.....	575
2.	प्रतिभूतियां	1500 (अंकित मूल्य)
3.	शेयर.....	300 (अंकित मूल्य)
4.	भवन.....	300 ,,
5.	भूमि, सम्पदा आदि	200 ,,
6.	निहित स्वार्थ फर्में.....	65 ,,
	कुल	2940

3. उपरोक्त दो वक्तव्यों से पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों की जब्त की गई सम्पत्ति और भारतीय अभिरक्षक को सुपुर्द की गई शत्रु देश की सम्पत्ति के तुलनात्मक आँकड़ों का पता चलता है ।

Alleged Political Conspiracy behind murder of President of Student's Union of Banaras Hindu University

2273. **Shri K. C. Pandey:** **Shri Teja Singh Swatantra:**
Shri C. K. Chandrappan:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there was a political conspiracy behind the cold-blooded murder of Shri Santosh Kumar Kapooria, President of the Student's Union of Banaras Hindu University;

if so, the name of the political party responsible for the aforesaid murder; and

(c) the steps being taken by Government to maintain peace and order and to restore academic atmosphere in the University.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant): (a) to (c). The case relating to the death of Shri Santosh Kumar Kapooria is under investigation by the Central Bureau of Investigation and action under the law will be taken against those involved in the crime.

नक्सलपंथियों की गतिविधियों में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों का हाथ

2274. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलपंथियों की गतिविधियों में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का हाथ है और दिल्ली से बहुत से विद्यार्थी बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रशिक्षण शिविरों में भेजे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तथा कथित नक्सलपंथियों के बारे में कोई जांच पड़ताल की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में सरकार को कोई निश्चित सूचना नहीं है । फिर भी सरकार को सूचना मिली है कि कुछ विद्यार्थी अपने छात्रावास छोड़ गये हैं और यह सन्देह करने के कारण हैं कि वे नक्सलवादी प्रभाव में आए हैं । आवश्यक सतर्कता बर्ती जा रही है ।

कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के संवाददाता के विरुद्ध कार्यवाही

2275. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के संवाददाता के विरुद्ध कार्यवाही की थी जिसका शरारतपूर्ण समाचार सप्लाई करने के लिये पाकिस्तान ने उल्लेख किया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : सरकार द्वारा की गई पूछताछ से पता लगा है कि दिल्ली में कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग सिस्टम से प्रत्यायित संवाददाता द्वारा ऐसा कोई समाचार नहीं भेजा गया था । अतएव, उस संवाददाता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं था । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शेख मुजीबुर रहमान तथा उनके दल ने सैनिक आन्दोलन करने की योजना नहीं बनाई थी । यह समाचार पाकिस्तान की निराधार आरोप लगाने की नीति का अंग मालूम होता है ।

रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की सरकारी सेवा में आने के लिए आयु सीमा की छूट

2276. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार उन सभी उम्मीदवारों को आयु सीमा से छूट देने के लिये तैयार है जिन्होंने २५ वर्ष की आयु से पूर्व अपने नाम रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर करवा दिये थे परन्तु बेरोजगारी की गम्भीर स्थिति के कारण नौकरी प्राप्त नहीं कर सके ओर इस प्रकार उनकी आयु २५ वर्ष से अधिक हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमाएं जो अभी उपलब्ध हैं, डा० ए० रामास्वामी मुद्दालियर की अध्यक्षता में गठित सरकारी सेवाएं (भर्ती के लिए योग्यताएं) समिति, जिसने इस विषय में विस्तृत रूप से विचार किया था, की इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् सन् १९५९ में निर्धारित की गई थी । तथापि, प्रशासनिक सुधार आयोग ने गैर-तकनीकी उच्च सेवाओं के लिए आयु सीमाओं को बढ़ाकर २६ तक करने की सिफारिश की है, ताकि वे उम्मीदवार जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अध्ययन किया है या विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ऐसी सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र हो सकें। यह सिफारिश विचाराधीन है । इसी प्रकार, अनुसचिवीय श्रेणी III के पदों पर भर्ती के लिए उच्च आयु सीमा बढ़ाने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री की राष्ट्रीय परिषद् की हाल की बैठक में कर्मचारी पक्ष द्वारा दिया गया सुझाव भी विचाराधीन है । तथापि उन लोगों के सम्बन्ध में जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम रजिस्टर कराये हैं किन्तु २५ वर्ष की उच्चतर आयु सीमा पर पहुंचने तक नौकरी प्राप्त नहीं की है, उस स्थिति में इस आयु में छूट देना जहां पर ऐसी आयु निर्धारित है या की जाएगी, ऐसा करना संभव नहीं होगा क्योंकि इस निर्धारित आयु सीमा के बाहर जाने पर, इस प्रकार के मामलों में भेदभाव की गुँजाइश हो सकती है ।

केरल में काजू तैयार करने वाले कारखानों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगारी

2277. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में काजू तैयार करने वाले कारखानों के बन्द हो जाने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं और कारखाने बन्द किये जाने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या कुछ कारखानों के मालिक अपने कारखानों को पड़ौसी राज्यों में ले जा रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने पीड़ित बेरोजगार कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने के लिये सहायता देने की पेशकश की है और यदि हां, तो सहायता की राशि कितनी है और उसके वितरण का तरीका क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सही जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) हर वर्ष कुछ अवधि के लिए अधिकांश कारखाने बन्द हो जाते हैं। इन कारखानों के पुन: खुलने में कुछ विलम्ब हो गया था जो अंशत: काजू गिरियों का कुछ भंडार जमा हो जाने और अंशत: उन्हें अप्राधिकृत कारखानों में साबित किये जाने के कारण हुआ। कारखानों के अन्य राज्यों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ग) मौके पर अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय दल केरल भेजा गया था। दल के प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है।

पटसन का अनुमानित उत्पादन

2278. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष पटसन के उत्पादन का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, इसमें से कितने पटसन का उपयोग निर्यात उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है; और

(ग) इस वर्ष कितना पटसन आयात किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1970-71 (जुलाई-जून) में पटसन तथा मेस्टा का उत्पादन 61.94 लाख अथवा इसके समकक्ष होने का अनुमान है।

(ख) सोवियत संघ को अल्प परिणाम में ही पटसन का निर्यात करने दिया जाता है। जुलाई, 1970 से मई, 1971 तक की अवधि में 45,974 गांठों के निर्यात प्राधिकृत किये गये हैं।

(ग) वर्ष 1970-71 के मौसम में पटसन अथवा मेस्टा का कोई आयात प्राधिकृत नहीं किया गया है।

"दैनिक बसुमति" कलकत्ता

2279. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1970 में बंगाली पूजा की छुट्टियों की पूर्व संध्या पर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से विज्ञापनों के लिए "दैनिक बसुमति" के प्रबन्धकों को कोई अग्रिम राशि मिली थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : 1970 के दौरान मन्त्रालय ने "दैनिक बसुमति" को विज्ञापनों के निमित्त कोई अग्रिम राशि नहीं दी थी।

बेरोजगार इंजीनियर

2280. **श्री रामचन्द्र कडनापल्ली :**
श्री निहार लास्कर :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1971 तक डिग्री धारी और डिप्लोमा धारी बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 के दौरान राज्यवार कितने इंजीनियरों को नौकरी मिली; और

(ग) बेरोजगार इंजीनियरों को जल्द से जल्द नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) देश में बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या के सही-सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत इन्जीनियरों की संख्या से उनकी बेरोजगारी की मात्रा का संकेत मिलता है। 31 दिसम्बर, 1970 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 16,466 इन्जीनियर स्नातक और 47,350 इन्जीनियर डिप्लोमाधारी थे।

(ख) उन इन्जीनियरों की संख्या का राज्य-वार कोई अनुमान नहीं लगाया गया है जिन्हें गत दो वर्षों में नौकरी मिली। किन्तु गत कुछ वर्षों में इन्जीनियरी संस्थाओं से निकलने वाले इन्जीनियरों और रोजगार कार्यालयों में इन्जीनियरों के पंजीकरण के आंकड़ों से व्यापक रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1969 में लगभग 30,000 इन्जीनियरों और 1970 में अन्य 33,300 इन्जीनियर समस्त देश में नौकरी प्राप्त कर सके।

(ग) माननीय सदस्यों का ध्यान 31 मार्च, 1971 को तारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर में सदन के पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें इन्जीनियरों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख है।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

2281. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन के 1971 के वित्त विधेयक के कारण विकासशील देशों से औद्योगिक वस्तुओं का ब्रिटेन में निःशुल्क प्रवेश और सरल बन गया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत रुई तथा अन्य कपड़ों आदि की स्थिति क्या होगी; और

(ग) क्या सरकार ने, ब्रिटेन को हमारे कुल निर्यात पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की जांच की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटेन ने अधिमानों की व्यापक प्रणाली के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव में सूती तथा रेशमी वस्त्रों को नहीं रखा है। विकासशील देशों से ऊनी तथा अन्य वस्त्रों के सम्बन्ध में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। सूती तथा रेशमी हथकरघा माल के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था प्रदान करने के लिये विधेयक में उपबन्ध रखा गया है।

(ग) जी, हां ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिए धन का नियतन

2282. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में कुल कितनी पूंजी लगाने का प्रस्ताव है और वह देश में लगाई जाने वाली कुल पूंजी का कितने प्रतिशत है; और

(ख) प्रस्तावित निवेश का कितना भाग राजस्थान में चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आरम्भ की जानेवाली नई योजनाओं के लिये रखा गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राजस्थान की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 302 करोड़ रुपये का परिव्यय योजना आयोग द्वारा मंजूर किया गया है । यह देश में सभी राज्यों के लिए निर्धारित चौथी योजना परिव्यय का लगभग 4.3 प्रतिशत है ।

(ख) राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई नई स्कीमों पर होने वाला व्यय अनुमानत: 131 करोड़ रुपये है ।

त्रिवेन्द्रम में विदेशी मुद्रा के धुटाले का पता लगाया जाना

2283. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 में सतर्कता विभाग त्रिवेन्द्रम ने विदेशी मुद्रा के गोलमाल के कुल कितने मामलों का पता लगाया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : वर्ष 1970 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के उप-क्षेत्रीय यूनिट ने त्रिवेन्द्रम में, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1947 के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघन के संदेह में 105 मामलों का पता लगाया ।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन

2284. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967 से वर्ष 1970 तक देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन और उसमें से वितरण का राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सकल आन्तरिक उत्पाद (आय) और व्यय के राज्यवार आंकड़ों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सहायता

2285. **श्री पी० के० देव :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विशेषकर पिछड़े हुए राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए जिससे राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता दी जा सके;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1971-72 में राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी सहायता मांगी है और चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों की कसौटी में संशोधन के लिए कुछ राज्यों ने अनुरोध किया है । इन अनुरोधों का उद्देश्य सम्बन्धित राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारना है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

विवरण

केन्द्रीय सहायता, 1971-72

(करोड़ रुपये)

राज्य	राज्यों के प्रस्ताव, 1971–72			1971–72 में आवंटित केन्द्रीय सहायता
	योजना परिव्यय	राज्य के अपने संसाधन	केन्द्रीय सहायता	
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	110.00	32.64	(77.36)	48.00
असम	46.00	6.65	(39.35)	36.56
बिहार	100.62	25.37	(75.25)	67.60
गुजरात	91.98	63.00	32.00	31.60
हरियाणा	61.38	23.85	16.00	15.70
जम्मू और कश्मीर	41.07	2.68	(38.39)	29.00

1	2	3	4	5
केरल	60.06	12.39	(47.67)	35.00
मध्य प्रदेश	96.00	37.57	52.40	52.40
महाराष्ट्र	180.50	142.22	(38.28)	49.10
मेघालय	11.70	—	9.79	7.44
मैसूर	72.00	25.50	35.00	34.60
नागालैण्ड	9.48	—	(9.48)	7.00
उड़ीसा	49.00	13.90	(35.10)	32.00
पंजाब	65.93	36.01	20.70	20.20
राजस्थान	66.00	18.21	44.00	44.00
तमिलनाडु	98.97	31.56	(67.41)	40.40
उत्तर प्रदेश	214.05	106.29	112.00	105.20
पश्चिम बंगाल	65.13	5.16*	(59.97)	44.20
हिमाचल प्रदेश	20.30	—	20.30	19.50
सभी राज्य:	1465.18			719.50

टिप्पणी:– राज्यों की वार्षिक योजना, 1971-72 के मसौदा प्रस्तावों में, सभी मामलों में, केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों के प्रस्तावों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों को केन्द्रीय सहायता के प्रस्ताव नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि संसाधनों के अन्तर को (राज्य के संसाधन घटाकर प्रस्तावित परिव्यय) केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त और संसाधन जुटाकर, आरक्षित साधनों से निकासी आदि से पूरा किया जायेगा।

* अपूर्ण अनुमान।

Per Capita Development Expenditure in States

2286. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether per capita development expenditure was not uniform in all the States till the Fourth Plan and in some of the States per capita development expenditure reached upto Rs. 200/- whereas it did not exceed Rs. 90/- in other States;

(b) the names of the States where the aforesaid expenditure is Rs. 200/- and where it is less;

(c) the reasons for such a disparity in the expenditure; and

(d) the steps being taken by Government to increase the per capita development expenditure in these States to remove their backwardness ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) & (b). Per capita plan expenditure has not been uniform in all the States. Annexure-I gives the

relevent figures for the 1st, 2nd and 3rdFive Year Plans and the Annual Plans between 1966 and 1969. **[Placed in Library See No. LT 430/71]**

(c) Per capita plan expenditure is determined by the overall plan size of each State, which in turn is determined by Central assistance, and the plan resources raised by the State itself. As will be seen from Annexure-II, the States whose per capita plan expenditure has been lower than the average of all States have generally raised less resources per capita on their own. **[Placed in Library See No. LT 430/71]**

(d) The Chief Ministers Committee of the NDC which ovolved the formula for the allocation of Central assistances for the 4th plan period took into account the relative backwardness of certain States. Special treatment has been accorded to the border States of Assam, Jammu and Kashmir and Nagaland. In addition, the allocation of 60% of Central assistance on the basis of population and 10% on the basis of per capita income have *inter alia* benefited backward States like Bihar, Karala, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh. Government have also accorded special accommodation to the extend of Rs. 793.25 crores, to States which were found to have budgetary gaps on non-plan account to enable them to add the additional resources to be mobilised by them during the Fourth Plan period to the resources for the States' plans.

Grants to Backward States During Fourth Plan

2287. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether no appreciable progress is likely to be made in the backward States like Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh and Orissa under the Fourth Plan dsepite adoption of the accepted policy and the decision taken by the National Development Council that 10 per cent of the total outlay of the development schemes for these States be given to them in the form of special grant;

(b) if so, whether Government have taken any decision to effect certain changes in the Fourth Five Year Plan in the light of the above; and

(c) whether Government feel that special grant of 10 per cent to these States is not adequate ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) The progress anticipated under certain key sectors of development during the Fourth Plan period in Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh and Orissa is indicated in the attached statement. **[Placed in Library See No. LT 431/71]**

It should be clarified that the formula evolved by the Committee of Chief Ministers appointed by the National Development Council in regard to Central assistance does not provide for meeting 10% of the total outlay on the development programmes of these States, by way of special grant. The formula is that 10% of the amount available for Central assistance should be distributed among States, including these four States, having per capita incomes below the national average.

(b) From time to time changes are introduced in the States Plans on the basis of problems encountered in the course of their implementation. Steps are also now being taken to carry out a reappraisal of the Plans of all States. A view about the changes, if any, to be made in the Plans of Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh and Orissa will be taken after the reappraisal has been completed.

(c) The question does not arise.

हरियाना की राजधानी निर्माण हेतु सहायता

2288. **श्री सी० एस० सामन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाना की राजधानी के निर्माण हेतु कोई राशि नियत की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि हरियाना सरकार को किस प्रकार की दी जायेगी और राजधानी के निर्माण पर किये जाने वाले व्यय का यह कितने प्रतिशत होगी;

(ग) क्या इससे राज्य सरकार की मांग की पूर्ति हो जाती है; और

(घ) उक्त कार्य कब और किस स्थल पर प्रारम्भ किया जाना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) चालू वर्ष के बजट में इस प्रयोजन के लिए कोई राशि नियत नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) ये ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक राजधानी के लिए स्थान का चयन नहीं किया है ।

यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश करने के परिणामस्वरूप भारत के वाणिज्यिक हितों की रक्षा

2289. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश के सम्बन्ध में साझा बाजार देशों और उक्त देश में फिर से बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्थिति में भारत के हितों की रक्षा करने के विचार से इस देश के साथ भी कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से बातचीत में शामिल नहीं है । तथापि राजनयिक माध्यम से निकट का सम्पर्क रखा जा रहा है, ताकि वार्ता करने वाले देशों को, समुदाय की ब्रिटेन की सदस्यता के परिणामस्वरूप भारत के व्यापार के लिए उत्पन्न होने वाली समस्याओं से, अवगत रखा जा सके । भारत सरकार राजनयिक माध्यम से इन वार्ताओं से भारत के हितों के लिए यथासंभव श्रेष्ठ संरक्षण प्राप्त करने के भरसक प्रयत्न कर रही है ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों से सम्बद्ध कार्यालयों के माध्यम से निर्यात व्यापार

2290. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से बाहर उनके मंत्रालयों के उन भारतीय दूतावासों और कार्यालयों की संख्या कितनी है जिनके साथ भारतीय माल की बिक्री बढ़ाने और इस प्रकार निर्यात मंडी प्राप्त करने के लिये अपेक्षित विभाग सम्बद्ध हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इन दूतावासों और कार्यालयों के माध्यम से किये गये व्यापार का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कार्यालय ने अलग-अलग कितना व्यापार किया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस समय विदेशों में 57 भारतीय व्यापार मिशन तथा वाणिज्यिक अनुभाग हैं ।

(ख) विदेशों में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि भारतीय निर्यातकों के लिए और उनकी ओर से निर्यात व्यापार के संबंध में बातचीत नहीं करते और वे बातचीत करने के लिए प्राधिकृत भी नहीं है । उनका प्रमुख कार्य विदेशी व्यापार मंत्रालय को, उनसे अपेक्षित जानकारी विशेषतया ऐसी जानकारी, जो विदेशी व्यापार मंत्रालय को अपनी आर्थिक तथा व्यापार नीतियां बनाने में सहायक हो, तुरन्त देकर मंत्रालय को सहायता देना है ।

इंजीनियरिंग उद्योग में किस्म विकास निधि बनाने हेतु भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का सुझाव

2291. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किस्म नियन्त्रण के संवर्द्धन हेतु भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा अनेक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इंजीनियरिंग उद्योग में किस्म विकास निधि बनाई जाये;

(ग) इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के बारे में अन्य क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(घ) सरकार ने उनको कहां तक स्वीकार कर लिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ग). मार्च 1971 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा गुण-नियंत्रण संबंधी पांचवें अखिल भारतीय सम्मेलन की सिफारिशें अभी तक मंत्रिमंडल सचिवालय, सांख्यिकी विभाग में प्राप्त नहीं हुई हैं ।

मनीपुर के हथकरघा बुनकरों को सूती धागे की सप्लाई

2292. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के हथकरघा बुनकरों को राज सहायता प्राप्त अथवा उपयुक्त दरों पर सूती धागे की सप्लाई का प्रबन्ध किया है ?

(ख) यदि हां तो, उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख). सूत पर कोई नितरण अथवा कीमत नियंत्रण नहीं है । तथापि, मणिपुर के हथकरघा बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार कुछ मिलों की सहायता लेकर, उपयुक्त दरों पर उनकी सूत की मासिक आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रही है ।

पटसन उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने के लिये परामर्शदाता की नियुक्ति

2293. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पटसन उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें दिये गये सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Production of controlled cloth by Textile Industry

2294. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to impose a restriction on the textile industry to produce 40 per cent controlled cloth;

(b) the benefit to be accrued therefrom to the public; and

(c) the impact thereof on the production of cloth and the details of the loss to be suffered or the profit likely to be earned by the textile mills as a result of the said scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George): (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

टेलीविजन सेटों के निर्माण हेतु विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस दिये जाना

2295. **श्री बी० के दास चौधरी :**
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उत्पादित टेलीविजन सेटों की संख्या कितनी है और उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) चालू वर्ष के लिये टेलीविजन सेटों की राज्यवार अनुमानित मांग क्या है;

(ग) क्या सरकार टेलीविजन सेटों का उत्पादन करने हेतु विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ निर्माताओं ने कम मूल्य के टेलीविजन माडल 19 का उत्पादन किया है; और

(ङ) कम मूल्य के टेलीविजन सेटों के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1970-71 के दौरान 7980 टेलीविजन सेटों का निर्माण किया गया था । बाज़ार में उपलब्ध देश में ही निर्मित 23″ और 19″ के टेलीविजन रिसीवरों का मूल्य सभी करों के बिना क्रमश: 1900 और 1700 रु० है ।

(ख) दिल्ली में काम कर रहे अकेले टेलीविज़न केन्द्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिये वर्ष में लगभग 30,000 टेलीविज़न सेट चाहिए । चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बम्बई (पूना से प्रसार केन्द्र सहित), मद्रास, लखनऊ (कानपुर से प्रसार केन्द्र सहित), कलकत्ता और श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के साथ टेलीविज़न सेटों की वार्षिक अनुमानित मांग 2,00,000 सेट तक बढ़ जाने की आशा है । प्रत्येक केन्द्र के लिए 1975 तक की अलग-अलग मांग को निम्नलिखित प्रतिशत में दिया जा रहा है :–

दिल्ली	21%
बम्बई-पूना	37%
कलकत्ता	23%
मद्रास	9.5%
कानपुर-लखनऊ	6.5%
श्रीनगर	3.0%
	100%

(ग) टेलीविज़न सेट बनाने के लिए सार्वजनिक सूचना के आधार पर विदेशी फर्मों सहित सभी फर्मों से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। औद्योगिक नीति के अनुसार इन आवेदनों पर निर्णय लिया जायेगा।

(घ) सरकार इस बारे में दिये गए वक्तव्यों से अवगत है।

(ङ) अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए प्राप्त आवेदनों के बारे में निर्णय लेते समय, अन्य बातों के साथ-साथ इस पहलू पर भी पूरा विचार किया जायेगा।

केरल स्थित मिलों का रुई की सप्लाई

2296. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में स्थित मिलों को रुई की सीधी सप्लाई करने हेतु उस राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). केरल राज्य में स्थित दो मिलों के लिए उस राज्य की सरकार ने भारतीय रुई निगम अथवा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के समीकरण भंडार में से रुई का तदर्थ नियतन करने का अनुरोध किया था क्योंकि इन दो मिलों को केरल सरकार द्वारा बुनकरों को रियायती दर पर सूत की सप्लाई करने को कहा गया था चूंकि इन निगमों के पास कोई समीकरण भण्डार नहीं था, अत: तदर्थ नियतन के अनुरोध को पूरा न किया जा सका। हां, केरल में स्थित इन दो मिलों को तकुआ-चालन के आधार पर वितरित की जाने वाली आयातित रुई का अपना प्राप्य नियतन प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त उन मिलों को आयातित अतिरिक्त रुई की सप्लाई करने की एक योजना आरम्भ की गई थी जो विकेन्द्रित क्षेत्र में सूत सप्लाई करने के निमित बनाये गये सूत के पूल को निर्धारित काउंट के धुनी हुई रुई के सूत की पूर्ति करने के लिये सहमत हों।

कम्प्यूटरों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण

2297. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण के अनुसार 51 विकासशील देशों में भारत के पास सबसे अधिक संख्या में कम्प्यूटर हैं; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण का सारांश क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 23 वें सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में दी गई व्यवस्था के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की "विकास के लिए कम्प्यूटर टैक्नौलोजी का प्रयोग" नामक

रिपोर्ट तैयार करने के लिये सर्वेक्षण किया गया था । विकासशील देशों में कम्प्यूटरों की संख्या तथा उनके प्रयोग के बारे में कुछ अनुमान लगाना इस सर्वेक्षण का लक्ष्य था । सर्वेक्षण से विदित हुआ है कि विकासशील देशों में से 3 के पास कम्प्यूटर नहीं हैं, तथा 5 के पास केवल एक-एक कम्प्यूटर है । 1968 में भारत में 111 कम्प्यूटर लगाये गये थे । यद्यपि 1970 में यह संख्या बढ़कर 126 हो गई थी । चिली में 33 तथा कोरिया गणराज्य तथा ट्रीनीदाद और टोबागों में प्रत्येक के पास 14-14 थे । सर्वेक्षण से पता चला है कि विकासशील देशों में कम्प्यूटरों का प्रयोग जन-सांख्यकीय, जनगणना तथा सरकारी प्रशासन तथा लेखा कार्यों के लिये होता है । यह प्रयोग वैसे ही हैं जैसे कि कम्प्यूटरों को औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में पहले-पहल प्रयोग किया जाता था । सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि कम्प्यूटर एक ऐसे आवश्यक भूमिकर के लिए जो कि टेक्नौलौजी धनी और निर्धन देशों के मध्य उनके बीच की असमानता को कम करने के लिये अदा करती है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं ।

पश्चिम बंगाल में पटसन कारखानों के विस्तार हेतु आवेदन-पत्र

2298. **श्री दिनेन भट्टाचार्य** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित पटसन वस्त्र कारखानों के विस्तार हेतु बहुत से आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों को विस्तार करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी नहीं । कालीन अस्तर वस्त्र की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के संबंध में केवल दो मामले ही लम्बित हैं । लाइसेंस समिति द्वारा दोनों पर विचार किया गया है परन्तु एक मामले में आवेदक द्वारा अभी एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति नहीं प्राप्त की गई है और दूसरे मामले में कुछ तथ्यात्मक जानकारी की जांच की जा रही है ।

कम्प्यूटरों के प्रयोग के परिणामस्वरूप काम से हटाये गये कर्मचारी

2299. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कम्प्यूटरों की, उद्योगवार, कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन कम्प्यूटरों का मूल्य क्या है और सरकार द्वारा इन पर कितने सेवा प्रभारों आदि का व्यय किया जाता है; और

(ग) इन कम्प्यूटरों के कारण कितने श्रमिकों और कर्मचारियों को काम से निकाला गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) 1970 तक देश में लगाए गए कम्प्यूटरों की संख्या 126 थी जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

	कम्प्यूटरों की संख्या
1. रसायन एवं उससे सम्बन्धित उद्योग	9
2. संचार	3
3. विद्युत	2
4. सामान्य इंजीनियरिंग	13
5. इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	2
6. ओटो मोबाइल इंजीनियरिंग	2
7. बीमा तथा बैंकिंग	6
8. पैट्रौलियम एवं उससे सम्बन्धित उद्योग	5
9. वस्त्रोद्योग	7
10. परिवहन, रेल तथा विमान	16
11. कम्पयूटर एवं परामर्शदायी सेवा	10
12. सरकारी विभाग	7
13. इस्पात	5
14. विविध	5
अनुसंधान संगठन	
अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थान	34
योग	126

(ख) से 126 कम्प्यूटर केवल सरकार के ही नहीं हैं अपितु निजी क्षेत्र की संस्थाओं विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों इत्यादि के भी हैं । 1968 तक लगाये गये 111 कम्प्यूटरों का अनुमानित मूल्य 24 करोड़ रुपए है। (इसमें सहायक संयत्र तथा बाहरी उपस्कर शामिल हैं; यह संख्या वित्तीय दृष्टि से उपलब्ध कम्प्यूटर शक्ति का समुचित निर्देशन है, तथा कितनी राशि व्यय की गई है इसे ठीक-ठीक रुपयों में नहीं बताया गया है ।) 126 कम्प्यूटरों की कुल लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) युक्ति-युक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में बनाए गए माडल समझौते के अन्तर्गत छटनी करने की अनुमति नहीं है । कम्प्यूटरों के लगाए जाने के कारण वास्तव में केन्द्रीय सरकारी स्थापनाओं में छटनी की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अभी हाल में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार कम्प्यूटरों के उपयोग होने से वर्तमान रोजगार की स्थिति में कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

सोमा सुन्दरा मिल्स, कोयम्बत्तूर को अधिकार में लेना

2300. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बन्द सोमा सुन्दरा मिल्स को भारतीय कपड़ा निगम के माध्यम से अपने अधिकार में सरकार को कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट वर्क्स यूनियन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख के बारे जनगणना के आंकड़े

2301. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के संबंध में जनगणना आंकड़ों से 1961-71 के दौरान उस प्रदेश के लोगों के सामजिक-आर्थिक जीवन में हुए अभूतपूर्व परिवर्तनों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : (क) और (ख). 1961-71 के दौरान लद्दाख जिले के व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में परिवर्तनों का तभी पता लगेगा जब जनगणना की अनुसूचियां पूरी तरह तैयार हो जायेंगी। फिर भी, 1971 की जनगणना के अस्थायी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से लद्दाख जिले में हुये परिवर्तनों की जाहिर होने वाली मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

(i) **जनसंख्या**

1971		1961	
व्यक्ति	105,001	व्यक्ति	88,651
पुरुष	52,929	पुरुष	44,974
स्त्री	52,072	स्त्री	43,679

(ii) **जनसंख्या वृद्धि पर**

1961-1971	1951-1961
18.44%	7.66%

(iii) **लिंग अनुपात (1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या)**

1971	1961
984	971

(iv) **कुल जनसंख्या में साक्षरता* का प्रतिशत**

1971		1961	
व्यक्ति	13.50	व्यक्ति	8.31
पुरुष	23.45	पुरुष	15.37
स्त्री	3.38	स्त्री	1.05

(v) **कुल मजदूरों में गैर-खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत**

1971	1961
19.0	14.2

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से लोह अयस्क का निर्यात

2302. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिए लौह अयस्क का निर्यात हानि-कर सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या हानि का असर निगम के समूचे मुनाफे पर पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाही की जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यदि पूर्णत: वित्तीय आधार पर देखा जाए तो यह सच है कि हाल के वर्षों में खजिन तथा धातु व्यापार निगम को लौह अयस्क के निर्यात से हानि हुई है, यद्यपि यह हानि मामूली ही है ।

(ख) तथा (ग) . निगम के समूचे लाभ के विषय में, इसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी मदों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये और निगम गत दो वर्षों से अपने समूचे व्यवसाय के आधार पर लाभ दिखा रहा है । निगम यथासंभव अपने निर्यातों के लिए बेहतर कीमतें प्राप्त करने के लिये तथा अन्यथा अपने लाभ की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है ।

नियन्त्रित किस्मों के कपड़े के उत्पादन के बारें में समिति

2303. **श्री विश्वनाथ झुनझुन वाला :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नियमित किस्मों के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि का सुझाव देने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन क्या है;

(ग) क्या किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व समिति ने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उक्त उत्पादन करने के बारे में उद्योग के प्रतिनिधियों का उनकी कठिनाइयों के बारे में साक्ष्य ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). नियंत्रित कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु निम्नलिखित की एक समिति स्थापित की गई थी:–

1. श्री सी० एस० रामचन्द्रन, अध्यक्ष
   अपर सचिव, विदेश व्यापार मंत्रालय ।
2. श्री के० किशोर, वस्त्र आयुक्त ।

3. श्री बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव,
विदेश व्यापार मंत्रालय तथा संयोजक ।
4. श्री एन० एस० कुलकर्णी,
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, भारतीय रूई निगम ।
5. श्री के० के० धर, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।
6. श्री सी० वैंकटरमन, निदेशक (वित्त), वित्त मंत्रालय ।
7. श्री के० एम० डी० ठाकरसे ।
8. श्री मदन मोहन मंगलदास ।
9. श्री प्रताप सिंह ।
10. श्री के० एन० मोदी ।
11. श्री भासकर जी० ककटकर ।

(ग) तथा (घ). नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के सम्बन्ध में सूती वस्त्र मिलों द्वारा अपने दायित्व का पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए यह समिति गठित की गई थी । उद्योग के प्रतिनिधि भी समिति में शामिल किये गए थे । इस समिति द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

योजना के अन्तर्गत उद्योग 1 जून, 1971 से प्रारम्भ होने वाली तिमाही में 10 करोड़ वर्ग मीटर नियंत्रित किस्मों के कपड़े का उत्पादन करेगा । इस उत्पादन के लिये 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर तक की आर्थिक सहायता, उद्योग द्वारा निम्नोक्त प्रकार से इकट्ठी की गई निधि में से दी जाएगी :

1 विदेशी रूई की 1,25,000 गांठों पर 300 रु. प्रति गांठ के हिसाब से प्रीमियम	3.75 करोड़ रु.
2 1968 में तैयार की गई पैकेज योजना के अन्तर्गत उन मिलों से, जिन्होंने नियंत्रित कपड़े का उत्पादन नहीं किया, 6 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर पर उद्योग से इकट्ठी की गई निधि में से अंशदान ।	0.75 करोड़ रु.
3 निम्नलिखित दरों पर अनियंत्रित किस्मों के मध्यम क, महीन तथा बहुत बढ़िया कपड़े का उत्पादन करने वाली मिलों से अंशदान ।	
मध्यम क इस श्रेणी के निर्यात को घटा करके 20 प्रतिशत पैकिंग पर 6 पैसा प्रति वर्ग मीटर ।	
बढ़िया इस श्रेणी के निर्यात को घटा कर 20 प्रतिशत पैकिंग पर 12 पैसा प्रति वर्ग मीटर ।	

बहुत बढ़िया	इस श्रेणी के निर्यात को कम करके 20 प्रतिशत पैकिंग पर 15 पैसा प्रति वर्ग मीटर ।	0.60	करोड़ रु.

प्रत्येक मिल से वसूल की जाने वाली राशि का आकलन फरवरी / अप्रैल, 1971 की तिमाही के दौरान हुई पैकिंग पर किया जाएगा ।

यह योजना 1 जून, 1971 से लागू हुई है और इसे वस्त्र आयुक्त की देखरेख में भारतीय रूई मिल महा संघ द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ।

Alleged Assistance Rendered to Pak. Army and Mujahids by Shri Abdul Hadi, Rajasthan M. L. A.

2304. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Shri Abdul Hadi, M. L. A. from the Chhotan Constituency of Rajasthan, had welcomed some Pakistani spies and assisted to Pak. army and Mujahids during the Indo-Pak. war of, 1965;

(b) whether some of his letters have been recovered in this regard; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Government have no specific information to substantiate such allegations.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

Orders from abroad for supply of Railway equipment

2305. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state that total value of orders received from abroad for the supply of Railway equipment during the year 1971-72 so far and the approximate value of goods likely to be exported to foreign countries during this year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : Orders for supply of Railway wagons, passenger coaches and other railway equipment valued at about Rs. 57 crores are in hand. Out of these goods worth Rs. 21 crores are likely to be exported during 1971-72.

Pak National Visiting Jammu and Kashmir State on valid Pasports

2306. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pak. nationals who came to Jammu and Kashmir on valid passports from 1st January, 1968 to to-date;

(b) the number of these out of them who went back to Pakistan before the expiry of the period of their passports during the aforesaid period;

(c) the number of Pak. nationals expelled from the State during this period; and

(d) the number of Pak. nationals who have presently gone underground ?

The Minister of State in the Ministry of the Home Affairs (shri K. C. Pant): (a) to (d). The Government of Jammu and Kashmir have intimated that during the period from 1st January, 1968 to 31st may, 1971, 450 Pakistan nationals visited the State on valid visas, 92 left the State for Pakistan before the expiry of the authorised period of stay, none has been expelled from the State and one has gone underground. 317 Pakistan nationals left the State for Pakistan after having extended their stay.

Use of Hindi in Official work of Central Government

2307. **Shri Shivkumar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made for according preference to the use of Hindi in the official work of the Central Government;

(b) the names of departments which have not yet implemented the decision for the use of Hindi alone in the correspondence with the Hindi speaking States; and

(c) the main reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ramniwas Mirdha): (a) to (c). An annual programme is drawn up with a view to encouraging use of Hindi for transaction of official business of the Government of India and its implementation is watched through periodical reports. Steady progress has been made in regard to issue of Resolutions, General Orders, Rules, Notifications and Administrative and other reports which are required to be issued bilingually. Due to certain difficulties it has not, however, been possible to make much headway in regard to documents such as Contracts, Licences, permits etc.

Use of Hindi for correspondence with members of public, Government employees and such of the State Governments as have adopted Hindi as their Official Language is on the increase in the various Ministries/Departments of the Government of India.

In the Central Secretariat the number of Sections in which Hindi is being used for nothing and drafting increased to 250 as on 31-3-1970 as against 176 as on 31-3-1969.

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यापार में विदेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा

2308. **श्री एस० आर० दामाणी:** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन वस्तुओं के निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार निगम को अन्य देशों के साथ कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह स्पर्धा माल की किस्म के बारे में है अथवा मूल्य के बारे में अथवा दोनों ही के बारे में है; और

(ग) उक्त कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). एक सूची संलग्न है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम उन वस्तुओं की क्वालिटी सुधारने के लिये, जिनकी क्वालिटी के विषय में प्रतिस्पर्धा है, निम्नोक्त कदम उठा रही है:–

(1) वह, माल के निर्माताओं को बढ़िया कच्चे माल की पूर्ति करने के लिये प्रबन्ध करता है ;

(2) इंजीनियरी माल आदि के सम्बन्ध में खरीददार विश्व-विख्य फर्मों को तरजीह देते हैं, अत: उनके विषय में राज्य व्यापार निगम विदेश स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से भारत का औद्योगिक स्वरूप प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता है ।

(3) वह, हमारे कारखानों के लिए विदेशों से प्रतिनिधि मंडलों के दौरों का प्रबन्ध करता है ताकि, उन्हें हमारी औद्योगिक क्षमता से प्रभावित किया जा सके ।

कीमतों में असमानता दूर करने के लिये निगम अपने पूर्तिकर्ताओं को सहायता भी देता है ।

विवरण

उत्पाद	प्रतिस्पर्धा का स्वरूप
कृषि उत्पाद	
चावल	क्वालिटी तथा कीमत
अनन्नास उत्पाद	,,
कोपरा निस्सारण	कीमत
रासायनिक पदार्थ	
दवाइयां तथा भेषजीय पदार्थ	कीमत
सीमेंट	कीमत
नमक	कीमत
इंजीनियरी माल	
मशीनी औजार, कम्प्रेशर, वेल्ड़िंग करने की मशीनें, विद्युत मोटरें, केबल, कंडक्टर्स, पावर ट्रांसफार्मर, दूर संचार उपस्कर, अलोह ढलाई	कीमत

मिश्रित इस्पात ढलाई तथा डाई-ढलाई ।	
रेल माल डिब्बे, सवारी डिब्बे तथा बोगी सहित रेल उपस्कर ।	कीमत
साधारण उत्पाद	
प्लाई वुड, चाय की पेटियां तथा पर्ते	कीमत
हार्ड बोर्ड	कीमत
चित्रित काँच तथा तार कांच	कीमत
मानव बाल तथा बालों से बनी वस्तुएं	कीमत
जूते	
जूते, तैयार चमड़ा तथा चमड़े का सामान	कीमत तथा क्वालिटी
वस्त्र	
कृत्रिम रेशम के वस्त्र	कीमत तथा क्वालिटी
सिले सिलाए परिधान	कीमत तथा क्वालिटी
शाल, ऊनी निटवियर सहित ऊनी वस्त्र	कीमत तथा क्वालिटी
रुई मिश्रित वस्त्र	कीमत
रेयन टायर कोर्ड	कीमत
सूती वस्त्र	कीमत
जूट से बना माल	कीमत

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात

2309. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन वस्तुओं का आयात केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है और उन पर लाभ की मात्रा कितनी है;

(ख) औद्योगिक कच्चे माल के आयात पर कितने प्रतिशत कमीशन वसूल की जाती है और इसे निर्धारित करने का मानदण्ड क्या है; और

(ग) वर्ष 1970-71 के दौरान इन स्रोतों से कुल कितनी आय हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात के लिए मार्गीकृत मदों की सूची संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल. टी. 432/71**]

जहां तक आयातों पर लाभ की मात्रा का सम्बन्ध है वह अलग-अलग मद पर भिन्न-भिन्न होती है और सरकार द्वारा (जहां आवश्यक होता है, अन्त: मंत्रालय समितियों के माध्यम से) बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है, जिसमें आयात कीमतों,

स्वदेशी कीमतों आदि जैसे विभिन्न उपादानों पर विचार करने के पश्चात् कीमतों को निर्धारित करने की क्रियाविधि विहित की गई है। जिन वस्तुओं का स्वदेशी उत्पादन नहीं होता, उनके विषय में आमतौर पर भारत पहुंचने पर माल की लागत में लाभ की कुछ मात्रा जोड़ दी जाती है। परन्तु उन मदों के मामले में जिनमें उसी सामग्री का अथवा प्रतिस्थानी माल का स्वदेशी उत्पादन होता है, बिक्री का मूल्य स्वदेशी सामग्री अथवा प्रतिस्थानी माल की अपेक्षा कुछ कम स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

(ग) 1970-71 में राज्य व्यापार निगम का सकल लाभ 15.9 करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया है।

चाय, काफी, काजू और कपड़े का निर्यात

2310. **श्री एस० आर० दामाणी:** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970-71 दौरान कितनी मात्रा में चाय, काफी, काजू और कपड़े का निर्यात हुआ और उनका क्या मूल्य था और पिछले दो वर्षों के आंकड़ों के साथ उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ख) जिन वस्तुओं की एकक मूल्य वसूली अपेक्षाकृत कम है उनका स्थिरीकरण करने के लिए निर्यातकर्ता अन्य देशों के साथ परामर्श से क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मात्रा: मे० टन में

मूल्य: करोड़ रु० में

मद	निर्यात					
	1970-71		1969-70		1968-69	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	201,570	146.66	174,110	124.50	200,820	156.51
काफी	31,143	24.11	32,383	19.62	28,741	17.96
काजू	50,292	52.03	60,627	57.42	63,659	60.92
सूती वस्त्र (मिल निर्मित)	+	113.60	+	111.53	+	97.57

+ सूती परिधान, सूती हौजरी तथा अन्य सूती माल के सम्बन्ध में मात्रा-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट: वर्ष 1970-71 के दौरान सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में प्रति-वर्ग मीटर एकक मूल्य वसूली पिछले दो वर्षों में की एकक मूल्य वसूली की अपेक्षा अधिक होने का अनुमान है।

मणिपुरी हथकरघा उत्पादों का निर्यात

2311. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों को मणिपुरी हथकरघा उत्पादों का निर्यात करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). मणिपुरी हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष उपाय नहीं किये गये हैं और न विचाराधीन है ।

त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय समिति की स्थापना की मांग

2312. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा की आदिवासी जनता त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय समिति के गठन के लिए माँग करती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर त्रिपुरा सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) त्रिपुरा के सघन आदिवासी क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा में संविधान की पांचवी अनुसूची को लागू करने की मांग की जाती रही है । इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्रों एवं नेफा के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात् मणिपुर के लिए सुझाव दिए गए प्रतिमान पर त्रिपुरा में भी आदिवासियों के लिए स्वायतशासी क्षेत्रों की रचना करने की मांग की जाती रही है । त्रिपुरा सरकार द्वारा इन मांगों पर विचार किया जा रहा है । त्रिपुरा सरकार ने यह भी सूचना दी है कि त्रिपुरा के भूतपूर्व शासक द्वारा 1943 में आदिवासी सुरक्षित क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए दिए गये आदेश अब भी लागू हैं ।

टेलीविजन सेटों का उत्पादन और उनकी माँग

2313. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री एच० के० एल० भगत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय टेलीविजन सेटों का कुल कितना उत्पादन हो रहा है और उनकी मांग क्या है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उसमें वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): भारत में 31 मार्च 1971 तक चार निर्माताओं ने 10,360 टेलीविजन सेटों का निर्माण किया है।

दिल्ली में इस समय केवल एक टेलीविजन केन्द्र काम कर रहा है। इस केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए लगभग 30,000 सेटों की आवश्यकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बम्बई (पूना प्रसारण केन्द्र सहित), कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ (कानपुर प्रसार केन्द्र सहित), और श्री नगर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के निर्णय से टेलीविजन सेटों की वार्षिक मांग के 2,00,000 सेटों तक बढ़ जाने की आशा है। नई अनुमानित क्षमता स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

भारत में टेलीविजन सेटों की संख्या

2314. **श्री एच० के० एल० भगत**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय टेलीविजन सेटों की कुल संख्या कितनी है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदनी बहुगुणा): 31 दिसम्बर, 1970 को देश में टेलीविजन सेटों की संख्या 24,833 है।

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में भर्ती

2315. **श्री मनोरंजन हाजरा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ख) पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस में भर्ती किए गए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के आचरण और उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में निर्देशपद क्या हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के पदों को इस प्रकार भरा जाता है।

(i) रोजगार कार्यालयों तथा पुनर्वास महानिदेशक कार्यालय के माध्यम से खुली भर्ती द्वारा भर्ती से

(ii) दल में से पदोन्नति से

(iii) कार्यरत पुलिस तथा सैनिक अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करके

(iv) उपरोक्त (i) से (iii) तक के साधनों से पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के न उपलब्ध होने पर सेवानिवृत सेना तथा पुलिस कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति से

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) संविधान में निष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी, आज्ञापालन, वफादारी अपने कर्तव्य तथा राष्ट्र में निष्ठा की भावना, सतत प्रशिक्षण में तत्पर रहना केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के आचरण के नियेशपद हैं। दल का कार्य मुख्यतया विधि व व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा को बहाल करने तथा उसे बनाये रखने में राज्य सरकारों की सहायता करना है। दल को सीमा सुरक्षा के कार्यों, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करने तथा केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा करने में भी नियुक्त किया जा सकता है।

परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों हेतु भारत-जर्मन सहयोग

2316. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने के लिए पश्चिम जर्मन सरकार सहमत हो गई है;

(ख) क्या अभी हाल में परमाणु प्रोद्योगिकी विज्ञों के एक जर्मन दल ने भारत की यात्रा की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख). परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग करने के उद्देश्य से पश्चिमी जर्मनी तथा भारत के बीच बातचीत चल रही है। आशा है कि इस सम्बन्ध में दोनों देशों के मध्य शीघ्र ही एक करार हो जायेगा।

(ख) बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में न्यूक्लीय ईंधन चक्र विषय पर आयोजित भारत-जर्मन सेमिनार में भाग लेने के लिये जर्मन संघीय गणराज्य के परमाणु वैज्ञानिकों का एक दल मार्च, 1971 में भारत में आया था।

जूट उद्योग के प्रतिनिधियों और विदेश व्यापार से सम्बद्ध अधिकारियों की बैठक

2317. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 में जूट उद्योग के प्रतिनिधियों और उनके मंत्रालय के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था;

(ख) क्या विचार विमर्श के दौरान उद्योग ने यह मांग की थी कि 'पेपर बैंकिंग' के मूल्य में 300 रुपये प्रति मीटरिक टन के हिसाब से वृद्धि की जाय;

(ग) क्या उक्त बैठक में जूट से बनी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग ने कालीन अस्तर के लिए न्यूनतम मूल्य के उर्ध्वमुखी संशोधन के लिए कहा था।

(ग) जी हां।

(घ) यह स्वीकार किया गया कि पटसन उद्योग में उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 110,000 मे० टन के औसतन मासिक स्तर तक पहुंचा देना चाहिए। कालीन अस्तर की न्यूनतम कीमत के संशोधन के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

थाईलैंड से पटसन का क्रय

2318. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एकोनामिक टाइम्स" दिनांक 17 मई, 1971 में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि थाइलैंड से पटसन के क्रय में देश को "लालफीता शाही" के कारण लगभग 30 लाख पौंडों की हानि की संभावना है;

(ख) क्या सितम्बर, 1970 में पटसन की 5 लाख गांठों के क्रय के लिए अनुमति देने हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध किया गया था और मार्च, 1971 तक इस बारे में निर्णय न लिया जा सका और इस बीच "थाई" पटसन का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया;

(ग) क्या विशेषज्ञों के एक दल के अनुसार थाइलैंड के पास अब पटसन नहीं बल्कि भूसा उपलब्ध है जो कि देश के लिए अधिक उपयोगी नहीं होगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्तावित क्रय के संबंध में आगे व्यवस्था करेगी और पटसन की कमी की पूर्ति किस प्रकार से की जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). पटसन/मेस्टा आयात करने का प्रश्न सितम्बर, 1970 में उठाया गया था। आयात करने के सम्बन्ध में जब तक विनिश्चय किया गया, तब तक विदेशों में रेशे के मूल्य काफी ऊंचे हो चुके थे। चूंकि मूल्य ऊंचे होने के कारण मिलों ने आयातित पटसन में कोई रूचि नहीं दिखाई और उपलब्ध रेशे की किस्म काफी घटिया होने के समाचार मिले थे, अतः पटसन का आयात नहीं किया गया। किन्तु देश में रेशे की कमी नहीं हुई।

पटसन तथा मेस्टा की 1971-72 में अच्छी फसल होने की आशा है और अगले मौसम में भी इसकी कमी होने की कोई आशंका नहीं है । यदि आवश्यक समझा गया तो रेशे के आयात पर विचार किया जायेगा ।

मसीला संधि के अंतर्गत काली मिर्च का निर्यात

2319. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्:**
श्री माधुय्य हालदार :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया द्वारा हस्ताक्षरित मनीला संधि के परिणाम-स्वरूप काली मिर्च के निर्यात में वृद्धि नहीं होगी;

(ख) क्या इंडोनेशिया इस संधि का उल्लंघन करते हुए काली मिर्च का निर्यात कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भारत के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग) . ऐसी कोई 'संधि' नहीं की गई है । शायद यहां पर संकेत प्रस्तावित काली मिर्च समुदाय के बारे में है जिसके संबंध में भारत, इंडोनेशिया तथा मलेशिया द्वारा मनीला में करार पर हस्ताक्षर किये गये थे । चूंकि इस करार के अंतर्गत किसी व्यापार प्रबंध पर विचार नहीं किया गया है, अत: काली मिर्च संबंधी करार का उल्लंघन करते हुए इंडोनेशिया द्वारा काली मिर्च के निर्यात का प्रश्न नहीं उठता ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई. ई. सी.) द्वारा प्राथमिकताओं की सामान्य प्रणाली को लागू करना

2320. **श्री टी. एस. लक्षमणन् :**
श्री सी. चित्ति बाबू :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई. ई. सी.) जुलाई, 1971 से प्राथमिकताओं की सामान्य प्रणाली लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या भारत को इस प्रणाली से लाभ पहुंचेगा और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अधिमानों की व्यापक प्रणाली के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत समेत सभी विकासशील देशों में उत्पादित और ब्रुसेल्स टैरिफ नोमेनकलेचर के 25-99 अध्यायों के अंतर्गत आने वाले सभी निर्मित तथा अर्ध-निर्मित उत्पादों के संबंध में निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था करने की पेशकश की है । कृषि-क्षेत्र (बी. टी. एन. के 1-24 अध्याय) के अंतर्गत आने वाली मदों को चयनात्मक आधार पर शामिल किया किया गया है । इन मदों के बारे में सामान्य विदेशी टैरिफ में केवल थोड़ी सी छूट की व्यवस्था होगी ।

(ग) जी हां । भारत से सभी अपरम्परागत मदों के लिये निर्यातों को विभिन्न मात्राओं में लाभ पहुंचेगा ।

हेमन्त कुमार बसु की हत्या

2321. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वह अनुभवी राजनीतिक नेता श्री हेमन्त बसु की हत्या से संबंधित षड़यंत्र का पता लगाने के लिए सभी संभव प्रयास करे क्योंकि इस संबंध में सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या स्वर्गीय हेमन्त कुमार बसु के सहयोगी श्री अजित विश्वास को भी जो कि श्री बसु के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार थे हाल ही में नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन दो हत्याओं की जांच करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अन्तर्गत एक विशेष जांच समिति गठित की जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने क्या वैकल्पित कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) . जी हां, श्रीमान् ।

(ग) तथा (घ) . जी नहीं, श्रीमान् । दो हत्याओं में जांच-पड़ताल पहले से ही की जा रही है । फिर भी, केन्द्र सरकार जाँच-पड़ताल में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी जो राज्य सरकार द्वारा मांगी जाती है ।

केरल में काजू उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए केन्द्र से एक दल का जाना

2322. **श्री सी० चित्ति बाबू** :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजू उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हाल ही में केन्द्र से एक दल उस राज्य में गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). प्रतिवेदन कुछ दिन पहिले ही प्राप्त हुआ है और सरकार उस पर विचार कर रही है ।

साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) करने के लिये विशिष्ट न्यायालय

2323. **श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) करने के लिए विशिष्ट न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख). ऐसे उपद्रवों से उत्पन्न अपराधों की शीघ्र जांच हेतु राज्य सरकारों को उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में विशिष्ट न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देने के लिए सरकार का संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का इरादा है ।

Branch Post Offices in Garhwal (U. P.)

2324. **Shri Pratap Singh Negi**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of Branch Post Offices functioning in Garwal District in Uttar Pradesh at present;

(b) the number out of those, proposed to be up-graded as Sub-Post Offices at an early date;

(c) the names of the Post offices in which telephone facilities have been provided; and

(d) the names of Post Offices in which telephone facilities are proposed to be made available at an early date ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) As on 8-6-71, 366 branch post offices are functioning in Garhwal District of Uttar Pradesh.

(b) Out of the above number of branch post offices, 8 are proposed to be upgraded to sub-post offices in the near future.

(c) Telephone facilities have been provided in 2 Post offices at Adbadri and Simali in Garhwal District.

(d) There is no proposal, at present, to provide telephone facility to any other Post office in Garhwal District.

Connection of Kotdwar and Pauri with Delhi and Lucknow by Direct Telephone Link

2325. **Shri Pratap Singh Negi:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether a demand has been made to connect Kotdwar and Pauri of Uttar Pradesh with Delhi and Lucknow with direct telephone link;

(b) if so, the time by which the said arrangements would be made; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bohuguna): (a) No such demand has been received.

(b) Does not arise.

(c) Average number of booked calls between Kotdwar and Delhi is only 10 per day and that between Pauri and Lucknow 3 per day. For such low trunk traffic, direct circuits are not justified.

आकाशवाणी के कालीकट केन्द्र से होने वाले प्रसारणों का बार-बार रुकना

2326. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आकाशवाणी के कालीकट केन्द्र से होने वाले प्रसारणों के बार-बार रुकने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रसारणों के रुकने का मुख्य कारण बिजली की सप्लाई बंद हो जाना है ।

(ग) केरल राज्य के बिजली अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया गया था । उन्होंने सूचित किया है कि जैसे ही कुट्टीकट्टुर सब-स्टेशन चालू हो जाएगा, ट्रांसमिटिंग स्टेशन के लिए वैकल्पिक सप्लाई फीडर की व्यवस्था कर दी जाएगी । इससे स्थिति में सुधार हो जाएगा ।

अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना

2327. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "भारत में कानून और अल्पसंख्यक" विषय पर आयोजित विचार-गोष्ठी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि अल्प-संख्यकों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक सतर्कता आयोग की स्थापना की जाय, क्योंकि न्यायालयों द्वारा उपलब्ध संरक्षण पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के सतर्कता आयोग की स्थापना के पक्ष में है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उक्त भाषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था:—

> "अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों के वास्तविक विषय न्यायालयों द्वारा सरलता से तय किये जा सकते हैं। किन्तु क्या न्यायालयों का संस्थागत संरक्षण काफी है ? क्या अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करने के लिए अल्पसंख्यकों के सतर्कता आयुक्त को नियुक्त करना वांछनीय होगा ?"

(ख) संविधान के अनुच्छेद 350-ख में अल्पसंख्यक भाषाजात के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है और यह निर्धारित करता है कि संविधान में अल्पसंख्यक भाषाजात के लिए प्रदत्त संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच करना तथा उन मामलों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा। ऐसी रिपोर्टों की प्रतियां संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष भी रखनी पड़ती हैं। सरकार का भी यह विचार है कि प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यकों की शिकायतों और कठिनाइयों की तत्परता से जांच करनी चाहिए और कानून के अन्तर्गत उनके निवारण के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां करनी चाहिए तथा अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करना चाहिये। इस प्रकार के संगठित प्रशासनिक उपायों के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती

2328. **श्री फूल चन्द वर्मा**: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६९-७० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों की, श्रेणीवार, केन्द्रीय सरकार के अधीन भर्ती हुई थी; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित कितने प्रतिशत रिक्त पदों को उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण रद्द करना पड़ा है।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) . मंत्रालयों / विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

कोटा में रेडियो स्टेशन

2329. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बृज राज सिंह–कोटा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए क्या मापदण्ड हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कोटा ने कौन-कौन सी शर्तें पूरी नहीं की है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत की है ताकि उस आवश्यकता को पूरा किया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) चौथी योजना में आकाशवाणी के नए केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे:–

(1) प्रत्येक राज्य की कम से कम 80 प्रतिशत जनसंख्या के लिए मीडियम वेव सेवा का विस्तार ।

(2) सीमान्त क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों आदि के लिए प्रसारण सेवा का विस्तार ।

(ख) कोटा को पहले ही अजमेर और इन्दौर केन्द्रों से पर्याप्त मीडियम वेव सेवा मिल रही है । राजस्थान राज्य के अन्तर्गत जोधपुर और सूरतगढ़ में केन्द्रों की स्थापना की परियोजनाओं को उच्चतर प्राथमिकता दी गई थी । कोटा में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के प्रश्न की जांच, उच्चतर प्राथमिकता की योजनाएँ पूरी हो जाने के बाद ही की जा सकती है ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

Inquiries by C. B. I. Against Government Officers and Employees

2330. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) the number of Government Officers and employees against whom inquiries have been instituted by the Central Bureau of Investigation during the last two years;

(b) the number of Gazetted Officers among them;

(c) the number of Officers and employees, who have been convicted by the courts as a result thereof; and

(d) the number of those against whom departmental inquiries were instituted ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) During the period from 10-6-69 to 9-6-71 enquiries were instituted by the C. B. I. against 4801 government servants.

(b) 1060.

(c) 90 have been convicted in courts so far.

(d) 2282.

राजस्थान में टेलीविजन केन्द्र

2331. **श्री बृज राज सिंह कोटा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये गये; और

(ख) राज्य में टेलीविजन किस स्रोत से उपलब्ध किये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कोई नहीं ।

(ख) सामान्य व्यापार माध्यम से ।

Installation of 200 Sax Capacity Machine at Jaora

2332. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) whether the capacity of the Telephone Exchange at Jaora, District Ratlam of Madhya Pradesh, is being increased by installing a 200 SAX capacity machine there;

(b) if so, the date since when this work has been going on and the extent to which it has been completed;

(c) the further time likely to be taken to complete the remaining work;

(d) whether the residents of Jaora have applied for new telephone connections and their demands could not be met on account of the capacity of the Telephone Exchange having not been increased for a long time; and

(e) the time by which their demands for telephone connections are likely to be met?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna); (a) Yes.

(b) A new 200 lines automatic exchange has been planned at Jaora in replacement of existing exchange. The instaliation work was commenced during August 1970. Iron work, cabling, and wiring has been completed.

(c) By October, 1971.

(d) Yes.

(e) It is hoped to provide the additional telephone connections with the commissioning of this installation.

Opening of Telephone Exchanges in Ratlam District (M. P.)

2333. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there has been a continuous public demand for installation of Telephone Exchanges in big town like Tal, Badavada, Sunkheda and Ringnod of District Ratlam in Madhya Pradesh:

(b) if so, the action taken in this regard so far; and

(c) the time by which the Telephone Exchanges are likely to start functioning in the aforesaid towns ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) Public demand for providing telephone facilities at these places exists.

(b) After surveying the requirements, and working out the economics the following action has been taken in each;

1. **Tal:** A Public Telephone Call office has been sanctioned. However, there is acute shortage of ACSR wire and the PCO will be installed when the supply position of the wire improves.

2. **Badavada:** The correct name appears to be Barawda in Ratlam District. APCO has been sanctioned. However, there is acute shortage of ACSR wire and the PCO will be installed as soon as the supply position of the wire improves.

3. **Sunkheda:** The correct name appears to be Sukheda. Opening of a public telephone call office is not remunerative. Madhya Pradesh State Government and the village Panchayat have been told that the PCO can be opened if any party is willing to take it on rent and guarantee basis. Their reply is awaited.

4. **Ringnod:** A Public Call Office was opened on 14-11-70. The place does not justify a telephone exchange at the moment.

(c) Sufficient demand and justification to open telephone exchanges at the stations mentioned above does not exist at present. Telephone exchanges will be opened as soon as sufficient growth in demand is registered and the schemes are remunerative.

Accommodation for Posts and Telegraph Offices and Telephone Exchanges in Mandsaur and Ratlam Districts (Madhya Pradesh)

2334. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the names of places in Madhya Pradesh Circle where the Posts and Telegraphs Offices and Telephone Exchanges are not housed in suitable buildings;

(b) whether not only the public has been facing difficulties but these offices are also not able to function efficiently as a result thereof; and

(c) the number of places in Mandsaur and Ratlam Districts where Government propose to provide suitable accommodation or the construct buildings for these offices ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) According to the information available with the Postmaster General, Bhopal the following offices in Madhya Pradesh Circle are not functioning in suitable buildings:—

Post Offices

1. Bhind
2. Gohad
3. Bailadilla

Telephone Exchanges

1. Itarsi
2. Hoshangabad
3. Dhamnod

(b) Though suitable accommodation is not available in these buildings the efficiency of service has not been affected.

(c) All offices in Mandsaur and Ratlam districts are accommodated in Suitable buildings. Hence the question of construction does not arise.

Experimental Post Offices in Madhya Pradesh

2335. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the names of places in rural areas of Mandsaur and Ratlam Districts in Madhya Pradesh, where Experimental Post Offices are proposed to be opened during the current year;

(b) the normal rules for providing such post Offices or postal facilities; and

(c) the names of places in the aforesaid two Districts where the people have demanded for such type of postal facilities ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) Names of places in the rural areas of Mandsaur and Ratlam districts of Madhya Pradesh where experimental Post Offiices are proposed to be opened during the year 1971-72:—

Names of district	Name of places where post offices are proposed to be opened	Category of the proposed Post Offices
MANDSAUR	Kailashpura	Extra departmental branch Post Office
	Kulsi	—do—
	Nayamataheda	—do—
	Nalawa	—do—
	Sunthi	—do—
	Tarnod	—do—
RATLAM	Thuria	—do—
	Bibrod	—do—
	Richa	—do—
	Dolatpura	—do—
	Ranayara	—do—
	Karadia	—do—
	Nandleta	—do—

(b) as in the annexure **[Placed in Library See No. LT 433/71]**

(c) Names of places in the two districts mentioned in (a) above where the people have demanded for opening of new post offices:—

Name of district	Names of places where opening of new post offices have been demanded	Category of new post offices demanded.
MANDSAUR	Sunthi	Extra departmental branch post office,
RATLAM	Dhonswas	—do—
	Karadia	—do—

समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देना

2336. **श्री ज्योतिर्मय बसु:**
श्री एम० के० कृष्णन:
डा० कर्णी सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाचार-पत्रों की कितनी प्रतियाँ निकलती हैं जिनको 1969-70 और 1970-71 में सरकारी विज्ञापन दिये गये थे; और

(ख) ऐसे समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक को कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). भिन्न-भिन्न समाचार-पत्रों को दिए गए विज्ञापनों और उनको दी गई राशि के ब्यौरे सम्बन्धी सूचना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और सम्बन्धित पत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है। सम्बन्धित पत्रों की पूर्व सहमति के बिना स्वतन्त्र इस सूचना को देना अच्छी व्यापार नीति नहीं होगी।

विश्व निर्यात व्यापार में भारत का भाग

2337. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963 से 1970 के बीच विश्व निर्यात 13,610 करोड़ डालर से अनुमानत: 27,800 करोड़ डालर बढ़कर दुगने से भी अधिक हो गया है;

(ख) क्या विश्व निर्यात में भारत का भाग 1951 में 2.1% तथा से घट कर 1963 में 1.2% तथा 1970 में 0.7% रह गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1951, 1963 और 1970 में विश्व निर्यात व्यापार में हमारी स्थिति के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) 1951, 1963 और 1970 में कुल निर्यात व्यापार में कम विकसित और विकसित देशों का क्या भाग है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही कारणों से विश्व व्यापार में भारत के भाग में गिरावट आई है। यह तथ्य सुविदित है कि हमारे प्रमुख परम्परागत निर्यातों के लिए विश्व की मांग में तेजी से वृद्धि नहीं हो रही। चाय जैसी मदों को पिछले कई वर्षों से अत्यधिक उत्पादन तथा कम कीमतों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पटसन से बने माल के निर्यातों पर संश्लेषित प्रतिस्थापनों में वृद्धि होने तथा साथ ही पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण काफी प्रभाव पड़ा है। अन्य विकासशील देशों में आयात प्रतिस्थापनों और विकसित देशों में कोटा प्रतिबंधों के कारण से सूती वस्त्रों के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है। हाल के वर्षों में स्वदेश में भी इस्पात जैसे कुछ दुर्लभ अंतर्निवेशों की कमी हो जाने से निस्संदेह निर्यातों की वृद्धि में रुकावट आई है। हमारे निर्यात व्यापार में प्रवेश पाने वाली कुछ वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन पर्याप्त नहीं हुआ और इससे उपलब्ध निर्यात योग्य बेशी पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) तथा (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्व निर्यातों में भारत का प्रतिशत भाग

(मूल्य दस लाख अमरीकी डालरों में)

	1951	1963	1970
1. विश्व	[1] 75100	[2] 135400	[2] 276600
2. विकसित बाजार अर्थ व्यवस्थाओं वाले देश	[3] 46700 (62.2)	[4] 103900 (76.7)	[4] 222700 (80.5)
3. विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं वाले देश	28400 (37.8)	31500 (23.3)	53900 (19.5)
4. भारत	16465	1626	2030
5. (1) के प्रतिशत के रूप में (4)	2.2	1.2	0.7

1. अल्बानिया, बल्गारिया, चीन (मेनलैंड), चैकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पौलैंड, रुमानिया, उत्तरी कोरिया तथा सोवियत संघ के व्यापार को छोड़कर।

2. चीन (मेनलैंड), मंगोलिया, कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य, वियतनाम लोकतंत्रीय गणराज्य तथा यूरोप की केन्द्रीय रूप में आयोजित अर्थव्यवस्था वाले देश और सोवियत रूस के व्यापार को छोड़कर।

3. पश्चिम यूरोप महाद्वीप, ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान ।

4. संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप के विकसित बाजार अर्थ व्यवस्था के देश जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका ।

5. सभी प्रादेशिक योगों तथा देशों के वार्षिक आंकड़ों का आयातों के न्यून मूल्यांकन को ध्यान में रखकर समायोजन किया जाता है ।

नोट : कोष्टकों में दिये गये आंकड़े विश्व के कुल निर्यातों के भाग का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

स्रोत : 1. संयुक्त राष्ट्र संघ का सांख्यिकी मासिक बुलेटिन, अप्रैल, 1971-1963 तथा 1970 के सभी वर्षों के लिए ।

2. संयुक्त राष्ट्रसंघ का सांख्यिकीय मासिक बुलेटिन, जुलाई, 1960-1951 के वर्ष के लिए ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

2338. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) इस बल के कृत्यों और कर्तव्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्तमान में 6239.

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केन्द्र सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के उत्तम संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए है ।

पाकिस्तान रेडियो के ढाका केन्द्र द्वारा आकाशवाणी के प्रसारणों में बाधा डाला जाना

2339. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान रेडियो, जो अपने प्रसारणों में बंगला देश का कोई समाचार प्रसारित नहीं करता है, अब पूर्व बंगालियों को आकाशवाणी के प्रसारण सुनने से वंचित करने का प्रयत्न कर रहा है;

(ख) क्या पाकिस्तान रेडियो का ढाका केन्द्र आकाशवाणी के प्रसारणों में बाधा डाल रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) पूर्वी पाकिस्तान में रेडियो सुनने की शर्तों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं, जहाँ तक भारत में सुनने से आंका जा सकता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Late Transmissions of Telegrams given in Devanagari Script

2340. **Shri N. S. Bisht**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the telegrams booked in Devanagari Script are sent later than those booked in English;

(b) whether the people are hesitant to book their telegrams in Devanagari Script for the said reason; and

(c) the steps being taken by Government to improve the service ?

The minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) No, Sir.

(b) No such case has come to the notice of the P & T Department.

(c) Devanagari guide has been supplied to all Devanagari Telegraph offices for reference and also for sale to the public. Publicity regarding Devanagari telegraph service is being given from time to time so that the public is made aware of the facilities available in Devanagari script. An exclusive telephone number (184) for booking Devanagari phonograms has been allotted in Delhi with effect from 23-4-71. During the year 70-71 as many as 10 lakhs Telegrams in Davanagari script were booked in 3600 Telegraph Offices handling such telegrams.

English not treated as a Compulsory Subject in competitive Examinations conducted by State Public Service Commissions

2341. **Shri N. S. Bisht**: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether some State Governments have decided not to treat English as a compulsory subject in the competitive examinations being conducted by their Public Service Commissions and, if so, the names of such States;

(b) whether the Central Government also propose to take a similar decision; and

(c) if so, the time by which the said decision is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Information in this regard is not readily available. It will be collected and placed on the table of the House as early as possible.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

विदेशों द्वारा खरीदी गई भारतीय फिल्में

2342. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किन देशों ने भारतीय फिल्में खरीदी;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा खरीदी गई फिल्मों की भाषा क्या है ; और

(ग) इन फिल्मों की बिक्री से कुल कितनी राशि (भारतीय मुद्रा में) अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ग) . जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) निर्यातित फिल्मों की भाषा के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि व्यापार लेखाओं में भाषा के अनुसार फिल्मों के आंकड़े अंकित नहीं किए जाते ।

विवरण

वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 (नवम्बर, 1971 तक) में प्रयुक्त चलचित्र फिल्मों (धुली हुई अथवा बिना धुली हुई) के देशवार निर्यातों का विवरण

		मात्रा हजार मीटर में मूल्य हजार रुपये में			
		1969-70		1970-71 (नवम्बर तक)	
क्रमांक	देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	अदन/दक्षिणी यमन जनवादी गणराज्य	153	250	85	199
2	अफगानिस्तान	184	403	114	349
3	बहरीन द्वीप समूह	422	1033	178	490
4	बर्मा	16	145	43	294
5	श्रीलंका	654	2893	235	1118
6	फिजी द्वीप समूह	190	967	166	822
7	फ्रांस	17	61	5	11
8	हांगकांग	227	1253	90	347
9	इंडोनेशिया	300	818	351	1063

1 2	3	4	5	6
10 इरान	276	1568	129	865
11 कीनिया	421	2667	233	2073
12 लेबनान	455	1122	43	331
13 मलयेशिया	33	161	21	25
14 मारीशस	412	1536	198	961
15 नाइजीरिया	192	485	171	575
16 कतार ट्रशियल ओमन/कता	943	3267	257	1772
17 सिंगापुर	603	2850	506	2612
18 सूडान	87	369	15	48
19 थाइलेंड	281	1429	223	1407
20 ट्रिनिडाड	263	1557	48	285
21 संयुक्त अरब गणराज्य	66	230	58	564
22 ब्रिटेन	946	10746	1934	18029
23 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	203	898	177	922
24 सोवियत संघ	70	416	21	153
25 वियतनाम गणराज्य	9	13	18	25
26 जापान	12	44	31	826
27 डुबाई कतार सहित	*	*	226	1013
28 तंजानिया गणराज्य	243	1066	215	1190
29 अन्य	1410	5209	929	3075
योग :	9088	43456	6718	41444

* डुबाई के आंकड़े कतार को जोड़ कर लिये गये हैं।

टेलीफोन के साथ प्लग, साकेट और अतिरिक्त डोरी का किराया

2343. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन के साथ प्लग, साकेट और अतिरिक्त डोरी का किराया किस आधार पर निर्धारित किया जाता है; और

(ख) क्या उनके विचार में यह किराया, जो कि सामग्री के मूल्य का दस गुना है, पूंजी परिव्यय से मेल नहीं खाता है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) प्लग और साकेट की व्यवस्था करने और लम्बी डोरी के लिए किराया 1956 और 1964 की टेलीफोन शुल्क दर जांच समिति की

सिफारिशों के आधार पर निश्चित किया गया है । इसे निश्चित करते समय इन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर होने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय को ध्यान में रखा गया है । वार्षिक आवर्ती व्यय में रख-रखाव और अवक्षयता की लागत भी शामिल है, जो कि ये सुविधाएं प्रदान करने में काफी ज्यादा होती है ।

(ख) जैसा कि वास्तविक व्यवहार में देखा गया है, रख-रखाव की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुये किराये अधिक नहीं है । प्लग और साकेट को बार-बार इस्तेमाल में लाए ज़ाने और हिलाने-डुलाने से इनका काफी क्षय होता है । इसी तरह लम्बी डोरी के रख-रखाव पर भी अधिक खर्च होता है, क्योंकि जो अतिरिक्त लम्बी डोरी फर्श पर पड़ी रहती है उसके खराब होने और दोष पैदा होने की संभावना रहती है । खराबियों के अधिक होने के कारण भी रख-रखाव के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है । इन सुविधाओं के लिए किराया निश्चित करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है ।

गलत टेलीफोन बिल

2344. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य नम्बरों से किये गये टेलीफोन काल के गलत बिल बनाने के संबंध में इलाहाबाद से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) कथित गलत बिल बनाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद से 1970 के दौरान 3 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । 1971 के दौरान अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) प्राप्त होने वाली शिकायतों की छान-बीन की जाती है और अगर गलत बिल बनाना सिद्ध हो जाए तो उस पर जो दी जा सकने वाली छूट है उसकी मंजूरी दी जाती है ।

Telephone Exchange at Bara Chakia

2345. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the number of Telephone Subscribers started declining after the establishment of a Telephone Exchange at Bara Chakia Bazar in Bihar because Bara Chakia is not linked with Muzzafarpur, Patna etc. by the direct telephone line;

(b) whether any action has been taken by Government to remove this deficiency; and

(c) if so, the particulars thereof ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) No. A Small Automatic Exchange at Barachakia was opened in 1966 with 6 subscribers and the exchange parented to Motihari. At present, the number of subscribers has increased to 22.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Upgradation of Branch Post Offices in Champaran District (Bihar)

2346. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the name of the Branch Post Office in Champaran (Bihar), which are proposed to be upgraded into Sub-Post Offices during this year; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shvi H. N. Bahuguna): (a) Names of branch post offices in Champaran District of Bihar which are proposed to be upgraded into departmenjal sub-post offices during the year 1971-72—

Phenshra

Purnchapra

Belwacircle

Sathi

Kotwa

(b) Does not arise in view of (a) above.

पूर्वी बंगाल के रेडियो स्टेशनों के विस्थापित स्टाफ आर्टिस्टों और अन्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग

2347. **श्री त्रिदिब चौधरी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी बंगाल में ढाका, राजशाही और चिटगांव के रेडियो स्टेशनों से सम्बद्ध उन भूतपूर्व रेडियो पर प्रसारण करने वाले संगीतज्ञों, स्टाफ आर्टिस्टों और तकनीशियनों, जो 25 मार्च, 1971 के पश्चात उस देश से विस्थापितों के रूप में भारत आये हैं, की सेवाओं को उपयोग में लाने का विचार किया है; और

(ख) उपर्युक्त कितने व्यक्तियों को अब अल्पकालिक अथवा अन्य प्रकार से रोजगार दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी द्वारा उपयुक्त विस्थापित कलाकारों की सेवाओं का अपनी कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जायेगा । उनको आकाशवाणी के स्टाफ के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

2348. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1968-69 के लिए (स्थिर मूल्यों के अनुसार – आधार 1960-61) 248 रुपये थी, सबसे बाद के इसी वर्ष के बारे में सूचना उपलब्ध है ।

(ख) निजी क्षेत्र के निवेश और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चौथी पंच वर्षीय योजना के केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित क्षेत्रों के निवेश के अतिरिक्त राज्य की चौथी पंच वर्षीय योजना के लिए 969 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के सीधे विकास के लिए रखा गया है । इसके अतिरिक्त ग्राम निर्माण कार्यक्रम, लघु कृषक विकास कार्यक्रम (एस० एफ० डी० ए०) । एम० एफ० ए० एल० कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए बेरोजगारी हटाने के तूफानी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए उदारतापूर्वक आवंटन किये गये हैं । इसके अतिरिक्त राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 36 जिले, वहां स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों को सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती दर पर वित्त की व्यवस्था के लिए चुने गये हैं और इसी प्रकार के दो जिले ऐसे नये औद्योगिक एककों को, जिनकी स्थिर पूंजी निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनके स्थिर पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत के बराबर उपदान (सब्सिडी) सहायता के लिए चुने गये हैं ।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर (अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय) का खोला जाना

2349. **श्री सुबोध हंसदा**: क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर (अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय) खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): जी हां ।

(ख) मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया तीनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित खोले जाने वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या इस प्रकार है :

जिले का नाम	प्रस्तावित खोले जाने वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या	
	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान	वर्ष 1971-72 के दौरान
मिदनापुर	250	100
बांकुरा	75	25
पुरुलिया	50	15

Telephone connections in Sehor District, (Madhya Pradesh)

2350. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of existing telephone connections in Sehor Districts in Madhya Pradesh;

(b) the number of persons whose applications for telephone connections are pending consideration of Government at present; and

(c) the number of those persons in the said District who made applications for this purpose during the last two years and the reasons for delay in providing telephone connections and the time by which this difficulty is likely to be removed ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) 391

(b) 377

(c) 377 Connections could not be provided to these applicants due to shortage of exchange capacity and essential line-stores. They are likely to get connections within the next nine months to a year.

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अगरतला के जयनगर-रामनगर क्षेत्र में गोलाबारी

2351. **श्री बीरेन दत्त :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सैनिकों ने अगरतला में जयनगर, रामनगर क्षेत्र में कुछ ही समय पूर्व गोलाबारी की थी;

(ख) यदि हां, तो उस गोलाबारी में कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए; और

(ग) क्या पाकिस्तानी आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों को कोई राहत दी गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अगरतला के जयनगर-रामनगर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा कोई गोलाबारी नहीं की गई । तथापि, दो अवसरों पर

अर्थात् 11 मई, तथा 15 मई, 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल में मुक्ति फौज से लड़ते हुए अगरतला क्षेत्र के सामने पाकिस्तानी क्षेत्र से अन्धाधुन्ध गोलाबारी की और कुछ गोलियां भारतीय क्षेत्र में गिरीं।

(ख) इन घटनाओं में दो पाकिस्तानी शरणार्थी मारे गये तथा 11 भारतीय राष्ट्रिक और 4 पाकिस्तानी शरणार्थी घायल हुए।

(ग) इन मामलों में आवश्यक राहत तथा सहायता दी गई थी।

डाक तथा तार विभाग के डाकियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दियों का नमूना

2352. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के डाकियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी वर्तमान वर्दियों के नमूने के बारे में गहरा असन्तोष व्यक्त किया है;

(ख) क्या सरकार उनकी वर्तमान वर्दियों के नमूने को बदलने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रश्न पर भी विचार कर रही है कि उन्हें खाकी वर्दियां बनवाने के लिए वार्षिक भत्ता दे दिया जाय ताकि वे सरकारी नमूने के अनुसार वर्दियां बनवा सकें ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) वर्दियां फिट न होने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसा पता लगा है कि आमतौर पर वर्दियां फिट न होने का कारण यह था कि गलत साइज़ की वर्दियों की मांग की गई थी।

(ख) इस मामले का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है और हाल ही में सर्कल अध्यक्षों को बैठक में भी इस पर विचार किया गया था। सरकार उनकी सिफारिशों की ओर तुरन्त ध्यान दे रही है।

(ग) जी हां। मई, 1971 में हुई सर्कल अध्यक्षों के सम्मेलन में वर्दियों की जगह नकद भत्ते का भुगतान करने या बिना सिला कपड़ा देने के प्रश्न पर विचार किया गया था। इसकी जांच की जा रही है।

पुरी डिवीजन के डाकियों तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी के अनुपयुक्त आवास कर्मचारियों के लिये

2353. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि पुरी डिवीजन में कार्य कर रहे डाकियों और अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपयुक्त मकान नहीं दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्ह सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 9.2 प्रतिशत कर्मचारियों को मकान अलाट किए जा चुके हैं। इसके अलावा टाइम-1 के 16 क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) आगे के योजना कार्यक्रमों में इस टाइप के क्वार्टरों में आगे और वृद्धि करने के प्रश्न पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

डाकियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को साइकिल भत्ता

2354. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि डाकियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को केवल चार रुपया महीना साईकिल भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार यह भत्ता बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह भत्ता कितना बढ़ाया जायेगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के सिविल रक्षा निदेशालय और होम गार्डस् में भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की भर्ती

2355. **श्री पन्नालाल बारूपाल**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली / नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय रोजगार कार्यालय में भेजे बिना सेना मुख्यालय के पुनस्थापित निदेशालय द्वारा सीधे प्रायोजित किए गए कितने भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को सिविल रक्षा निदेशालय और होम गार्डज दिल्ली में भर्ती किया गया है;

(ख) क्या सेना-मुख्यालय के पुन:स्थापित निदेशक के माध्यम से विभाग में एक बार नियुक्त किये गये व्यक्तियों को उसी विभाग में उच्चपदों के लिए पुन: प्रायोजित किया गया था जब कि वे उस समय तक विभागीय प्रत्याशी बन गये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुकूल हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्योंही प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बहराइच स्थित टेलिफोन केन्द्र का असन्तोषजनक कार्यकरण

2356. **श्री बी० आर० शुक्ल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित टेलीफोन केन्द्र की इमारत में सार्वजनिक टेलीफोन घर में टेलीफोन की काल बुक कराने के लिये जाने वाले व्यक्तियों के लिये तथा वहां तार देने के लिये जाने वाले व्यक्तियों के लिये कोई प्रतीक्षास्थल (वेटिंग शेड) नहीं है;

(ख) क्या सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र का कार्यकरण इतना असन्तोषजनक है कि घंटों तक यहां तक कि पूरे दिन तक काल नहीं हों पाती है; ओर

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) वहां कोई प्रतीक्षास्थल (वेटिंग शेड) नहीं है ।

(ख) तथा (ग). तांबे के तार की चोरी के कारण ट्रंक सर्किटों में बार-बार गड़बड़ी होती है ।

(घ) **उपचारात्मक कार्रवाई :**

(i) जनता के लिए बैठने के स्थान की व्यवस्था करने के लिए इमारत में बरामदे को बन्द किया जा रहा है ।

(ii) तांबे के तार को ए० सी० एस० आर० (अल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड) तार से बदला जा रहा है ।

बहराइच में टेलीफोन कनेक्शन के लिये लम्बित आवेदन-पत्र

2357. **श्री बी० आर० शुक्ल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहराइच नगर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन-पत्र विभाग में लम्बित पड़े हैं और यदि हां, तो कब से; और

(ख) क्या इन आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन अविलम्ब मिलने की कोई सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) इस समय बहराइच में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए 77 आवेदन-पत्र प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं । उनमें से सबसे पुराना आवेदन-पत्र 15-6-1965 का है ।

(ख) भूमिगत केबल बिछाने का काम पूरा हो जाने पर, यथाशीघ्र नए टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाएंगे ।

चौथी योजना में केरल को वित्तीय सहायता

2358. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए केरल राज्य को चौथी योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में केरल राज्य को 175 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी । यह राशि उस वस्तुगत कसौटी के आधार पर निर्धारित की गई है जोकि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसी प्रयोजन के लिए नियुक्त मुख्य मंत्री समिति ने तय की थी । यह राशि और 83.35 करोड़ रुपये की राशि जो कि राज्य सरकार अपने निजी साधनों से जुटाने वाली है दोनों मिलाकर चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान केरल राज्य के विकास कार्यक्रमों के लिए, जिनमें राज्य के पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, स्वीकृत परिव्यय के रूप में है । ऊपर उल्लिखित 175 करोड़ रुपये की राशि में से कोई भी राशि केरल के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सहायतार्थ अलग से नहीं दिखाई गई है ।

(ख) और (ग). केरल के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त सहायतार्थ विशिष्ट रूप से कोई मांग नहीं की गई है । केरल सरकार ने बेरोजगारी के सम्बन्ध में एक विशेष समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें राज्य के विस्तृत आर्थिक कार्य-कलापों के क्षेत्र में नये परिव्ययों के लिए कई सिफारिशें की गई हैं । आयोग ने अपनी ओर से इन सिफारिशों की जाँच केरल सरकार के सहयोग से कर रहा है । चौथी योजना के बाहर किसी अतिरिक्त स्कीम के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध केरल सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में पाकिस्तान द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप मारे गये भारतवासी

2359. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 1971 के नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 29 मई, 1971 के पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले के घोजा डंगा नामक सीमावर्ती गांव में पाकिस्तानी गोले गिरने से दो भारतीय मारे गये तथा अन्य कई व्यक्ति घायल हो गये;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमान् । 29 मई, 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल में भोमरा की अपनी बाह्यचौकी से मोर्टर से गोले फेंके। उन्होंने कुछ गोले 25 पौंड के भी फेंके। लगमग 20 मोर्टर गोले भारतीय सीमा की घोजा घोन्गा बाह्यचौकी के समीप गिरे। छोटे हथियारों की छुटपुट गोलियां और कुछ 25 पौंड के गोले भी भारतीय क्षेत्र के भीतर गिरे। सीमा सुरक्षा दल ने कारगर रूप से जवाब में गोलियां चलाई तथा पाकिस्तानी गोलाबारी को शान्त कर दिया। इस घटना में दो भारतीय राष्ट्रिक मारे गये।

(ख) तथा (ग). केन्द्र सरकार द्वारा कोई जांच नहीं की गई है। किन्तु भारतीय क्षेत्र में उनकी अकारण गोलीबारी के लिए पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया था।

केरल में किराये के भवनों में डाक तथा तारघर के कार्यालय

2360. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में डाक तथा तारघर और अन्य उप-कार्यालय इस समय किराये के भवनों में हैं;

(ख) यदि हां, तो जिलेवार ऐसे भवनों की कितनी संख्या; और

(ग) किराये के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि का भुगतान किया जाता है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) जी हां।

(ख)

अलप्पी	131
कालीकट	112
कन्नानोर	125
अर्नाकुलम	130
कोट्टायम	146
मालपुरम	74
पालघाट	118
क्विलन	101
त्रिचुर	130
त्रिवेन्द्रम	107

(ग) 12,85,892 रुपये।

भारतीय हरी चाय की मांग

2361. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय हरी चाय की विदेशों में मांग वढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं और इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । भारतीय हरी चाय के लिए बढ़ी हुई मांग की प्रवृत्ति रही है ।

(ख) भारत की चाय मुख्यतः अफगानिस्तान, मोरक्को, जापान तथा संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात कर रहा है । 1966 से हरी चाय से हुई निर्यात आय निम्नोक्त प्रकार है:—

वर्ष	(निर्यातों का मूल्य करोड़ रुपये में)
1966	1.29
1967	0.77
1968	1.37
1969	2.42
1970	2.06

आकाशवाणी के संवाददाताओं की विदेशों में नियुक्ति

2363. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के संवाददाताओं की विदेशों में नियुक्ति के बारे में क्या नीति अपनाई गई है;

(ख) क्या निम्नतम अर्हता और अनुभव अपेक्षित हैं;

(ग) क्या दक्षिण पूर्व एशिया के लिये कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी योग्यताएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). बेरुत (पश्चिमी एशिया) और हांगकांग (दक्षिण-पूर्व एशिया) में आकाशवाणी के सीनियर संवाददाता के पद, केन्द्रीय सूचना सेवा के जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में सम्मिलित हैं । अधिकारियों का चयन, उनके सामाचारिक बोध, सेवा रिकार्ड, सामयिक भारतीय और विदेशी मामलों की जानकारी तथा विदेशों में तैनात किए जाने की सामान्य उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

(ग) तथा (घ). दक्षिण-पूर्व एशिया में वर्तमान पदधारी 4 नवम्बर, 1967 से कार्य कर रहे हैं । क्योंकि उन्होंने तीन वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है और उनको उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया जाना है, अतः उनके स्थान पर जूनियर प्रशासनिक ग्रेड के दूसरे अधिकारी को, जो उक्त योग्यताएं रखता हो, नियुक्त किया जा रहा है ।

चलचित्रों को राष्ट्रीय पुरस्कार

2365. **श्री जी० मुवाराइन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्रों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार के सम्बन्ध में पुनरीक्षित नियमों के अन्तर्गत फीचर फिल्म की तुलना में राष्ट्रीय एकता वाली फिल्म के लिए कम राशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार के विचाराधीन राष्ट्रीय एकता की फिल्मों के पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर फीचर फिल्मों के लिये पुरस्कार की राशि के बराबर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो विषमता के क्या कारण हैं तथा फीचर फिल्मों को अधिक राशि का पुरस्कार देने के सम्बन्ध में क्या कसौटी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीरसिंह): (क) से (ग). फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सम्बन्धी संशोधित नियमों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए नकद पुरस्कारों की राशि इस वर्ष इसके निर्माता के लिए 5,000/– रुपए से बढ़ाकर 30,000/– रुपए तथा इसके निर्देशक के लिए 2,000/– रुपए से बढ़ाकर 10,000/– रुपए कर दी गई है। वर्ष की सर्वोत्तम फीचर फिल्म, जो सभी तकनीकी पहलुओं तथा चलचित्र कला की उत्कृष्टता के आधार पर आंकी जाती है, के मामले में नकद पुरस्कारों की राशि इस वर्ष इसके निर्माता के लिए 20,000/– रुपए से बढ़ाकर 40,000/– रुपए तथा इसके निर्देशक के लिए 5,000/– रूपए से बढ़ाकर 10,000/– रुपए कर दी गई है। नियमों में ऐसी कोई बात नहीं जिससे राष्ट्रीय एकता की फिल्म को वर्ष की सर्वोत्तम फीचर फिल्म के रूप में आँके जाने पर रोक हो।

प्रतिनियुक्ति पर गये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के श्रेणी III के अधिकारी

2366. **श्री चन्द्रपाल संलानी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नि:संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नये केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के श्रेणी-III के अधिकारियों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जन जाति के हैं;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों का चयन करते समय अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है;

(घ) क्या नियुक्ति अधिकारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति के लिए इस बहाने पर चयन नहीं करने का प्रयत्न करते हैं कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के प्रत्याशियों के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए स्थान आरक्षित नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो निःसंवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए चुने गये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) . अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) अपेक्षित सूचना के प्राप्त होने पर इसमें विचार किया जायेगा ।

Registration of Pakistani Citizens in West Bengal

2367. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani citizens registered in West Bengal during the last two years who came to India with valid passports and other documents:

(b) the number of Pakistani citizens who went back to Pakistan before the expiry of the period of their visa during this period;

(c) The number of persons who were served with notices to leave the country during this period;

(d) the number of Pakistani citizens deported; and

(e) the number of persons arrested and the action taken against them.

The Deputy Minister in the Ministry of Home affairs (Shri Mohsin): (a) to (e). the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Visit by Pakistani Nationals to Maharashtra on Valid Passports

2368. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani nationals who came to Maharashtra on valid passports since 1st January, 1968 to date;

(b) the number of Pakistani nationals who returnded to Pakistan before the expiry of the period of their visas during the above period;

(c) the number of Pakitani nationals who went underground, deported from India during the above period; and

(d) the number of Pakistani nationals against whom look-out notices have been issued and the estimated number of those who are underground at present ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri. K. C. Pant): (a) 9,824 from 1st January, 1968, to 30th April, 1971.

(b) 9,396.

(c) 23 Pakistani nationals went underground and 30 were deported during this period.

(d) Look-out notices were issued against 11 pakistani nationals. There were 9 Pakistani nationals underground as on 30th April, 1971.

पिछड़े हुए क्षेत्रों के निर्धारण के लिये कसौटी

2369. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों की पहचान के लिए कसौटी निर्धारित करने हेतु नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने 1969 के आरम्भ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में कोई अनुकूल कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) सिफारिशों की शीघ्र क्रियान्विति के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). योजना आयोग ने राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं से परामर्श करके देश भर में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 209 जिलों को चुना है, इन जिलों में नये उद्योगों के लिए वित्तीय ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर वित्त की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए अभिनिर्धारित 9 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक के दो चुने हुए जिलों में तथा शेष राज्यों व संघशासित क्षेत्रों के एक एक जिले में ऐसे नये एककों को, जिनका कुल स्थिर-पूंजी-निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उनके स्थिर पूंजी निवेश के $\frac{1}{10}$ के बराबर सीधे अनुदान या उपदान (सब्सिडी) सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी ।

भारतीय उद्योग विकास बैंक (दि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (दि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया) और भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम (दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया) चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिए धन देने की रियायती शर्तों की घोषणा पहले ही कर चुके हैं ।

निजी थैलियों के प्रश्न पर भूतपूर्व शासकों के साथ बातचीत

2370. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या गृह मंत्री 26 मई, 1971 के निजी थैलियों की समाप्ति के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी थैलियों के प्रश्न पर बात करने के लिये भूतपूर्व शासकों ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें यदि किसी सूत्र का सुझाव दिया है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त): (क) और (ख). कुछ नरेशों ने सुझाव दिया है कि प्रिवीपर्सों को समाप्त करने का प्रश्न नरेशों से विचार-विमर्श के बाद तय किया जाय । उन्होंने किसी सूत्र का प्रस्ताव नहीं रखा है ।

विदेशी व्यक्तियों सम्बन्धी अधिनियम के अधीन हिरासत में लिये गये अथवा जमानत पर छोड़े गये व्यक्ति

2371. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 26 मार्च, 1971 के पश्चात विदेशी व्यक्तियों सम्बन्धी अधिनियम के अधीन हिरासत में लिये गये अथवा जमानत पर छोड़े गये बंगला देश के विस्थापित पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या ऐसी सभी स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध मुकदमें वापस लेने तथा उन्हें तत्काल रिहा कर देने का विचार है जिनके पति, पिता अथवा अन्य पुरुष संरक्षक बंगला देश में मारे गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन): (क) और (ख). पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

चलचित्र वित्त निगम को दी गई राशि का उपयोग

2372. **श्री कृष्णचन्द्र पांडे:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970-71 में चलचित्र वित्त निगम को कितनी राशि दी गई;

(ख) राशि किस प्रयोजन के लिये दी गई थी; और

(ग) क्या इस प्रकार दी गई राशि का उचित उपयोग किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख). वर्ष 1970-71 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने फिल्म वित्त निगम को निम्न लिखित प्रयोजनों के लिए कुल मिलाकर 32 लाख 50 हजार रुपए के दो ऋण मंजूर किए हैं:—

फिल्मों के निर्माणार्थ फिल्म निर्माताओं के लिए ऋण	20,00,000 रुपए
सिनेमाघरों को लीज पर लेने के लिए	12,50,000 रुपए
	32,50,000 रुपए

(ग) (1) वित्तीय सहायता देने के लिए निमत्त 20 लाख रुपए का ऋण निगम द्वारा उन फिल्म निर्माताओं को ऋण की किश्तें देने के लिए ऋण मंजूर किए हैं।

(2) जहां तक 12 लाख 50 हजार रुपए के ऋण का सम्बन्ध है, निगम की सभी सिनेमा थिएटरों को लीज पर देने की बात चल रही है।

रजिस्टर्ड पत्रों तथा पार्सलों से डिमांड नोटों आदि का निकाल लिया जाना

2373. **श्री अमरनाथ चावला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1970-71 के दौरान रजिस्टर्ड पत्रों और पार्सलों में से डिमांड नोट, ड्राफ्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यापार सम्बन्धी दस्तावेज निकाल लिये जाने की कई घटनाओं का पता लगा है;

(ख) क्या गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा ने चोरों के एक ऐसे गिरोह का पता लगाया था जो इस प्रकार की कार्यवाहियां करता था; और

(ग) यदि हां, तो इन घटनाओं के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से बरामद दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) 99

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली में इस तरह की वारदातों के क्रम में, अपराध अन्वेषण विभाग (अपराध) ने 4 व्यक्ति गिफ्तार किए हैं इनमें दो क्लर्क भी शामिल हैं। उनके कब्जे से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। दो बाहर के आदमियों की तलाशी लेने पर कई तरह की रबड़ की मोहरें प्राप्त हुई। विभागीय कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैसूर सर्कल में इसी तरह की एक वारदात की रिपोर्ट मिली है जिसमें एक डाकिया गिरफ्तार किया गया था उसे निलम्बित कर दिया गया था। अब उस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है। मध्यप्रदेश सर्कल में इस तरह की दो घटनाएं घटी हैं जिसमें कि एक बाहर के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से एक बैंक पास बुक कब्जे में ले ली गई थी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल के समुद्रतटवर्ती क्षेत्र में समुद्र से भूमि का कटाव

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी): श्रीमान, मैं **सिंचाई और विद्युत** मंत्री का ध्यान **अविलम्बनीय लोक** महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे **इस सम्बन्ध में एक** वक्तव्य दें :

केरल के समुद्रतटवर्ती क्षेत्र में समुद्र से भूमि के कटाव और इसके परिणामस्वरूप मुख्य सड़कों, नहरों, समुद्री बांधों आदि के टूटने के खतरे का समाचार तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : केरल की समुद्र-तट रेखा लगभ 560 किलोमीटर की है। इस समुद्रतटीय पट्टी की आबादी घनी है। राष्ट्रीय राजपथ और अन्तर्देशीय नौवहन प्रणाली, दोनों के मार्ग समुद्रतट से समानाँतर हैं और जमीन का मात्र-एक छोटा-सा ही क्षेत्र है जो उन्हें समुद्र से अलग करता है।

भू-क्षरण लगभग 320 किलोमीटर तक की लम्बाई में जोर का रहता है। यह भूक्षरण प्रायः मानसून के महीनों के दौरान ही होता है, जो मई के अन्त से प्रारम्भ होता है और जब समुद्र आमतौर पर अपने प्रचण्ड रूप में रहता है। बहुत जगहों में समुद्र 30-40 मीटर आगे तक बढ़ जाता है और फिर 25-30 मीटर पीछे हट जाता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 5 से 10 मीटर भूमि की क्षति हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप मकानों और खेती की भूमि को नुकसान और क्षति दोनों पहुंचती है। समुद्रतटीय पट्टी के निवासी मुख्य रूप से मछुए हैं और वे ही इससे सबसे अधिक पीड़ित होते हैं।

इस वर्ष के भू-क्षरण और उससे हुए नुकसान के सम्बन्ध में केरल सरकार ने अभी तक इकट्ठा किया गया जो विवरण भेजा है, वह नीचे लिखे अनुसार है।

मार्च के दौरान अलेम्पी जिले में बलिया झील, अलेम्पी, पुन्नपरा और पुरक्कड में भू-क्षरण हुआ। इससे 70 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। 17 और 25 अप्रेल के बीच कन्नानोर जिले के माविला कडापुरम के पास जो भू-क्षरण हुआ उससे कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा। इस क्षेत्र में समुद्री दीवार के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। कोझीकोड जिले में जून के पहले सप्ताह में एलाथर गाँव के पुडियप्पा में और इरींगल में भू-क्षरण हुआ।

कितनी भूमि का कटाव हुआ और इससे कितना नुकसान पहुंचा, इसका मूल्याँकन राज्य सरकार के द्वारा अभी किया जा रहा है।

सरकार इस बात से अवगत है कि केरल के समुद्री तट की भू-क्षरण समस्या कितनी गंभीर है, समुद्री तट की पट्टी में रहने वाले लोगों को इसके कारण कितनी क्षति और परेशानी उठानी पड़ती है और संचार व्यवस्था के लिए भी यह किस तरह संकट उपस्थित कर देता है। सरकार इस बात से भी अवगत है कि जिन निर्माण-कार्यों से समुद्र तट की भूमि को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी, उनका कार्यान्वयन कितना आवश्यक है। केरल की राज्य सरकार 1955 से ही समुद्री भू-क्षरण-रोधी उपायों को कार्यान्वित करती रही है। इन उपायों में समुद्री दीवारें, पुलिन रोध आदि आते हैं। अभी तक 9.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और इसमें बचाव के लिए आवश्यक समुद्रतट का लगभग 25 प्रतिशत भाग जो मुख्यतः सबसे अधिक पीड़ित क्षेत्र है, आ गया है। फिर भी इन क्षेत्रों में भी सावधानीपूर्वक निगरानी और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता होती है।

भारत सरकार ने विशेषज्ञों का एक समुद्रतटीय भू-क्षरण बोर्ड गठित किया है। यह बोर्ड निर्माण कार्यों के लिए योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को यथा आवश्यक परामर्श देता है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय के वक्तव्य से मुझे प्रसन्नता हुई है। वे समुद्र द्वारा कटाव की समस्या को समझते हैं तथा उन्होंने उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है।

उन्होंने उस पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया है। और कहा है कि इस पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाने चाहिए तथा केवल केरल के समुद्रतटवी क्षेत्र में दीवारें आदि बनाने पर इसमें से 40 करोड़ रुपये खर्च किए जाने चाहिए। परन्तु अपने वक्तव्य के अन्त में उन्होंने जब इसे कार्यरूप देने की बात आई तो वह हमारी आशा के अनुकूल नहीं थी।

मंत्री महोदय ने समुद्र द्वारा कटाव की समस्या को बाढ़ नियंत्रण से जोड़ा है। वास्तविकता यह है कि बाढ़ सारे देश की समस्या है जबकि समुद्र द्वारा कटाव एक विशेष क्षेत्र की समस्या है। इसके कारण हमारी 5-10 मीटर भूमि प्रतिवर्ष समाप्त हो रही है। जब हमारी सीमा पर आक्रमण होता है तो हम अपनी सेनाएँ भेजते हैं और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। इस क्षेत्र को कटाव से बचाने के लिए हमें केवल 40 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जैसा कि मंत्री महोदय ने सुझाया है। यह व्यय केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए और इसे बाढ़ नियंत्रण योजना के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्या सरकार इस दिशा में नीति सम्बन्धी निश्चय करने पर विचार कर रही है ?

यदि आप केरल जाकर देखें तो आप सारे तटवर्ती क्षेत्र को ही समुद्री कटाव से प्रभावित पायेंगे। केवल 70 या 77 किलोमीटर तटवर्ती क्षेत्र को ही बचाया गया है। वहाँ कुछ क्षेत्रों में लोग पाँच-पाँच बार अपने निवास स्थान बदल चुके हैं।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार 45 लाख रुपया समुद्री कटाव को रोकने के लिए आवंटित करेगी ? और क्या सरकार संकटग्रस्त लोगों को कोई सहायता देगी ?

केरल सरकार ने समुद्री कटाव का सामना करने के लिए योजना आयोग को एक योजना भेजी है और चौथी योजना में इसके लिए 12 करोड़ रुपये आवंटित करने की माँग की है, परन्तु उसे घटा कर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार दस या बारह करोड़ रुपया इस प्रयोजनार्थ दे रही है या नहीं ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य का कथन बिलकुल सही है और यह बहुत ही अच्छा है। यदि अगले दस साल तक प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपया इस मद पर खर्च हो। अब समस्या यह है कि यह रुपया आए कहाँ से ? इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकार को इस कार्य के लिए कुछ रुपया दिया गया है। भारत सरकार की नीति यह है कि केरल सरकार आवंटित धन राशि को उसी वर्ष व्यय करें तथा उससे भी कुछ अधिक धन यदि उसे व्यय करना पड़े तो वह उसे ऋण के रूप में दिया जाता है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : 4 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कही गई है परन्तु वर्तमान दीवार के भी बह जाने को दृष्टि में रखते हुए लगता है कि वर्तमान कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है । पिछले 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार समुद्री कटाव को अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के समान मानकर तटीय क्षेत्र को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करेगी ? क्या सरकार केरल के तटवर्ती क्षेत्र को बचाने के लिए विश्व बैंक या किसी अन्य एजेन्सी से सहायता के लिए माँग करेगी; और क्या सरकार समुद्री दीवारों को बचाने के लिए ठोकरों का निर्माण करने पर विचार करेगी ?

डा० के० एल० राव : केरल सरकार से हमें कोई सूचना नहीं मिली है और मात्र समाचार पत्रों की सूचना के आधार पर मैं कुछ नहीं कह सकता । समुद्री कटाव की समस्या एक विशेष प्रकार की समस्या है, उसके सम्बन्ध में आप निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि समुद्री कटाव से भूमि का बचाव कर लिया गया है ।

यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष जानकारी हो तो वह मुझे दें और मैं समुद्री कटाव विशेषज्ञ निकाय के सम्मुख उसे रखूँगा और उन कार्य में स्थिरता लाने का प्रयत्न करूंगा ।

बाढ़ आदि जैसी समस्याओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन से अधिक व्यय करने पर अतिरिक्त राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है । और तब यह तय किया जाता है कि उसमें से कितनी राशि ऋण के रूप में होगी । परन्तु माननीय सदस्य का कहना है कि केरल एक छोटा राज्य है और इस बड़ी समस्या पर वह इतनी बड़ी राशि व्यय नहीं कर सकता है इसलिए इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए । इस विषय में निर्णय अभी किया जाना है ।

श्री रामचद्रन कडनापल्ली (कासरगोड) : इस समुद्री कटाव से सबसे अधिक मछेरे प्रभावित होते हैं । उनकी हालत पहले से ही दयनीय होती है और भू-कटाव से उनकी झौपड़ियाँ टूट जाती हैं और तब उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ता है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार तटवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोई दीर्घकालीन वैज्ञानिक उपाय करने जा रही है और क्या वह इसके लिए उसी द्रुत गति के कार्रवाई करेगी जैसी कि उसने शरणार्थियों के लिए की है ? क्या सरकार मछुओं के आवास कार्यक्रम को पूरी राज सहायता देगी ?

राज्य सरकार ने 12 करोड़ की एक योजना बनाई है परन्तु वे इस बड़ी धन राशि को व्यय करने की स्थिति में नहीं है । अत: इसे राष्ट्रीय समस्या मान लिया जाए तथा उसे केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण योजनाओं में शामिल किया जाये ।

डा० के० एल० राव : सारी समस्या आर्थिक है । इस सम्बन्ध में मैं योजना आयोग को स्थिति का पुनर्विलोकन करने को कहूंगा ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : 1965 की अपनी रिपोर्ट में लोकलेखा समिति ने कहा था कि समुद्री कटाव की समस्या को तदर्थ रूप में लेने की बजाय समन्वित रूप में लिया जाये, इसे बाढ़

नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए । इस समस्या के लिए मंजूर की गई 45 लाख रुपये की राशि बहुत कम है । कम से कम योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई 10 करोड़ रुपये की राशि उसे अवश्य दी जानी चाहिए ।

डा० के० एल० राव : राज्य सरकारों को धन-ऋण और अनुदानों के रूप में दिया जाता है और उसका उपयोग करना राज्य सरकारों का काम है; उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता । केरल सरकार की 10 करोड़ की माँग पर योजना आयोग को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु उसने अन्य क्षेत्रों को देखते हुए उसे 5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए केरल को अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अभी योजना आयोग से पुनः बातचीत करनी होगी ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : समुद्रतट के कई जगह से टूट जाने के कारण कोचीन बन्दरगाह और नगर को खतरा पैदा हो गया है । अतः क्या सरकार इस प्रकार के समुद्री आक्रमण से केरल को बचाने के लिए कोई तुरन्त कार्रवाई करेगी ? पौराणिक कथानक है कि केरल समुद्र से अवतीर्ण हुआ था परन्तु अब वह फिर समुद्र में समाता दीखता है । पर इस वैज्ञानिक युग में मैं समझता हूँ कि इस समस्या को यों ही नहीं छोड़ दिया जाएगा ।

समुद्री कटाव के कारण हम बहुत से उपयोगी खनिज पदार्थ खोते जा रहे हैं ।

एरणाकुलम में भुनमबम और चेराई के बीच समुद्र ने तीन मील लम्बा कटाव किया है जिसके कारण 3000 लोग बेघर हो गए हैं और एरणाकुलन के पीछे का हिस्सा और कोचीन बन्दरगाह खतरे में है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक शक्तिशाली आयोग का तुरन्त गठन किया जाना चाहिए जो वहाँ जाकर स्थिति को देखें और आवश्यक कार्रवाई करें । फिलहाल बेघर लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की जाए तथा बाद में आवास निर्माण का बृहत कार्यक्रम बनाया जाये ।

इस समस्या को प्राकृतिक न माना जाये । संसार के किसी देश के नागरिक इस प्रकार की आपदाओं को दूर न होने वाला नहीं मानते । हालैण्ड का ज्यादातर भाग समुद्री स्तर से नीचा है पर उन्होंने दीवार बनाकर समुद्र के आक्रमण से अपनी भूमि को बचाया है । इसलिए इस स्थिति का सामना करने के लिए कारगर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे देश के अमूल्य खनिज पदार्थों, मत्स्य उद्योग तथा देश के गरीब लोगों को बेघर होने से बचाया जा सके ।

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने जिस समुद्री कटाव का जिक्र किया है उसकी मुझे जानकारी नहीं है । मैं केरल सरकार से जानकारी माँगूंगा और उन्हें आश्वासन देता हूँ कि हम तुरन्त कार्रवाई करेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) नौवाँ संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 9 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 47 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 6 मार्च, 1971 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 316 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 6 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 317 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 6 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 318 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्त) संशोधन विनियम 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 6 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 319 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 22 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 749 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन और अपील) पहला संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 29 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 797 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 29 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 798 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 421/71]

(2) उपर्युक्त मद (1) में (एक) से (पाँच) तक उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 422/71]

सूती वस्त्र समिति (संशोधन) नियम

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं श्री एल० एन० मिश्र की ओर से सूती वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूती वस्त्र समिति (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र दिनाँक 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 372 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 423/71]

पंजाब आदि के बारे में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उदघोषणा
PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO PUNJAB ETC.

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 15 जून, 1971 को जारी की गयी उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 15 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 944 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 424/71]

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के दिनाँक 15 जून, 1971 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति,

जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 15 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 945 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 425/71]

(तीन) राष्ट्रपति को भेजे गए पंजाब के राज्यपाल के दिनाँक 13 जून, 1971 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 426/71]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA-SABHA

सचिव : मुझे राज्यसभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है:—

(एक) राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के अन्तर्गत मुझे मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 की वापिस भेजने का निदेश मिला है जो कि लोक-सभा द्वारा 11 जून, 1971 को पास किया गया था और राज्य-सभा की सिफारिश के लिए भेजा गया था । राज्य सभा से इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे मैसूर राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश मिला है, जिसे कि राज्य सभा द्वारा 15 जून 1971 को हुई बैठक में पारित किया गया था ।

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखा गया ।
Bills as Passed by Rajya Sabha Laid on the Table

सचिव : मैं मैसूर राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूँ ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों से सम्बद्ध समिति

(दूसरा प्रतिवेदन)

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

(Second Report)

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायतशासी जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

(1) (क) कि दोनों सभाओं की तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाये जिसे 'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति' कहा जाए और जिसके बीस सदस्य लोक सभा से तथा दस सदस्य राज्य सभा से हों, जो अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायें; और ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने का पात्र नहीं होगा और यदि समिति के लिए निर्वाचित किए जाने के बाद किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति की तारीख से वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(2) कि समिति के कृत्य ये होंगे:—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना और केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस सम्बन्ध में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(तीन) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुच्छेद 335 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को अपने नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविधिक तथा अर्द्ध सरकारी निकायों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्तियों सहित) में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए किए गए उपायों की जाँच करना ।

(चार) संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों की क्रियान्विति के बारे में दोनों सभाओं का प्रतिवेदन देना; और

(पाँच) ऐसे अन्य मामलों की, जो समिति उचित समझे अथवा सभा या अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से सौंपे गए हों, जाँच करना;

(3) कि समिति के सदस्य समिति की प्रथम बैठक की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेंगे;

(4) कि समिति की बैठक गठित करने के लिए गण-पूर्ति संख्या दस होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम उन परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ, जिन्हें अध्यक्ष करना चाहें, लागू होंगे; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और समिति के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य सभा से निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं इस समिति के गठन का स्वागत करता हूँ परन्तु इसके साथ ही मैं समिति के कृत्यों से सम्बद्ध दो तीन भूलों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

प्रस्तुत समिति का गठन 1968 में किया गया था और 9 दिसम्बर, 1970 को इसका पुनर्गठन हुआ था । यह समिति, इस सभा में प्रस्तुत एक प्रस्ताव के आधार पर गठित की गई थी । उस प्रस्ताव के पेरे 2 (5) में कहा गया कि:

"प्रायः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बद्ध केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों की परिधि में आने वाले सभी मामलों पर विचार कर उनसे सम्बद्ध प्रतिवेदन दोनों सभाओं को प्रस्तुत करना ।"

गत वर्ष स्पष्ट रूप से समिति के इस कृत्य को स्वीकार किया गया था । अब मेरी समझ में यह नहीं आया कि इसे क्यों हटा दिया गया है ।

दूसरी बात यह कि एक वर्ष से भी अधिक समय से इस पद पर किसी आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है ।

तीसरी बात यह है कि आज तक सरकार को समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री के० एस० रामास्वामी : श्रीमानजी, पुराने संकल्प का मंशा तो संकल्प के अन्य उपबन्धों में पूरा हो जाता है, अतः उसे अनावश्यक समझ कर इस बार नहीं जोड़ा गया है ।

जहाँ तक आयुक्त की नियुक्ति का सम्बन्ध है, इसके बारे में उचित कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही आयुक्त की नियुक्ति की जा रही है ।

जहाँ तक समिति के प्रतिवेदन और सिफारिशों का प्रश्न है, उनका अध्ययन विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है और यह सिफारिशें विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकार भी की जा रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

(1) (क) कि दोनों सभाओं की तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाये जिसे 'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति' कहा जाए और जिसके बीस सदस्य लोक सभा से तथा दस सदस्य राज्य सभा से हों, जो अनुपानी प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायें; और ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने का पात्र नहीं होगा और यदि समिति के लिए निर्वाचन किए जाने के बाद किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति की तारीख से वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(2) कि समिति के कृत्य ये होंगे:—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना और केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस सम्बन्ध में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना;

(तीन) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुच्छेद 335 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जनजातियों को अपने नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविधिक तथा अर्द्ध सरकारी निकायों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्तियों सहित) में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए किए गए उपायों की जाँच करना ।

(चार) संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों की क्रियान्विति के बारे में दोनों सभाओं का प्रतिवेदन देना; और

(पाँच) ऐसे अन्य मामलों की, जो समिति उचित समझे अथवा सभा या अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से सौंपे गये हों, जांच करना;

(3) कि समिति के सदस्य समिति की प्रथम बैठक की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए पद ग्रहण करेंगे;

(4) कि समिति की बैठक करने के लिए गण-पूर्ति संख्या दस होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम उन परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ, जिन्हें अध्यक्ष करना चाहें, लागू होंगे; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और समिति के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य सभा से निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted

अध्यक्ष महोदय : श्री बड़े कोई प्रश्न उठाना चाहते थे । हैजे के बारे में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा कुछ अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं। खैर आप एक मिनट में अपनी बात कह लीजिए ।

श्री आर० वी० बड़े : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि माना शरणार्थी शिविर में हैजा फैल गया है । मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न मंत्री महोदय को भेज दिया जाएगा ।

संसद अधिकारियों के संबलमों तथा भत्तों से संबन्धित (संशोधन) विधेयक–जारी

SALARIES AND ALLOWANCES OF OFFICERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब संसद अधिकारियों के सम्बलमों तथा मंत्री से संबंधित (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जायेगा ।

मुझे आशा है कि यह विधेयक पारित हो जायेगा क्योंकि संसद सदस्य और उपाध्यक्ष के वेतन में केवल 300 से 400 रुपये तक का ही अन्तर होता है । जब उपाध्यक्ष के पद को राज्य मंत्री के पद के समान माना गया है तो फिर उसे संसद सदस्य से 300 से 400 रुपये अधिक देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ । आज से बहुत पहले, वर्ष 1962 में, इस सदन के उपाध्यक्ष और दूसरे सदन के उप सभापति के पदों को राज्य मंत्री पद के समान स्वीकार किया गया था । परन्तु इन संसद अधिकारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई थी । अतः यह एक विषमता थी और प्रस्तुत विधेयक द्वारा केवल इस विषमता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जहाँ तक संसद के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वे सभी सीधे अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन आते हैं । इनकी सेवाओं की शर्तें वही होती हैं जो कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की होती हैं । उनके लिए जो कुछ करने में हम समर्थ होंगे, उसे अवश्य करेंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री कृष्ण हाल्दर ने कहा है कि प्रस्तुत विधेयक, केवल उपाध्यक्ष के लिए एक उपहार माना है । परन्तु उनका यह कहना उचित नहीं है । वास्तव में यह तो केवल पद को दी गई मान्यता को स्वीकार करना है ।

श्री बेनर्जी ने वेतन आयोग तथा जीवन निर्वाह सूचकाँक की चर्चा की, परन्तु उनका इस विषय के साथ सम्बन्ध नहीं है ।

मैं सभा से निवेदन करता हूँ इस विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करें ।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक मेरे सचिवालय का सम्बन्ध है, जो सरकार अपने कर्मचारियों के लिए करेगी वही हम अपने कर्मचारियों के लिए करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 4 was put and Negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 5 was put and Negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"संसद् अधिकारियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 2 (धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

श्री विभूति मिश्र (मोतीहरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The Amendment No. 2 was put and Negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was Adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 was added with Bill.

खण्ड 3 (धारा 5 का संशोधन)

Shri Bibhuti Mishra: I move my amendment No. 3.

The officers of Lok Sabha have to do considerably more work than the officers of Rajya Sabha.

The children of a Minister or of a member or an Agriculturist or a labourer are all equal.

Shri Raj Bahadur: Rajya Sabha has its own place in the Constitution. The hon. Member may please withdraw his amendment.

Shri Bibhuti Mishra: I withdraw it.

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया ।
The amendment was by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 3, 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 3, 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 3, 1, the existing Formula and the Title were added to the Bill.

श्री राज बहादुर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गरीबी हटाओं की चर्चा बहुत की जाती है । उसके लिए मंत्रियों के खर्चे घटाए जाने चाहिए । एक-एक मंत्री पर 30,000 से 50,000 रुपये खर्च होते हैं । प्रधान मंत्री पर कुछ वर्ष पूर्व 1,14,000 रुपये मासिक खर्च होता था जो कि अब तक दुगुना तिगुना हो गया होगा । जो छोटे लोग सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक कार्य करते हैं उनका मूल वेतन केवल 75 रुपये मासिक है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव पारित हुआ ।
The Motion was Adopted.

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे 40.40 तक के लिए स्थगित हुई)
(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock).

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर अठारह मिनट पर पुनः समवेत हुई)
(The Lok Sabha reassembled after lunch at eighteen minutes past fourteen of the clock).

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिड़ला के कर्मचारियों को 15 महीने से नौकरी से निकाल दिया गया है । कृपया श्रम मंत्री पर इस मामले का अध्यन कर वक्तव्य देने को कहें ।

आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक

STATUTORY RESOLUTION *Re.* MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY ORDINANCE AND MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY BILL

उपाध्यक्ष महोदय : उक्त साँविधिक संकल्प के लिए तथा आँतरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक के लिए 7 घंटे का समय दिया गया है । 5 घंटे संकल्प और विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिए तथा 2 घंटे विधेयक के तृतीय वाचन के लिए दिए जायें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (ग्वालियर) I Move:

"That this House disapproves of the Maintenance of Internal Security Ordinance, 1971 (Ordinance No. 5 of 1971) promulgated by the President on 7th May, 1971."

The President has the right to promulgate an ordinance under article 123 (1) but that is not an unrestricted right. For that the constitution provides that circumstances should exist which render it necessary for the President to take immediate action.

This ordinance was not promulgated for ending unemployment but it was done to revive preventive detention laws.

The circumstances did not exist on 7th May to promulgate such an ordinance by the President. The Government could have waited for the session of the Parliament. It was not considered necessary to discuss the matter with the opposition parties. Govt. should have atleast taken these parties in confidence who fought the last general elections hand in hand with the ruling party. I know that even the senior Members of the ruling party were not consulted before promulgating the said ordinance.

This ordinance has refreshed my memory of olden days when the British were repressing India's freedom struggle by such laws. Such laws were named as black laws by freedom fighters. Our national leaders opposed these laws.

I feel that the provisions of present law are more dangerous than the regulation 3 of 1818. It would give powers to the District Magistrates of over 300 districts to put anybody under detention without any trial.

The fight for the liberty of the individual is going on. Shri K. C. Pant is today playing the role of mankaly.

Ever since the constitution of India was drawn there has been opposition to the preventive detentive laws. This does not lead us to rule of law but takes us to the rule of jungle. With that ordinance a new name has been given. But that does not make any difference. It is a self deception being practised by this Government.

It is a fact that in our constitution provision has been made for preventive detention, but that is only for emergency and is not meant to be used in normal times.

A study of the debates of the Constituent Assembly would reveal that these provisions were vigorously offered. Today there is much talk about making the constitution more progressive. Why does not the Government act to remove the provisions of Preventive Detention Laws from the constitution.

We have adopted the democratic path but are making such provisions as did not exist in England even in war. Even then, there was provision to plead before the courts and have a pleader for defence.

There is no atmosphere of war in India today. Very recently elections were held peacefully. There was no necessity of bringing up such type of law at this peacetime. Previous government wanted to extend the term of Preventive Detention Act but could not do so and had to withdraw that law. There was no problem of the type of Bangla Desh that time and even then the ruling party wanted to extend this condemnable law.

This law has again been brought up under the different plea that they have to meet the problem of Pakistan Ships coming to India in the garb of refugees. There were other laws also to deal into the s spies and anti-national elements.

Essential security and essential supplies have also been placed under the perview of the detention law. How are they related with the happenings on the other side of the border. Approval of this ordinance will mean that the Government can play with the individual liberty. We can be detained even for criticising other countries. Can I not condemn the systematic genocide committed by the Pakistan army? Anybody criticising the atrocities of Pakistan army can be detained without trial.

These powers will not be used against foreign spies. They will be used against political opponents. We had been the victims of the Preventive Detention Law for having different political ideology. The ruling group is drunk with power which is being misused.

We have decided to oppose this ordinance. We will keep the fire of individual liberty burning. We want to protect the democracy. The Government is out to crush the opposition and for this reason we have decided to oppose this ordinance.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने विधेयक पर विचार किया जाए ।

श्री एल० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर पुर: स्थापन की स्टेज पर इस विधेयक का विरोध करता हूँ । मैं समझता हूँ कि इससे यह संविधान की धारा 19, 22 में उल्लिखित मूल अधिकारों का सल्लंघन होता है । संविधान की धारा 226 के भी यह विरुद्ध है । न तो आज बाहरी खतरा है और न ही भीतरी उपद्रव । यदि कोई ऐसी बात है तो केन्द्रीय सरकार धारा 335 के अधीन उचित कदम उठा सकती है । इस विधेयक के बारे में हमें महान्यायवादी का परामर्श लेना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको पुन:स्थापन के समय सूचना देनी चाहिए थी । इसका उत्तर मंत्री महोदय देंगे ।

श्री एल० एम० बनर्जी : मैं कहता हूँ कि इस विधेयक पर विचार नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे विधेयक पर विचार करने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। महान्याय-वादी के परामर्श के बारे में आप पृथक प्रस्ताव करें।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं विधेयक पुर:स्थापित कर ही चुका हूँ। मैंने श्री वाजपेयी को बड़े ध्यान से सुना है। इन्होंने व्यक्तिगत स्वाधीनता की जोरदार शब्दों में चर्चा की जिसके लिए इन्हें श्री ज्योति बसु का समर्थन भी प्राप्त हुआ। श्री वाजपेयी ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के काले करतूतों का जोरदार शब्दों में बखान किया। मैं श्री वाजपेयी को बताना चाहता हूँ कि सरदार पटेल सबसे पहले नज़रबन्दी कानून को संसद के सामने लाये थे। नेहरू और पटेल सरीखे नेता सबसे पहले इस कानून को लाए थे। श्री वाजपेयी चाहते हैं कि हम उन्हें सुने और उन नेताओं की मजबूरियों को न महसूस करें। जो लोग आज़ादी के लिए लड़ चुके हैं, वे ही आज़ादी की कीमत समझते हैं और इसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। इसके लिए मुझे खेद है कि मैं श्री वाजपेयी को बधाई नहीं दे सकता क्योंकि उनके दल ने आज़ादी की लड़ाई में कोई कष्ट नहीं भोगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारा दल 1952 में बना।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : काँग्रेस दल एक खरीदा हुआ दल है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं। आज देश विकट स्थिति से गुज़र रहा है। मेरा विश्वास है कि यह सदन देश की समस्याओं तथा इसकी एकता तथा अखण्डता कायम रखने पर संयम से विचार करेगा। श्री वाजपेयी ने पाकिस्तानी गुप्तचरों तथा सैनिकों की घुसपैठ को असम्भव नहीं समझा। वास्तविक स्थिति को उन्होंने माना लेकिन राजनैतिक मजबूरियों के कारणवश वे आज श्री ज्योति बसु के हाथ मजबूत कर रहे हैं।

मई के आरम्भ में देश की स्थिति इतनी खराब थी जिसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते थे। स्थिति अब भी ऐसी ही है जिसके लिए जरूरी है कि देश विदेशियों की घुसपैठ, जासूसी गतिविधियों आदि के लिए तैयार रहे। देश तथा सीमा पार की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही 7 मई, 1971 को आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी अध्यादेश जारी किया गया। इस सदन ने कई बार नक्सलवादी तथा ऐसे ही अन्य दलों की बढ़ती हुई हिंसक गतिविधियों के प्रति चिन्ता व्यक्त की है। देश को ऐसी स्थिति तथा साम्प्रदायिक उपद्रवों की स्थिति के प्रति सजग रहना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का विधेयक संसद में लाया गया है। नज़रबन्दी कानून न केवल विदेशियों की राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों का सामना करने के लिए जरूरी है बल्कि अपने देश के उन राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए भी ज़रूरी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए विदेशी तत्वों के हाथ बटाते हैं।

अब मैं विधेयक की विशेषताओं पर आता हूँ। विधेयक की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक किसी भी ऐसे व्यक्ति को नज़रबन्द कर सकते हैं जो अवाँछित तत्वों के समर्थन द्वारा देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो। इसके अनुसार विदेशियों की लगातार उपस्थिति को भी नियमित किया गया है।

धारा 8 के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी नज़रवन्द किए गए व्यक्ति को पाँच दिन के अन्दर नज़रबन्द किए जाने के कारण बताएगा। लेकिन कारण बताने की अवधि विशेष स्थिति में 15 दिन भी हो सकती है। धारा 3 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भी नज़रबन्दी आदेश 12 दिन से अधिक लागू नहीं रह सकता। धारा 17 के अधीन देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विदेशियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है।

शक्तियों को मनमाने ढंग से प्रयोग करने के लिए भी विधेयक में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। नज़रबन्दी का हर मामला 30 दिन के अन्दर सलाहकार बोर्ड को भेज दिया जायेगा। यदि सलाहकार बोर्ड की राय में नज़रबन्दी के कारण पर्याप्त न हों, तो नज़रबन्द किये गये व्यक्ति को तत्काल छोड़ दिया जायेगा।

जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अपना नज़रबन्दी कानून है। इसलिए यह कानून वहाँ लागू नहीं होगा। आँध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि राज्यों ने अपने अपने नज़रबन्दी कानून बना रखे हैं। आसाम, पंजाब, गुजरात सरीखे सीमावर्ती राज्यों में ऐसे कोई कानून नहीं हैं।

सदन को शायद नक्सलवादियों तथा बिहार के उग्रवादियों की गतिविधियों की जानकारी है। वहाँ के राज्यों ने इनका सामना करने के लिए कानून नहीं बनाए, इससे मैं चिंतित हूँ। सदन, समवर्ती सूची के अधीन राज्य की सुरक्षा तथा सिविल सप्लाई कायम रखने के उद्देश्य से कानून बनाने के लिए समर्थ है। मैं सदन को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि यदि किसी नागरिक पर अपराध करने का संदेह हो, तो उसे समर्थ न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए लाया जायेगा। जिस स्थिति का हम सामना कर रहे हैं उसके लिए देश की सुरक्षा तथा अखण्डता कायम रखने हेतु प्रभावशाली निवारक कदम उठाने अनिवार्य हैं। औषधि यदि कड़वी है, तो यह अनिवार्य भी है। काम कितना भी असुखद हो, सरकार को देश के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाना ही है। कानून द्वारा कुछ लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबन्दी लगेगी, इसे एक असुखद मजबूरी के रूप में स्वीकार करना होगा। शाँति-प्रिय अधिकाँश लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कभी कभी कुछ लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी पाबन्दी लगानी पड़ती है।

मैं विधेयक पर सदन द्वारा विचार किये जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: विचार प्रस्ताव पर कई संशोधन हैं।

श्री रामदेवसिंह (महाराजगंज): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पर 31 दिसम्बर, 1971 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

श्री स० मो० बनर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पर 10 नवम्बर, 1971 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पर 15 नवम्बर, 1971 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये ।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के प्रयोजनार्थ कुछ मामलों में निरोध का तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें सात सदस्य हों, अर्थात्:—

(1) श्री छुट्टन लाल
(2) श्री हीरा लाल डोडा
(3) श्री नाथू राम मिर्धा
(4) श्री श्रीकिशन मोदी
(5) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
(6) श्री नटवर लाल पटेल
(7) श्री नवल किशोर शर्मा

और उसे आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिए हर हल के लिए निर्धारित समय से कुछ अधिक समय भी लग सकता है ।

श्री सेजियान (कुम्बकोणम) : कुल समय कितना है ?

उपाध्यक्ष महोदय: 7 घंटे । 5 घंटे सामान्य चर्चा के लिए है ।

श्री एस० एम० बनर्जी: जिन दलों को पाँच से दस मिनट तक का समय मिला है, उन्हें अधिक समय दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय: सदन ने सात घंटे का समय निश्चित किया है । हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन इसे इतनी आसानी से नहीं बदला जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए । श्री वाजपेयी को 40 मिनट मिले थे ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बाजपेयी ने संकल्प प्रस्तावित किया था और आप चर्चा में भाग लेंगे , यही अन्तर है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पंत ने अपने वक्तव्य में कहा था कि देश की स्थिति आज ऐसी है जिसमें कानून, कानून नहीं और आदमी, आदमी नहीं रहा। संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1300 समाज-विरोधी तत्वों को नज़रबन्द किया था जो 20 वर्ष के काँग्रेसी शासन में पनपे थे। ज्योंही संयुक्त मोर्चा सरकार हुई, तो नज़रबन्द किए गए इन चोरबाजारियों को काँग्रेस ने रिहा किया और मालायें पहनायीं।

सदन के सामने इस प्रकार का विधेयक लाकर, मेरे विचार में सदन की प्रतिष्ठा को गिराया जा रहा है। अपनी राजनैतिक आकाँक्षाओं को पूरा करने के लिए सत्तारूढ़ दल ऐसे काले कानून ला रहा है जो फासिस्ट कानूनों की तरह है। प्रधानमंत्री सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा राजनैतिक षड़यंत्र रच रही हैं। अतः सदन को चाहिए कि इस गैरकानूनी कानून को अस्वीकार करे।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

19वीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेजों ने भी ऐसे ही कानून लागू किए थे। खेद की बात है कि आज 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में काँग्रेस सरकार समाजवाद, गरीबी हटाओं सरीखे नारे लगाकर भी ऐसे कानून लागू करने जा रही है। लेकिन तस्करों, चोरबाजारियों, मिलावट करने वालों तथा भ्रष्ट कर्मचारियों पर पाबन्दी लगाने के लिए कोई भी कानून सामने नहीं लाया जाता है। इस गैरकानूनी कानून का मुख्य उद्देश्य राजनैतिक विरोध को कुचलना है। ये धीरे-धीरे तानाशाही के मार्ग पर बढ़ रहे हैं।

आपको याद होगा कि अगरतला काण्ड में याह्याखां ने बंगलाबन्धु श्री मुजीबुर्रहमान पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। आप उनके चरण चिह्नों पर चल रहे हैं। श्री रास बिहारी बोस के विरुद्ध भी ऐसे ही आरोप अंग्रेजों ने लगाए थे।

लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता है। देश में कई सामाजिक तथा आर्थिक समस्यायें हैं जिनका समाधान ऐसे कानूनों द्वारा नहीं हो सकता। यह एक तरह से फासिस्ट राज्य बनने जा रहा है। 20 साल पहले केन्द्रीय पुलिस पर प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपया व्यय होता था जो अब बढ़कर 88.9 करोड़ रुपये हो गया है, जिसके अधिकाँश भाग का उपयोग गुप्तचर विभाग करता है। इसके अतिरिक्त 28 करोड़ रुपये की ऐच्छिक राशि का नियंत्रण केवल एक के ही अधीन है, अर्थात् प्रधानमंत्री के अधीन। यह सब देश में अपनी सत्ता की जड़ों को पक्का करने के उद्देश्यों से किया जा रहा है।

यह गुप्तचर विभाग क्या काम करता है ? हमारे हाथ में गृह मंत्रालय के गुप्तचर विभाग का एक गोपनीय पत्र आया है जिसका उद्देश्य राजनैतिक विरोधियों को कुचलना है। उन्हें झूठे आरोपों में भी फंसाया जा सकता है। आप 24 घंटे के अन्दर उत्तर दें कि क्या ऐसा कोई गोपनीय पत्र जारी हुआ था ? राजनैतिक विरोधियों का दमन करने के लिए पुलिस वालों का उपयोग किया जाता है।

निवारक नज़रबन्दी कानून के अधीन 1965 में एक झटके में 8000 मुस्लिम नज़रबन्द किये गये और दूसरे झटके में इन्हें रिहा किया गया। लोगों की आज़ादी कभी भी छीनी जा सकती है।

आपने पुलिस राज्य कायम कर लिया है, इस बात से इन्कार न करें। कितना सख्त कानून आप सामने लाये हैं। नज़रबन्द किये गये व्यक्ति से कानूनी रूप से भेंट भी नहीं की जा सकती। क्या यह संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है ? आपके पास कौनसा रहस्य है, जिनकी जानकारी विदेशियों को नहीं है ? जिन शक्तियों के पास आपने देश को रहन रख रखा है, वे आपके सब भेदों को जानती हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई 22 दिवसीय लड़ाई बड़ी शक्तियों ने शुरू करवाई और उन्होंने ही बन्द करवायी। आप रहस्य की बात करते हैं। जिन पर आप निर्भर हैं, वे आपकी अपेक्षा आपके बारे में अधिक जानते हैं।

अब श्री बदरुद्दुजा के बारे में मैं एक दिलचस्प बात कहूंगा। श्री सिद्धार्थशंकर राय तथा श्री तरुण काँति घोष ने उनके घर जाकर कहा कि हम श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से आ रहे हैं। कृपया हमें समर्थन दें. . . (**व्यवधान**) श्री बदरुद्दुजा ने इनकार किया और इसीलिए उन्हें जेल भेजा गया। अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी कार्यालय के सर्वश्री सुनीलदास तथा मोहित चौधरी के मामले में क्या बना ? श्री अतुल्य घोष इस मामले से पूर्णत: सम्बद्ध थे। कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि ये लोग काँग्रेसी थे। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भी गम्भीर दोष थे। इनका क्या बना ? मैं श्री पन्त से इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या गुप्तचर विभाग के डी० आई० जी० से इनके बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ?

सभापति महोदय : आप अब समाप्त करें। श्री मिश्रा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूँ।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु के राजनैतिक भाषण को सुना है। उन्होंने केवल अपने तथा अपने दल के दुखों का बखान किया है क्योंकि इनके दल की आस्था भारत से बाहर है। इसी कारण ये विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

मेरे माननीय दोस्त कह रहे हैं कि यह विधेयक गैरकानूनी है। मैं कहता हूँ कि संविधान के अनुसार निवारक नज़रबन्दी कानून पारित किया जा सकता है। मेरे माननीय मित्र श्री एस० एम० बनर्जी ने कहा है कि यह कानून संविधान की धारा 19 का उल्लंघन करता है। हत्यारे, चोर, अपराधी आदि के लिए कोई मूल अधिकार नहीं होते। देश में अहिंसा तथा शांति का वातावरण बदा रहे, इसी उद्देश्य से यह कानून सामने लाया गया है। कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल की आज क्या दना है ? वहाँ पत्नी, माँ तथा किसी अन्य औरत का सतीत्व सुरक्षित नहीं और न ही किसी का जीवन सुरक्षित है। बंगाल की स्थिति यह है। इसलिए यह कानून अनिवार्य था। जो कुछ आज बंगाल में हो रहा है, क्या वह देश की शाँति और समृद्धि का प्रतीक है ?

विरोधी दल देश की सुरक्षा की बात करते हैं। हमने देश की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता कायम रखने की कसम खाई है। अत: हर सदस्य को इस कानून को पास कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

अधिनियम का दुरुपयोग नहीं हो सकता। जब सारे संसद सदस्य ईमानदार हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि न्यायपालिका के सदस्य भी ईमानदार हैं। देश में हर कोई बेईमान नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा अधिकारीगण कानून की सामान्य प्रक्रिया का पालन किये बिना ही ऐसा कर सकते हैं। यह किसी ने नहीं कहा कि हमारे अधिकारियों का कोई चरित्र नहीं है। अत: वे ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के हित में निर्णय कर सकेंगे और अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित आदेश पारित कर सकते हैं।

अत: मैं निवेदन करता हूँ कि इस सभा को देश की सुरक्षा और शाँति के हित में इसे स्वीकार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

डा० रानेन सेन (बारसात) : मैंने श्री पन्त के भाषण को सुना। उनका भाषण कठोर कानून के लिये कमजोर समर्थन था।

यह हमेशा देखा जाता है कि जब कभी बिना मुकदमा चलाये हिरासत में रखने सम्बन्धी विधेयक लाया जाता है तो सरकार को सदस्यों को सन्तुष्ट करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य देना पड़ती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे देश की सुरक्षा और एकता को खतरा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा क्योंकि इस प्रश्न में जनता की स्वतन्त्रता का प्रश्न निहित है।

यह निवारक निरोध अधिनियम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पिछली बार जब यह निवारक निरोध अधिनियम सभा में प्रस्तुत किया गया था तो उसका कड़ा विरोध किया गया था।

वर्तमान स्थिति क्या है ? इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, बंगला देश और हमारी सीमाओं में हो रही घटनाओं का प्रश्न उठाया गया है। 31 मार्च के बाद जब बंगला देश के संघर्ष के पक्ष में इस सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था तो सरकार को इसे कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना चाहिए था। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सरकार ने देश की सुरक्षा की समस्या उठाई है। अत: सीमा सुरक्षा या बंगला देश के संकट के प्रश्न का उल्लेख करना इस सरकार को शोभा नहीं देता।

सरकार को बाहर से हो रही प्रतिक्रियाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये। यहाँ तक कि तथा-कथित दक्षिणपन्थी समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" और "दैनिक स्टेट्समैन" ने इन उपायों की भर्त्सना करते हुए अपनी सम्पादकीय टिप्पणी दी है। सभी केन्द्रीय व्यापार संघों ने—ए० आई० टी० यू० सी०, सी० आई० टी० यू० सी०, हिन्दू मजदूर सभा, हिन्दी मजदूर पंचायत और यू० टी० यू० सी० ने इस विधेयक का विरोध किया है और यहाँ तक कि आई० एन० टी० यू० सी० ने भी इस विधेयक का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार उन सभी वामपन्थी संगठनों ने भी, जो अब तक इसके समर्थन रहे हैं, इस विधेयक का विरोध किया है।

यह विधेयक समूचे देश पर लागू होता है किन्तु राज्य सरकारों की राय जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। केरल के मुख्य मंत्री ने 15 मई, 1971 को कोट्टयम में यह कहा है कि केरल

में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के अध्यादेश को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार यह अनुभव करती है कि विदेशी एजेन्टों से कोई खतरा है, तो विदेशी अधिनियम में समुचित रूप से संशोधन किया जा सकता है। यदि आन्तरिक विद्रोह तथा तथाकथित जासूसों से कोई खतरा है, तो शासकीय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता और अपराधिक दण्ड संहिता में समुचित संशोधन किया जा सकता है। यह सब करने के स्थान पर अचानक ही निवारक निरोध अधिनियम पिछले रास्ते से लाकर प्रस्तुत किया गया है।

जब निवारक निरोध अधिनियम पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था तो हमें यह बताया गया था कि यह कानून छः महीनों में पश्चिम बंगाल में शान्ति स्थापित कर देगा परन्तु छः महीनों में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हुगली जिले में नौ भोले-भालों युवकों की हत्या का समाचार किसी विशेष राजनीतिक दल द्वारा करने का बताया जाता है। बर्दवान में हत्यायें हुई हैं। अतः सरकार इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त भी करले तो वह हत्याओं और अराजकता की स्थिति को नहीं सम्भाल सकती है।

ऐसा भी कहा गया है कि बहुत से ऐसे राजनीतिक तत्व तथा दल हैं जो भारत सरकार और पाकिस्तान को समान स्तर पर रखकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसमें जासूसी करना एक पवित्र कार्य समझा जाने लगता है। कोई भी निवारक कार्य किसी राजनीतिक अथवा वैचारिक प्रवाह को रोक नहीं सकता है। इसके लिए तो राजनीतिक तरीके ही अपनाए जाने चाहिए। इस प्रकार के निवारक कानून अन्ततोगत्वा जनता के दमन के कारण बन जाते हैं।

इस विधेयक के अन्तर्गत जन सुरक्षा, पूर्ति और अत्यावश्यक सेवाओं को बनाए रखने की व्यवस्था भी है। ये खतरनाक उपबन्ध है। इसके द्वारा वास्तविक जासूसों अथवा एजेन्टों को नहीं पकड़ा जायेगा परन्तु इसे अधिकारी वर्ग द्वारा सर्व साधारण, लोकतन्त्रीय तथा मजदूर संघीय आंदोलनों का दमन करने के विरुद्ध प्रयुक्त किया जायेगा। इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।

श्री सैयद बदरुद्दुजा की गिरफ्तारी का प्रश्न उठाया गया है। पहले यह कहा गया था कि उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जायेगा। यदि सरकार के पास उनके विरुद्ध कुछ दस्तावेज हैं तो उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और वह दोषी पाए जायें तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। मुकद्दमा चलाये बिना 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। अन्ततोगत्वा इससे प्रशासन को किसी न किसी तरह अपनी निर्दयतापूर्ण नीति को जनता के विरुद्ध प्रयोग करने में मदद मिलेगी।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): The Government is not happy in bringing forward this Bill but in view of the present situation the Government has been compelled to do so. The Government have given the guarantee of civil defence, personal security and personal liberty to the public. We might have political differences but we should all be united in maintaining national security.

To-day communal riots take place in different parts of the country but if our economic programmes are carried on peacefully, nothing would necessitate the introduction of such Bills.

There is an element in the country which draws inspiration from China. In West Bengal law and order is completely out of control. The Durgapur Steel Plant is the victim of subversive activities. Had this Plant been in China, the saboteurs would have been put into jails. But the real personal liberty is enjoyed by Indians. There is inflow of Mao's literature. We have got freedom of speech. No objection should be raised if the persons who create hurdle in the way of peace are imprisoned for a few days.

The Bill has been brought forward to tackle a peculiar situation in certain parts of the country. If we want to achieve economic progress or development, we shall have to stop subversive activities. If there activities are not stopped now we shall be called upon to take more strigent measures.

Ours is a peace-loving nation. What the people will think outside when they come to know about the situation prevalent in West Bengal? Some people fear that innocent persons would be detained under this law but that is not so.

Some hon. Members have requested the withdrawal of this Bill but if the words like 'class-enemy' are not used and subversive activities in Durgapur are stopped, there is no need of bringing forward such Bill.

Big camps are functioning where training the use of lathis is being given. It is true that health is necessary but they should be trained to live peacefully. Whenever communal riots take place, Prof. Madhok comes forward with his theory of Indianisation. There is no question of Hindus and Muslims. Their thinkings should be clear. If it is done, this Bill would be withdrawn.

We must not fight for communal causes and seek foreign aid. If all the political parties begin to behave peacefully and stop subversive activities, we would like to request emphatically to the hon. Minister to withdraw this Bill.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि अध्यादेश के द्वारा शासन चलाना अच्छी बात नहीं है। संसद का सत्र काफी लम्बे समय तक चलता है और कैसे भी विधेयक को लाया जा सकता है और समूचे देश पर थोपे जाने से पूर्व उस पर उचित चर्चा की जा सकती है।

प्रत्येक माननीय सदस्य ने हम पर उन्मुक्त समाज में विश्वास करने का आरोप लगाया है परन्तु उसके लिए मुझे क्षमा याचना नहीं करनी है। यह विधेयक एक इतना काला विधेयक है कि मानव आज तक इससे अधिक काला कानून नहीं बना पाया है। यदि हम इतिहास को पढ़ें कि शताब्दियों से लोकतन्त्रात्मक आन्दोलन किस प्रकार सफल हुआ है तो ज्ञात हो जायेगा कि इसकी सफलता का कारण केवल बन्दी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धान्त है। सभी लोकतन्त्रात्मक समाजों का यही ध्येय रहा है कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण की प्रथा को सफल बनाया जाये। इस विधेयक के द्वारा बीसवी शताब्दी के मध्य में भी, जबकि देश को स्वतन्त्र हुए 25 वर्ष हो गए हैं, बन्दी प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे विधेयक का समर्थन करना संभव नहीं है जो कि लोगों की स्वतन्त्रता का हनन करे और वह भी ऐसे समय में जबकि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है।

किसी ऐसे विधेयक का अनुमोदन करने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है जिसके द्वारा सरकार अस्थायी तौर पर कुछ निश्चित समय के लिए उचित संरक्षण देकर तथा सही-सही कारण बताकर किसी

सीमित क्षेत्र के लिए जहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम नहीं है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियाँ माँगें तथा यह दिखाए कि कानून और व्यवस्था खतरे में है। यह सर्वविदित है कि बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं और यह भी संभव है कि शरणार्थियों के उन शिविरों में शत्रु के एजेन्ट भी हों। ऐसी स्थिति में सरकार यह माँग कर सकती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों, शरणार्थियों के शिविरों तथा उन स्थानों के लिए ये शक्तियाँ दी जायें जहाँ उन्हें बसाया जाना है। परन्तु सरकार को उचित रूप से इस बात के कारण बताने चाहिए कि वह हमें अपनी नागरिक स्वतन्त्रता से क्यों वंचित रखना चाहती है।

अपने पूर्ण बहुमत के बलबूते पर सरकार इस काले कानून को बनाना चाहती है। यह एक खराब कानून है। यदि सरकार किसी विशेष क्षेत्र के लिए शक्तियाँ माँगती है तो इस सभा को उन शक्तियों को देने में प्रसन्नता होगी।

इस काले कानून के अन्तर्गत लोग वर्षों नज़रबन्द रहे हैं। रिहा हो जाने के बाद भी वे लोग अपनी बदनामी नहीं धो सके हैं। कई लोगों का व्यापार नष्ट हो गया है। इसके अन्तर्गत अन्याय हो रहा है। क्या सरकार उनके पुनर्वास के लिए कुछ करती है ?

देश को बन्दी प्रत्यक्षीकरण से वंचित करने का अर्थ तो देश को गुलामी की ओर ले जाना होगा। क्या हम इस देश में एलिजाबेथ प्रथम के राज में रह रहे हैं ?

मंत्री महोदय को याद रखना चाहिए कि हम 20वीं शताब्दी के मध्य से गुजर रहे हैं और बंदी प्रत्यक्षीकरण के बिना लोकतंत्र का कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। मैं इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करता हूँ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने तथा देश की सुरक्षा करना सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य है। कानून के उपयुक्त तंत्र के बिना इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

विभिन्न राजनैतिक दलों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है।

परन्तु स्थिति यह है कि समूचे विश्व का कोई भी राज्य कठोर उपायों के बिना अपने राज्य की जनता को संरक्षण नहीं दे सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रश्न उठाया था कि इस विधेयक को पश्चिम बंगाल में उनके दल पर नियंत्रण करने के इरादे से लाया गया है। इस कानून के द्वारा उनके दल पर नियंत्रकर करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग उनके दल के बारे में पहले ही अपना निर्णय दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दल की पिछली विधान सभा में जो संख्या 83 थी वह बढ़कर 114 हो गई है। परन्तु काँग्रेस सत्तारूढ़ दल का सौभाग्य है कि वतमान विधान सभा में उसे 106 सीटें मिली हैं। अतः इतना ही काफी है कि कठिनाइयों के बावजूद दल आगे बढ़ता जा रहा है।

यह विधेयक अधिनियम बन जाने के बाद पश्चिम बंगाल के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह तो केवल जनता को सन्तुष्ट करने मात्र के लिए है, ताकि सरकार जनता को यह उत्तर दे सके कि उन्होंने रोगी के लिए ठीक समय पर सही दवा दे दी है। यह विधेयक इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

पश्चिम बंगाल में अनेक हत्यायें की जा चुकी हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री गोपाल सेन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री के० एस० राय जैसे प्रतिष्ठिक व्यक्तियों की हत्यायें की जा चुकी हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) ने उनकी हत्या की, परन्तु यह तथ्य है।

कलकत्ता नगर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें पूर्णतया नक्सलवादी तथा साम्यवादी (मार्क्सवादी) क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तथा वहाँ जन-जीवन सुरक्षित नहीं है।

यह विधेयक इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह उचित समय है जबकि सब राजनीतिक दलों के नेता मिलें और समस्या को हल करने के लिए आपस में बातचीत करें। यदि श्री ज्योति बसु यह कहें कि युवक काँग्रेस में हजारों अपराधी हैं, तो वह कहें। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल में भी ऐसे हजारों लोग हो सकते हैं। दोनों की सूचियाँ सामने रखी जानी चाहियें।

श्री ज्योतिर्मय बसु: यह कार्य सादे कपड़ों में घूम रहे 'सेन्ट्रल इंटेलीजेन्स' के संहारक दस्ते द्वारा किया गया था (**व्यवधान**)

सभापति महोदय: जब माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं तो आप व्यवधान मत डालिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु: यदि हत्यारे दोषी व्यक्तियों की सुरक्षा करेंगे तो हम बाधा डालेंगे। . . . (**व्यवधान**)

सभापति महोदय: आगन्तुकों की जाँच करने के लिए भेजे गए सादे कपड़े वाले व्यक्तियों के बारे में की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों की जाँच की जायेगी।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल वर्ग संघर्ष के लिए वचनबद्ध हैं।

सभापति महोदय: कृपया विधेयक पर बोलिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु: नियम 380 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी 'रिपार्टर्स' से चर्चा के कुछ भाग को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने को कहा है। नियम 380 के अनुसार जब तक कोई असंसदीय शब्द नहीं कहे जायें तब तक उसे सभा के कार्यवाही वृत्तन्त से न निकाला जाए। मैं फिर कह रहा हूँ कि 'सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स' ने सभी हत्यायें की हैं। आप इसे कार्यवाही वृत्तान्त से नहीं निकाल सकते हैं।

सभापति महोदय: ऐसा किया जायेगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : चुनावों से कुछ पहले समूचे पश्चिम बंगाल में विभिन्न राजनीतिक मुख्यालय से विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई थी। हाल के चुनावों के ऐतिहासिक परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में विशेषकर दो-तीन जिलों में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। नक्सलवादियों द्वारा बीरभूम जिले में 220 निजी लाइसेंस वाली बन्दूकें छीन ली गई हैं। बर्दवान जिले में अधिकाँश आम लोगों तथा भू-स्वामियों को बाध्य किया गया है कि वे अपनी बन्दूकें कुछ उग्रवादी राजनीतिक दलों को दे दें। वहाँ ऐसी स्थिति विद्यमान है।

बंगला देश में हो रहे काण्ड को देखते हुए इस विधेयक को लाया गया है। हम अपने उस संकल्प के प्रति वचनबद्ध हैं, जिसमें हमने बंगला देश को प्रत्येक प्रकार की सहायता देने का वचन दिया था। बंगला देश के लोग सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में आ रहे हैं तथा इन्हें भोजन और आश्रय की जरूरत है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं। वे प्रजातन्त्र की माँग कर रहे हैं। परन्तु हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं तथा कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें भारत सरकार का वर्तमान ढांचा पसन्द नहीं है तथा जिनकी प्रजातन्त्र में आस्था नहीं है और जो विदेशी शक्तियों की सहायता से देश का ढांचा बदलना चाहते हैं। सरकार ने ठीक समय पर सही निर्णय किया है।

इस अधिनियम को लागू किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस आयुक्तों द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सरकार इन अधिकारियों को ऐसे अनुदेश दें जिनसे वे इस बात को ध्यान में रखते हुए मामलों का निपटारा करें कि कौन से मामले वास्तविक हैं और कोन से मामले वास्तविक नहीं हैं। यहाँ एक परामर्शदात्री समिति की भी व्यवस्था की गई है। यह नई बात है। यह स्थायी समिति नहीं है। वह कार्यकारिणी के अन्तर्गत ही कार्य करेगी। मेरा मन्तव्य है कि हमारी एक बलवती सरकार है तथा उससे इस अधिनियम के सदुपयोग की अपेक्षा की जाती है।

हमारे देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं है कि इस विधेयक को तुरन्त पारित न किया जाये। विदेशों में गत कुछ वर्षों में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसे पारित करना आवश्यक है।

भारत में आज प्रजातन्त्र इतनी विकट स्थिति में है कि इस विधेयक को तुरन्त पारित किया जाना चाहिए और तुरन्त लागू किया जाना चाहिए।

मैंने अनुभव किया है कि हमारे देश के राजनीतिक नेता प्रजातन्त्र के लिए केवल दो ही अवसरों पर बोलते हैं—एक तो चुनाव के समय और दूसरा सदन में शपथ ग्रहण करते समय। उन सभी राजनीतिक दलों को संविधान के सिद्धान्तों पर चलना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाजवादी अर्थ-व्यवस्था द्वारा समाजवाद आयेगा।

सभापति महोदय : श्री मारन।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : श्रीमन्, आज की चर्चा सुनकर कोई इस विचार से. . .

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

** पूर्वी बंगाल से शरशार्थियों का भारी संख्या में आगमन
Influx of Refugees from East Bengal

सभापति महोदय : अब आधे घंटे की चर्चा होगी । श्री समर गुह ।

श्री समर गुह (कन्ताई) : श्रीमन्, जब मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो बंगला देश से आए शरणार्थियों के चेहरे मेरी आँखों के सामने घूम गए हैं ।

[श्री सेझियान पीठासीन हुए]
[Shri Sezhiyan *in the Chair*]

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी) : यह बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है । पुनर्वास मंत्री को यहाँ उपस्थित होना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : श्री खाडिलकर कहाँ हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : वह किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संसदीय कार्य से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कोई नहीं है । श्री खाडिलकर को यहाँ उपस्थित होना चाहिए ।

सभापति महोदय : हमें चर्चा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री की उपस्थिति चाहिए । वह यहाँ उपस्थित हैं । सभा की भावना को मंत्री महोदय तक पहुंचा दिया जायेगा ।

श्री समर गुह : मैं यह कह रहा था कि बंगला देश से आए हुए कई शरणार्थियों के सगे-सम्बन्धी बंगला देश में ही समाप्त हो गए हैं । शायद मानव इतिहास में इसके समान कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जिससे सर्वनाश, सम्पूर्ण नैराश्य और असीमित विपत्ति की स्थिति उत्पन्न हुई हो ।

श्री खाडिलकर ने कल बंगला देश से आए शरणार्थियों की संख्या 57 लाख बताई परन्तु यह संख्या गलत है । पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार यह संख्या 70 लाख है ।

**आधे घंटे की चर्चा ।
Half-an-hour discussion.

बंगला देश से आए लोग किसी प्राकृतिक प्रकोप के शिकार होकर नहीं आए हैं। पाकिस्तान सरकार के षड़यन्त्र के फलस्वरूप ये लोग आश्रय तथा सुरक्षा पाने के लिए भारतीय सीमा में आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का षड़यन्त्र बंगला देश के लोगों को मारना नहीं है, उनका संहार करना नहीं है अपितु उसका षड़यन्त्र इन लोगों को अपने देश से निकाल कर भारतीय क्षेत्र में भेजना, हमारी सुरक्षा को समाप्त करना, हमारी अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करना, हमारे सामाजिक-आर्थिक जीवन को अव्यवस्थित करना, साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना और देश के लिए एक विकट समस्या खड़ी कर देना है।

ये 70 लाख शरणार्थी बंगला देश से यहाँ अपने आप नहीं आए हैं। उन्हें भारत आने के लिए विवश किया गया है। क्या यह पाकिस्तान द्वारा छद्म रूप से हमारे देश पर आक्रमण नहीं है ? यदि यही बात है तो फिर सरकार को याद रखना चाहिए कि हम बंगला देश से आए इन शरणार्थियों की समस्या का हल उनको केवल आश्रय देकर नहीं कर सकते हैं। मानवता के नाते हम उनको अस्थायी रूप से आश्रय तो दे सकते हैं परन्तु राजनीतिक समस्या का, जो इन लाखों लोगों को उखाड़ फेंकने का मुख्य कारण है, दृढ़ राजनीतिक निश्चय तथा कठोर कार्यवाही से सामना किया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में अच्छे-अच्छे तथा उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं हैं। जब तक उन शब्दों का हम दृढ़ निश्चय होकर अनुसरण नहीं करते हैं और उन पर कार्यवाही नहीं करते हैं, तब तक उनका कोई अर्थ नहीं है।

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि श्री खाडिलकर ने यहाँ उपस्थित होने का दायित्व उप-मंत्री पर डाल दिया है। सभा में जब इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और वह यहाँ उपस्थित नहीं है, तो इससे स्पष्ट है कि सरकार इस स्थिति को गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रही है।

उप-मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है कि बंगला देश से आए शरणार्थियों को यहाँ केवल छः महीने तक ही रखा जायेगा। उन्होंने जो यह हिसाब लगाया है, उसका क्या आधार है। यह तो ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी के समान है।

ऐसी स्थिति में जब सारे विश्व से लोग आ रहे हैं, श्रम मंत्री ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा अथवा किसी अन्य क्षेत्र का दौरा नहीं किया। न ही उप-मंत्री ने इन शरणार्थी क्षेत्रों का दौरा किया है।

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : प्रधान मंत्री वहाँ गई थीं।

श्री समर गुह : जब उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को छः महीने ही रहने दिया जायेगा तो क्या उन्हें अध्यक्ष महोदय द्वारा कहे गए शब्द याद हैं, जब उन्होंने कहा था कि "क्या आप वाकई यकीन करते हैं कि वे वापस चले जायेंगे ?" सरकार केवल शब्दों का ही प्रयोग करती है, कोई कार्यवाही नहीं करती है।

यही कारण है कि न तो बंगला देश के शरणार्थियों के दिमाग में विश्वास पैदा हुआ है, न किसी राज्य सरकार में और न ही भारत की जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि ये शरणार्थी बंगला देश वापस चले जायेंगे।

मैं सरकार का ध्यान उस कृत्य की ओर दिलाता हूँ जो मेघालय सरकार ने किया है । संयुक्त राष्ट्र संघ का दल जब बंगला देश के शरणार्थियों के पास आया तो उस समय मेघालय सरकार ने राष्ट्र का अत्यधिक अहित किया । उन्होंने पुरुषों और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया । शरणार्थियों के साथ कैदी जैसा व्यवहार किया जाता है । 6,000 शरणार्थियों को घोर निराशा के कारण सुनामगंज-सिलहट क्षेत्र में वापस जाना पड़ा । प्रधान मंत्री मेघालय का दौरा करने गई थीं । मेघालय की स्थिति के बारे में क्या सूचना दी है । उप-मंत्री को चाहिए कि स्थिति के बारे में सदन को अवगत करायें ।

यदि सरकार वास्तव में बंगला देश के शरणार्थियों को उनके अपने देश में भेजने के बारे में गंभार है, तो उन्हें विभिन्न राज्यों में भेजना पूर्णतया गलत है । उन्हें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय में रखा जाना चाहिए । परन्तु प्रश्न वित्त, प्रबन्ध और पूर्ति के बारे में है । यदि केन्द्रीय सरकार वित्त पूर्ति और प्रबन्ध का आश्वासन दे सकती है तो सीमावर्ती राज्यों के आन्तरिक क्षेत्रों में शिविर लगाए जा सकते हैं । ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि शरणार्थियों में बंगला देश की भावना को जीवित रखना चाहिए । जब तक यह नहीं किया जाता तब तक उन्हें बंगला देश की स्थिति में मौलिक परिवर्तन के बाद भी वापस भेजना संभव न होगा ।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है कि लगभग 25 लाख शरणार्थियों को आश्रय देने में वे समर्थ नहीं हैं । इसके साथ ही साथ मंत्री महोदय ने यह बताया है कि जो लोग शिविरों में नहीं होंगे उन्हें राशन नहीं दिया जायगा । कैसा विरोधाभास है ? कैसी विडम्बना है ? राशन सभी शरणार्थियों को दिया जाना चाहिए, चाहे वे शिविरों में रह रहे हों, अथवा अपने सम्बन्धियों के पास या वृक्षों की छाया में हों, अथवा खुले आकाश के नीचे हों ।

क्या यह सच नहीं है कि ये शरणार्थी अपना सब कुछ बंगला देश में ही छोड़कर आए हैं । ये लोग यहाँ केवल अपने शरीर का पिंजर मात्र ही लेकर आये हैं । उनके पास अपना शरीर ढंकने के लिए कपड़े तक नहीं हैं । सरकार ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया है । इनको कुछ नकद भत्ता मिलना चाहिए जिससे ये लोग पहनने के लिए वस्त्र और सोने के लिए बिस्तर आदि खरीद सकें ।

बंगला देश से आने वाले शरणार्थी अधिकाँश युवक और युवतियाँ हैं क्योंकि वहाँ इनका जीवन खतरे में है इनको भर्ती क्यों नहीं किया गया है ? उन्हें अपनी रसोई का प्रबन्ध करने सफाई तथा अन्य बातों का ध्यान रखने और अपना समुदाय बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे उनके मन में बंगला देश की भावना जागृत रहे । सारे शिविरों में बंगला देश का एक क्रांतिकारी नेता होना चाहिए, जिससे वहाँ पर रह रहे शरणार्थियों में बंगला देश की भावना और विचारधारा जागृत रह सके ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता नकदी में न देकर केवल वस्तुओं के रूप में दी जानी चाहिए । तम्बुओं तिरपालों, भूमि, हवाई-यातायात, एम्बूलेंस कारों, नलकूपों के औजार, सूखे आहार, शिशु-आहार, दुग्ध-चूर्ण, दवाइयों आदि की सप्लाई करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

यदि सरकार इस गम्भीर, जटिल, और अभूतपूर्व समस्या को तुरन्त हल करना चाहती है तो शरणार्थियों के लिए अलग से एक पुनर्वास मंत्रालय गठित किया जाना चाहिए और वह राज्य मंत्री

अथवा उप-मंत्री की अध्यक्षता में रखा जाना चाहिए, जिसका कार्यालय कलकत्ता में हो ताकि मंत्री महोदय स्थल पर ही अपना निर्णय दे सकें ।

बड़ी लज्जा की बात है कि जब ब्रिटेन का एक शिष्टमण्डल बंगला देश की यात्रा कर रहा है और हमारे देश में भी आयेगा तब सरकार ने संसद सदस्यों का कोई शिष्टमण्डल सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं भेजा है, जिससे कि वे सब चीजें अपनी आँखों से देख सकें । अतः सरकार को संसद सदस्यों का एक शिष्ट-मण्डल बनाकर सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजना चाहिए जिससे वे इस जटिल समस्या का हल करने में सरकार की सहायता कर सकें ।

यदि सरकार इस सारी राष्ट्रीय समस्या को पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं हल करना चाहती तो उसे अविलम्ब एक शरणार्थी परिषद का गठन करना चाहिए जिसके दोनों सदस्य सत्तारूढ़ दल एवं विरोधी पक्ष के हों और इस परिषद के अध्यक्ष पुनर्वास मंत्री हों ।

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी) : शरणार्थी बहुत अधिक संख्या में यहाँ आ रहे हैं । सरकार के बड़े-बड़े वक्तव्यों से हम तंग आ गए हैं । कल ही प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में वक्तव्य दिया था कि सरकार शरणार्थी समस्या को हल करने के लिए हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है । परन्तु, इस समस्या को किस प्रकार हल किया जायेगा । यदि उन्हें वापस भेजना है तो क्या बंगला देश में ऐसी स्थिति हो गई है जिससे कि ये वहाँ वापस जा सकें ? और यदि इन्हें वापस भेजना है तो इनको अन्य क्षेत्रों में क्यों भेजा जा रहा है ? वहाँ भी कानून और व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक प्रकार की समस्या हैं । इनके साथ अनेक जासूस आ गए हैं । यदि सरकार अन्ततः बल परीक्षण करने को तैयार है तो फिर विलम्ब क्यों किया जा रहा है । अतः मंत्री महोदय इस समस्या को अविलम्ब हल करने के लिए स्पष्ट वक्तव्य दें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): It seems that instead of taking any decision on the problems concerning our own country we are looking towards other countries. There is heavy influx of refugees from Bangla Desh and our Ministers are going abroad for arousing world openion. While it is difficult to gauge the world openion that will be built, it is clear that Government has not been able to arrive at any firm decision.

Government have mis-calculated the number of evacuees from Bangla Desh, which has resulted in mismanagement. Government have failed in its efforts in making proper arrangements for Bangla Desh evacuees who are facing countless difficulties.

The other day, the hon. Minister made a statement in this House that Government intended to disperse 25 lakhs evacuees from Border states, but next a Government spokesman declared this figure incorrect. This establishes that there is no coordination in the Ministry. Government should state the number of evacuees to be dispersed and by what time they would be dispersed and what arrangements have been made for this purpose.

A separate Ministry dealing with these refugees should be immediately set up with a separate cabinet Minister for dealing with this problem.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह स्थिति देश के विभाजन के समय से ही चली आ रही है। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और वह इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

यदि सीमान्त क्षेत्र को जाकर देखा जाए तो वहाँ की दशा देखकर सहृदय व्यक्ति का हृदय चीत्कार करने लगेगा। सरकार ने आधे शरणार्थियों के लिए भी ठीक से प्रबन्ध नहीं किए हैं। वे बहुत ही दयनीय दशा में हैं।

बार-बार विश्व के सामने कहा जाता है कि प्रधान मंत्री ने स्पष्टरूप से यह आश्वासन दिया है कि बंगला देश के प्रत्येक शरणार्थी को यहाँ आने की अनुमति दी जायेगी। मेघालय में बंगला देश के शरणार्थियों को आने नहीं दिया जाता, अपितु अपराधी और समाजविरोधी तत्व वहाँ सक्रिय हो गए हैं और इनके साथ अत्याचार और बलात्कार करने के समाचार आए हैं। मेघालय अथवा आसाम की सरकारों ने गोपनीय परिपत्र परिचालित किए हैं कि इन शरणार्थियों को यहाँ नहीं आने दिया जाए जिसके आधार पर इन्हें वहाँ रुकने नहीं दिया जाता और उनके साथ अत्याचार होता है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई परिपत्र है ? यदि हाँ तो उसका वर्ण्य-विषय क्या है ? यदि नहीं, तो किस अधिकार से वे ऐसा कार्य कर रहे हैं ? माननीय प्रधान मंत्री पूर्वी क्षेत्रों के दौरे पर गई थी। क्या वह शिलाँग भी गई थी ? यदि नहीं गई थी तो इसके क्या कारण हैं, जबकि वहाँ से बड़े क्षोभपूर्ण समाचार आए हैं।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सरकार शरणार्थियों के जीवन से खेल रही है। भारत में आए शरणार्थियों की वास्तविक संख्या का ठीक पता नहीं है और इस सम्बन्ध में परस्पर विरोधी समाचार हैं। कुछ ऐसे तथ्य हमारे पास हैं कि लगभग 50 प्रतिशत शरणार्थियों का पंजीकरण ही नहीं हुआ है। सरकार ने इनकी वास्तविक संख्या का अनुमान लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है।

क्या पश्चिम बंगाल के लगभग समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार सच हैं कि वास्तव में 25 प्रतिशत शरणार्थियों को भी पंजीकृत नहीं किया जाता और सरकार से केवल पंजीकृत व्यक्तियों को ही भोजन की सामग्री अथवा धन मिलता है।

क्या सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाये जाने वाले शरणार्थियों की वास्तविकसंख्या 25 लाख है अथवा 8 लाख। सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। यदि इनकी संख्या 8 लाख भी है तो सरकार ने इनको ले जाने के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार 8 लाख व्यक्तियों के अन्य स्थानों पर भेजने के लिए अमरीका, और रूस के विमानों की सहायता सहित लगभग 6 महीने लगेंगे, अतः सरकार ने इनके परिवहन के लिए वास्तुतः क्या प्रबन्ध किए हैं ? क्या सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि आगामी 5 या 6 महीनों में कितने व्यक्ति बंगला देश वापस जा सकेंगे।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : शरणार्थियों की समस्या वस्तुतः एक बड़ी समस्या है। समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यदि उन्हें सन्तोष अनुभव नहीं होता

है तो मेरी समझ में, वे कुछ सीमा तक ठीक भी हैं। परन्तु क्या भारत के अतिरिक्त विश्व में अन्य कोई देश ऐसा है, जहाँ इस प्रकार इतनी भारी संख्या में शरणार्थी आए हों ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके लिए इनका अपना दल जिम्मेदार है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : किसी वस्तु को व्यवहार में लाने की अपेक्षा उसकी आलोचना करना सहज होता है। इसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूं विपक्ष के नेता और माननीय सदस्य बराबर के जिम्मेदार हैं। उनका भी देश के प्रति कुछ कर्त्तव्य है। मुझे आशा है कि वे इस समस्या को सुलझाने में हमें अपना सहयोग देंगे। यह बहुत ही जटिल समस्या है और इसको सुलझाने में हम सबको पूर्ण सहयोग देना चाहिए। लोगों का चरित्रबल ऊंचा बनाए रखने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। केवल कुछ शब्द कहने मात्र से राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई जा ती।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने हमारे सहयोग की माँग की है। उन्होंने हमसे कौन-सा सहयोग माँगा है जो हमने देने से इनकार किया है। यह विपक्षी नेताओं पर आक्षेप लगाना है कि वे शरणार्थीयों के मामले में सहयोग नहीं दे रहे हैं। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि वे किस प्रकार का विशिष्ट सहयोग चाहते हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा : जो कुछ आँकड़े विपक्ष की ओर से दिए गए हैं, वे सही नहीं हैं। सरकार की ओर से दिए गए आँकड़े सही माने जाने चाहिए क्योंकि वे राज्य सरकारों द्वारा दिए गए होते हैं। इस मास की 14 तारीख तक, पश्चिम बंगाल में 43,90,101 शरणार्थी थे। राज्यवार वर्तमान आँकड़े इस प्रकार हैं : पश्चिम बंगाल 43,90,101; आसाम 1,87,609; मेघालय 2,54,024; त्रिपुरा 9,55,264; बिहार 4,857। कुल मिलाकर 57,91,855 शरणार्थी हैं। ये आँकड़े सही हैं और इन्हीं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये हैं।

श्री समर गुह : इनमें उन व्यक्तियों को नहीं किया गया है जिन्होंने सरकारी शिविरों के बाहर अपने रिश्तेदारों आदि के घरों में शरण ली हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा : ये सरकार के पंजीकृत आँकड़े हैं जिनमें वे सब व्यक्ति शामिल हैं जो शिविरों में और शिविरों के बाहर हैं। शिविरों में 36,58,337 और शिविरों के बाहर 21,33,818 शरणार्थी हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 57,91,855 है। यह कहा गया है कि आँकड़ों को कम बताया गया है और कुछ लोगों को पंजीकृत नहीं किया गया है। हो सकता है कि कुछ लोगों का पंजीकरण ना हुआ हो क्योंकि 135 मील लम्बी सीमा है जो खुली हुई है और सब ओर से व्यक्ति सीमा पार करके यहाँ आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण करना पूर्णतया असम्भव है।

यह आरोप लगाया गया है कि बंगला देश में हो रहे नरसंहार को हमने रोका नहीं। हम किसी विदेशी सरकार के उस कार्य में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं जो वह अपनी भूमि में कर रही हो ? जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया। विश्व जनमत जागृत करने का हम प्रयास करते रहे हैं। हमने

विदेशों में लोगों को भेजा है और अपनी शक्ति के अनुसार हम वह हर संभव प्रयास करते रहे हैं, जिससे पाकिस्तान सरकार ठीक मार्ग पर आ जाए ।

हम अनुभव कर रहे हैं कि अब उचित समय आ गया है जब विश्व समुदाय की भावनाएँ जागृत होंगी और वह पाकिस्तान पर दबाव डालेगा जिससे राजनीतिक समझौता हो जाए और लोग सुरक्षित सम्मानपूर्वक और पूर्ण सन्तोष के साथ अपनी मातृभूमि को वापस चले जाएँ ।

श्री समर गुह : राजनीतिक समझौता क्यों ? यह तो बंगला देश की पीठ में छुरा घोंपने के समान होगी । उन्ह वापस जाने दो और मरने दो, परन्तु राजनीतिक समझौते की बात मत करो । पाकिस्तानी सेना वहाँ से वापस जाना ही इस समस्या का एकमात्र राजनीतिक हल है ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमें विश्वास है कि 6 महीने की ठीक अवधि है जिसमें स्थिति सामान्य हो जायेगी मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि सरकार शरणार्थियों का सदा के लिए पालन नहीं करेगी और जैसा कि प्रधान मंत्री ने अनेक बार कहा है कि हमें उचित समय पर ही उचित कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है । अत: मैं समझता हूँ कि सदस्यों के मन में इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशंका नहीं रहनी चाहिए ।

जहाँ तक शरणार्थियों को राशन बाँटने की बात है, यह कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है । हम तो राज्य सरकारों को अग्रिम देते हैं, और इसकी व्यवस्था करने के लिए सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । दो या तीन दिन की ही बात है जब इस मामले में कुछ कमियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया था । हमने राज्य सरकारों से सरकारी निदेशों का कठोरता से पालन करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित राशन की मात्रा में कमी न की जाए । उन्हें 400 ग्राम चावल, 300 ग्राम सब्जियाँ और 100 ग्राम दाल दी जाती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये सदन को धोखा दे रहे हैं ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : मैं सदन को धोखा नहीं दे रहा हूँ । उनको मिट्टी का तेल, वनस्पति घी, और नमक भी दिया जाता है ।

श्री समर गुह : या तो मंत्री महोदय को गलतफहमी है या मुझे । उन्हें चावल, दाल, प्याज और आलुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : मैं कई बार कह चुका हूँ कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । हम उन्हें इन सब वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए धन देते हैं । माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है हम राज्य सरकार को इसकी जानकारी देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यहाँ व्यवस्था का प्रश्न है । हमने एक विशिष्ट प्रश्न किया है कि एक रुपये से शरणार्थियों को वस्तुत: क्या मिलेगा ।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसका उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय को बाध्य नहीं किया जा सकता ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : शिविरों के प्रबन्ध के बारे में कहा गया है । जहाँ तक सामुदायिक रसोईघरों का सम्बन्ध है इनका कार्य तो स्वयं शरणार्थियों को ही सौंपा जाना चाहिए । शरणार्थियों को यथा सम्भव राहत कार्यों में लगाया जा रहा है । वे स्वेच्छा से या दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं । जहाँ सम्भव होता है उन्ह खाना बनाने पर भी लगाया जाता है परन्तु अधिकाँश कच्चा राशन लेना और स्वयं पकाना अधिक पसन्द करते हैं । हम उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं चाहते । यदि वे पका हुआ खाना नहीं लेना चाहते तो हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि कभी वे भी भारत के अंग थे । एक शिविर में मैंने स्वयं शरणार्थियों को इन्धन बंटते देखा है । वैसे इस बात पर ध्यान दिया जायेगा ।

बताया गया है कि अधिकाँश अन्तर्राष्ट्रीय सहायता वस्तुओं के रूप में मिल रही है । यदि सहायता वस्तुओं के रूप में भी मिले तो हम उसे लेने से कैसे इनकार कर सकते हैं । कुछ सहायता धन के रूप में भी मिल रही है । अभी तक हमें 30 करोड़ रुपये के मूल्य की अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मिली है । जिसमें लगभग एक करोड़ रुपया नकद है जो अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने दिया है ।

हमें उन शरणार्थियों की भी चिन्ता है जो शिविरों से बाहर अपने सम्बन्धियों के साथ रह रहे हैं और इनको भी वही सुविधाएँ दी जायेंगी । जहाँ तक संसदीय शिष्टमण्डल का सम्बन्ध है, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं और इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

शरणार्थियों की वापसी और उनकी समस्या के समाधान के बारे में प्रश्न किए गए हैं । इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूँ कि हम अपने कर्त्तव्य के प्रति पूर्णतया जागरूक हैं । जब हमने अपने आप यह जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ली है तो हम इसको निभाना भी जानते हैं । हम यह भी देख रहे हैं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे प्रस्तावों पर ध्यान दे रहा है और इस सम्बन्ध में यदि कुछ भी नहीं हुआ तो हम यह देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं । जब हम एक बार लोकतन्त्र और अन्य विचार-धाराओं के प्रति वचनबद्ध हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन विचारधाराओं को ऊंचा रखा जाए ।

जहाँ तक शरणार्थियों के वापस जाने का सम्बन्ध है किसी को भी एक क्षण मात्र के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि ये शरणार्थी हमारे ऊपर स्थायी भार बन जायेंगे । वह वापस जायेंगे । इस बारे में तनिक भी शंका की बात नहीं है । हमें अपने लोगों और अपनी सरकार में पूर्ण विश्वास है और हम यह जानते हैं कि हम इस कार्य को अवश्य करेंगे ।

सभापति महोदय : 55 मिनट हो गए हैं कृपया आप 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर द । अच्छा होगा यदि आप सब प्रश्नों को देखकर उनके उत्तर सभा पटल पर रख दें ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : जहाँ तक शरणार्थियों की जाँच पड़ताल करने का मामला है, भारत सरकार ने राज्य सरकार को अनुदेश जारी कर दिए हैं कि भारत में आने वाले प्रत्येक शरणार्थी की जाँच-पड़ताल की जाए । इस बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

जहाँ तक मेघालय की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मैंने मेघालय-सरकार को लिख दिया है और वहाँ से उत्तर मिलने के उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जायेगी ।

कहा गया है कि हमने शरणार्थियों के भारी संख्या में आने की सम्भावना का अनुमान नहीं लगाया । मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पता नहीं है । हम यह नहीं जानते थे कि स्थिति इस सीमा तक पहुँच जायेगी । हमें 30 लाख शरणार्थियों के आने की आशा थी परन्तु बंगला देश में स्थिति अनुकूल न होने के कारण ये लोग भारत में आ रहे हैं । इनको शरण देने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है ।

समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कुछ सदस्यों को उन शिविरों की संख्या के बारे में भ्रान्ति हो गई है, जिनकी हम स्थापना करने जा रहे हैं । और शरणार्थियों की संख्या के बारे में भी भ्रान्ति हो गई है । मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम 25 लाख शरणार्थियों को बसाने के लिए 50 बड़े शिविर स्थापित करने जा रहे हैं । पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में शरणार्थी बहुत अधिक संख्या में हैं । वहाँ शरणार्थियों की संख्या कम करने के लिए हम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े 50 शिविर स्थापित करने जा रहे हैं ।

सभापति महोदय : जिन प्रश्नों का मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है उनके सम्बन्ध में वे एक वक्तव्य तैयार कर सभा पटल पर रख देंगे । अब सभा की कार्यवाही स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 17 जून, 1971 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 17th June, 1971

Printed at Modern Printery Ltd., Indore-2